अध्याय-25

समितियां

I. समिति की सामान्य संरचना

राज्य सभा की संसदीय समितियों को **तदर्थ** समितियों और स्थायी समितियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तदर्थ समितियां वे समितियां है जो विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से गठित की जाती हैं और ज्योंही वे अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं, उनका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। इन समितियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:

(क) विधेयकों संबंधी प्रवर / संयुक्त समितियां जिन्हें विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में सभा (सभाओं) द्वारा गठित किया जाता है, ये समितियां अन्य **तदर्थ** समितियों से भिन्न होती हैं क्योंकि वे विधेयकों से संबंधित हैं। और उनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया संबंधी नियमों में विहित है और सभापति के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं;

(ख) वे समितियां, जिनका गठन समय-समय पर या तो सभा द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करके और गृहीत करके अथवा सभापति द्वारा विशिष्ट विषयों की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। राज्य सभा में गठित ऐसी समितियों के उदाहरण इस प्रकार हैं: संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन राज्य सभा के लिए प्रक्रिया संबंधी प्रारूप नियमों को तैयार करने के लिए 1962 में गठित समिति; राज्य सभा के तत्कालीन सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए 1976 में गठित समिति; निरंकारियों और अकालियों के बीच समझौता कराने के लिए 1983 में दोनों सभाओं के सदस्यों की गठित की गई समिति; बोफौर्स तोप सौदे और बैंक प्रतिभूति घोटाले के संबंध में जांच करने के लिए क्रमश: 1988 और 1992 में नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समितियां; रेलवे वैगनों की खरीद से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की मांग पर सभापति द्वारा 1995 में गठित की गई रेलवे वैगन समिति; कपास उत्पादकों की समस्याओं और वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में सभापति द्वारा वर्ष 1996 में गठित की गई समितियां। संसद् भवन में प्रतिमाओं और चित्रों को लगाने के संबंध में, खान-पान सेवाओं के संबंध में और सदस्यों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में, परामर्श देने के उद्देश्य से लोक सभाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा आपस में परामर्श करके 1993 में गठित की गई तीन अन्य समितियां भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।

स्थायी समितियां वे समितियां हैं जिनका चयन सभा द्वारा अथवा जिनका मनोनयन सभापति द्वारा प्रतिवर्ष अथवा समय-समय पर किया जाता है और ये समितियां स्थायी होती हैं। उनके क्रियाकलापों के संदर्भ में उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

जांच हेतु समितियां —

(क) याचिका समिति

(ख) विशेषाधिकार समिति

(ग) आचार समिति

संवीक्षा और नियंत्रण हेतु समितियां —

(क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(ख) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(ग) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सलाह हेतु समितियां —

(क) कार्य मंत्रणा समिति

(ख) नियम समिति

सदन की व्यवस्था संबंधी समितियां —

(क) आवास समिति

(ख) सामान्य प्रयोजन समिति

दो समितियां —अर्थात् राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी समिति; और संसद् सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति— हैं जो राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों का अंग नहीं हैं।

विभाग-संबंधित समितियां

दोनों सभाओं की चौबीस विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में से निम्नलिखित आठ समितियां राज्य सभा के सभापति के निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं:

(क) वाणिज्य संबंधी समिति

(ख) गृह कार्य संबंधी समिति

(ग) मानव संसाधन विकास संबंधी समिति

(घ) उद्योग संबंधी समिति

(ङ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति

(च) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति

(छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति

(ज) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति

अन्य सोलह समितियां लोक सभाध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं।

वित्तीय और अन्य समितियां जिनमें राज्य सभा का प्रतिनिधित्व है

राज्य सभा के सदस्य निम्नलिखित चार समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा इनसे जुड़े हुए हैं जिनका लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में उपबंध किया गया है:

(क) लोक लेखा समिति

(ख) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(घ) महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति।

इसके अतिरिक्त, राज्य सभा के सदस्य संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति से भी जुड़े हुए हैं।

प्रस्तावों द्वारा गठित समितियां

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समितियां भी हैं जिनमें राज्य सभा का प्रतिनिधित्व है, ये समितियां दोनों सभाओं में प्रस्ताव गृहीत करके गठित की जाती हैं।

(क) रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए संसदीय समिति

(ख) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

सांविधिक समिति

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन गठित सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।

लोक सभा नियमों के परिशिष्ट में उल्लिखित की गई समिति

सभापति पुस्तकालय समिति में कार्य करने के लिए तीन सदस्यों को नामनिर्देशित करते हैं जिसका गठन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका उल्लेख लोक सभा नियमों के परिशिष्ट-II में किया गया है।

परामर्शदात्री समितियां

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी परामर्शदात्री समितियों में कार्य करने के लिए संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाता है।

सरकारी समितियां

कई अन्य समितियां, परिषदें, बोर्ड इत्यादि भी हैं जिनका गठन सरकार द्वारा या तो परिनियमों के अनुसरण में या सरकारी संकल्प द्वारा किया जाता है जिनमें सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।

राज्य सभा में समितियां सामान्यत: किस प्रकार गठित की जाती हैं

ऊपर उल्लिखित स्थायी समितियों का पुनर्गठन सामान्यत: प्रतिवर्ष बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व किया जाता है। तथापि, यदि किसी वर्ष द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, तब समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आस्थगित किया जा सकता है ताकि ऐसे चुनावों के पश्चात् विभिन्न पार्टियों/दलों की सदस्य-संख्या के आधार पर विभिन्न समितियों में सीटों का आवंटन किया जा सके। उदाहरण के लिए वर्ष 1986 में जून, जुलाई और अगस्त में राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों के कारण समितियों का पुनर्गठन अक्तूबर, 1986 के अंत में किया गया था।[1] तथापि, 1987 में समितियों का पुनर्गठन प्रथा के अनुसार मई में ही किया गया।[2] पुन: वर्ष 1992 में समितियों का गठन नवम्बर के मध्य में किया गया,[3] जबकि 1993 में समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया हालांकि मई में प्रारंभ हो चुकी थी, पर वह उस वर्ष जुलाई में ही पूरी हो पाई।[4] वर्ष 1994 में समितियों का पुनर्गठन जून में किया गया था[5] और वर्ष 1995 तथा 1996 में उनका गठन अगस्त में किया गया था।[6]

परम्परा और परिपाटी के अनुसार इस प्रयोजनार्थ विभिन्न स्थायी समितियों के संबंध में प्रत्येक दल/गुट के लिए कोटा निश्चित करने की दृष्टि से सभा के नेता/संसदीय कार्य मंत्री राज्य सभा में 5 या उससे अधिक सदस्य-संख्या वाले विभिन्न दलों/गुटों के साथ एक औपचारिक बैठक करते हैं। वे प्रत्येक दल/गुट की संख्या के आधार पर विभिन्न समितियों के लिए आवंटन करते हैं। सचिवालय दो वित्तीय समितियों (लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रमों संबंधी समिति) तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, जिनमें राज्य सभा प्रतिनिधित्व करती है; और राज्य सभा की स्थायी समितियों के संबंध में अनौपचारिक रूप से विवरण तैयार करता है और उसे भेजता है। विवरणों में उपलब्ध स्थानों और विभिन्न दलों के विद्यमान प्रतिनिधित्व इत्यादि का उल्लेख होता है। तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों की संख्या से राज्य सभा की प्रभावी सदस्य-संख्या में भाग देने से कोटा निकाला जाता है। ये कोटा निकालने के लिए इन समितियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है: (1) दो वित्तीय समितियां और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 7+7+10=24; (2) कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति तथा नियम समिति 9+10+14=33; (3) आवास समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 7+10+10+15+ 10 =52। यह मान लेने से कि पहले वर्ग में 24 स्थान उपलब्ध हैं तथा राज्य सभा की प्रभावी संख्या माना कि 232 है (अर्थात् 245 में से रिक्तियों की संख्या 13 कम), तो इस वर्ग के लिए कोटा का निर्धारण इस प्रकार होगा कि 232÷24=9.66 अर्थात् 10 अर्थात् प्रत्येक 10 सदस्यों के लिए एक स्थान।

दलों/गुटों द्वारा पारस्परिक सहमति के बाद उनके नेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक अपने सदस्यों के नाम सभापति के विचारार्थ भेज दें। नामों का सुझाव देते समय दलों/गुटों के नेता सामान्यत: यह ध्यान रखते हैं कि जहां तक संभव हो सके कोई सदस्य लगातार दो बार से अधिक उस समिति का सदस्य न रहा हो। जहां तक छोटे गुटों, निर्दलीय और असम्बद्ध सदस्यों के लिए स्थानों का संबंध है, सभापति उनमें से सदस्यों को नामनिर्देशित करता है। अन्तत: जब नाम प्राप्त हो जाते हैं तो सभापति विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों को नामनिर्देशित करने का एक औपचारिक आदेश पारित करता है। इस प्रकार नामनिर्देशित किए गए सदस्यों के नाम संसदीय समाचार में अधिसूचित किए जाते हैं। उन्हें औपचारिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर भी सूचित किया जाता है।[7]

जहां तक पहले वर्ग में ऊपर लिखित समितियों का संबंध है, उनमें स्थानों को भरने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन किया जाएगा जोकि सभा में उस संबंध

में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद किया जाएगा। तथापि, कोटा निर्धारण के लिए परामर्श की अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा सामान्यत: सर्वसम्मति का रास्ता अपनाया जाता है और निर्वाचन आवश्यक नहीं होता है।

जहां तक समितियों की अध्यक्षता का संबंध है, सभापति कार्य मंत्रणा समिति,[8] सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति का अध्यक्ष भी होगा।[9] उपसभापति विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होगा। अन्य स्थायी समितियों के संबध में अर्थात् याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति तथा आवास समिति की अध्यक्षता सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों द्वारा सभा में उनकी संख्या के अनुपात में की जाती है। सामान्यतया, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की अध्यक्षता विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा की जाती है; और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा आवास समिति की अध्यक्षता सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा की जाती है। राज्य सभा के सभापति समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधित दलों/गुटों के नेताओं के परामर्श से करते हैं। उन समितियों की अध्यक्षता जिनके अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्य होते हैं, उनके बीच बारी-बारी से परिवर्तित हो सकती है।

इस अध्याय में उपर्युक्त विभिन्न श्रेणियों की समितियों के गठन, कृत्यों इत्यादि के संबंध में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है: पृथक् समितियां, विधेयकों के संबंध में प्रवर/संयुक्त समितियां, विभाग-संबंधित समितियां, वित्तीय और अन्य समितियां जिनमें राज्य सभा प्रतिनिधित्व करती है, सांविधिक समितियां, तदर्थ समितियां, सरकारी समितियां और परामर्शदात्री समितियां।

II. पृथक् समितियां

कार्य मंत्रणा समिति

गठन

सभापति समय-समय पर कार्य मंत्रणा समिति नामनिर्देशित करता है जिसमें उपसभापति सहित ग्यारह सदस्य होते हैं।[10] सभापति, राज्य सभा, समिति का अध्यक्ष होता है।[11] ऐसी नामनिर्देशित की गई समिति तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि एक नई समिति नामनिर्देशित न की जाए।[12] यदि सभापति किसी कारण से समिति की किसी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो उपसभापति उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।[13] यदि उपसभापति भी उस बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो समिति अपनी उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनेगी।[14] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों को सभापति नामनिर्देशन से भरेगा।[15] समिति की गणपूर्ति पांच से होगी।[16]

समिति की सीमित सदस्यता और सदन में दलों/वर्गों की संख्या अधिक होने के कारण सभापति के लिए प्रत्येक दल के सदस्यों को नामनिर्देशित करना संभव नहीं है। समिति को यथासंभव व्यापक बनाने के लिए जिससे इसकी सिफारिशें सदन में सभी वर्गों को स्वीकार्य हो सकें, उन दलों के नेताओं जिनकी सदस्य-संख्या पांच या उससे अधिक है और जिन्हें समिति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उन्हें समिति की बैठकों में विशिष्ट आमंत्रितियों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार उपसभाध्यक्ष के पैनल के सदस्यों को, जो पहले से ही समिति के सदस्य नहीं हैं, विशिष्ट आमंत्रितियों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे आमंत्रित सदस्य समिति की चर्चा में भाग लेते हैं लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है और उन्हें समिति की गणपूर्ति के लिए भी नहीं गिना जाता है। सदन के नेता और

राज्य सभा में प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री (मंत्रियों) को हमेशा समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है। विपक्ष के नेता को यदि वह पहले से ही समिति का सदस्य नहीं है, एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

कृत्य

समिति सरकारी विधेयकों तथा अन्य कार्यों के विभिन्न चरणों[17] तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के विभिन्न चरणों के लिए समय के नियतन की सिफारिश करती है।[18] समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो सभापति द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।[19] समिति कार्यों की अन्य मदों जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भी समय के नियतन की सिफारिश करती है,[20] यद्यपि ऐसी मदों के लिए समय नियतन की शक्ति सभापति में निहित है जो इस शक्ति का प्रयोग राज्य सभा के नेता के परामर्श से करेगा।[21] समिति 'अनियत दिन वाले प्रस्तावों' अल्पकालिक चर्चाओं, जिनकी सूचना सदस्यों द्वारा दी गई है और सभापति द्वारा गृहीत किए गए हैं, पर चर्चा के लिए उनका चयन करती है।[22] इसके अतिरिक्त सभा की बैठकें देर तक चलाने, (अपवाद स्वरूप मामलों में प्रश्नकाल)[23] छोड़ने या मध्याह्न भोजन समय छोड़ने अथवा कम करने और अतिरिक्त बैठकें निर्धारित करने/बैठकें रद्द करने या शनिवार[24] को बैठक निर्धारित करने के संबंध में सभी प्रस्ताव सामान्यतया समिति के समक्ष इसके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकार द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में वरीयता का निर्धारण किया जाता है। तथापि, समिति ने कुछ मामलों में समिति के समक्ष रखी गई कार्य की मद के लिए सत्र के दौरान चर्चा हेतु पर्याप्त समय न होने की स्थिति में कार्य की विशिष्ट मदों को वरीयता देने की संस्तुति की है या उस समय और तारीख का सुझाव दिया है जिसमें सदन में कार्य की उस मद को लिया जाएगा या कार्य की कुछ मदों को स्थगित करने की सिफारिश की है।

कभी-कभी, समिति ने, सरकार से सदन में कुछ विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए समय निकालने की **स्वत: प्रेरित** संस्तुति की है[25] और इस प्रकार की चर्चा के लिए तारीख या समय आवंटित करने की भी सिफारिश की है। एक बार समिति ने सिफारिश[26] की कि उपसभापति कुछ प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न मुद्दों पर आधे-घंटे की चर्चा को स्वीकार कर सकते हैं।[27]

कभी-कभी समिति यह सिफारिश कर सकती है कि सभा बिना किसी चर्चा के कार्य की किसी मद को निबटा सकती है[28] या दो या दो से अधिक कार्य की मदों की विषय-वस्तु एक जैसी होने पर, सभा में उन मदों पर साथ-साथ चर्चा की जा सकती है[29] या किसी दिन एक विशेष विधेयक पुर:स्थापित किया जा सकता है और उसे समिति के पास भेजा जा सकता है या एक ही बैठक में विधेयक के सभी चरणों पर विचार किया जा सकता है।

> समिति ने सिफारिश की कि सभा में 18 मई, 1995 को दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995 पुर:स्थापित किया जाए और उसे विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए तथा समिति दो दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और 22 मई, 1995 को विधेयक विचार और पारण के लिए लिया जाए।[30]

> समिति ने सिफारिश की कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1995 की छठी अनुसूची का असम राज्य के संबंध में उसके अनुप्रयोग के बारे में 17 अगस्त, 1995 को उसके पुर:स्थापन के तत्काल बाद विचार और पारण के लिए लिया जाएगा।[31]

समिति विधेयक या कार्य की किसी अन्य मद के संबंध में समय के आवंटन के लिए पहले से की गई सिफारिश की पुन: समीक्षा भी कर सकती है और उसकी तारीख और समय का पुन: निर्धारण कर सकती है।[32]

परिपाटी के अनुसार समिति उन मंत्रालयों की सिफारिश करती है जिनके कार्यकरण पर सभा बजट सत्र के दौरान चर्चा करती है और उस क्रम को भी निश्चित करती है, जिसके अनुसार कार्यकरण पर चर्चा की जाती है।[33]

चूंकि समिति को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों[34] और संकल्पों[35] के निबटान के लिए समय आवंटित करने की विशेष शक्ति दी गई है, इसलिए वह यह सिफारिश भी कर सकती है कि सभा शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को छोड़ सकती है ताकि अत्यावश्यक सरकारी विधायी और अन्य कार्यों को पूरा किया जा सके और उस सप्ताह [36] या परवर्ती[37] सप्ताह या अगले सत्र[38] में किसी अन्य दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए समय आवंटित कर दे। समिति शुक्रवार के ही दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय बदलने की भी सिफारिश कर सकती है।[39]

> पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसे अवसर आए हैं जब समिति ने यह सिफारिश की है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए आवंटित दिवसों को सरकारी कार्य के दिवसों में परिवर्तित कर दिया जाए या शुक्रवारों के स्थान पर अन्य दिवस आवंटित किये जाएं।[40]

> एक बार समिति ने सिफारिश की कि (1) मध्याह्न भोजनावकाश में आधे-घण्टे की कटौती की जानी चाहिए; (2) सभा को प्रतिदिन म०प० 6.00 बजे तक बैठना चाहिए; (3) गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित शुक्रवार के दिन को सरकारी कार्य के लिए आवंटित किया जाना चाहिए; और (4) सभा को सरकारी कार्य करने के लिए शनिवार के दिन बैठना चाहिए। एक सदस्य ने तर्क किया कि जहां तक समय आवंटित करने के समिति के कार्य का संबंध है, समिति की गैर-सरकारी सदस्यों के दिवस को सरकारी कार्य-दिवस में परिवर्तित करने से संबंधित सिफारिश नियमों की **शक्ति से बाहर** है। यह पहले से परिचालित की गई कार्यावलि को नकार देती है। सभापति ने कहा कि सत्र की शेष अवधि के दौरान अत्यावश्यक सरकारी कार्य को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने उनके समक्ष अभ्यावेदन किया कि एक विशेष दिन सरकारी कार्य के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने उस अनुरोध को कार्य मंत्रणा समिति के विचार जानने के लिए उसके पास भेजा। बैठक में यह सहमति हुई कि सरकार के अनुरोध को मान लिया जाए। तथापि, सभा के नेता के इस आश्वासन के बाद यह मामला समाप्त हुआ कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय देने पर विचार करेगी।[41]

कई अवसरों पर समिति ने कतिपय प्रक्रियात्मक या विशेष मामलों पर भी विचार किया है।

> 17 मार्च, 1986 को समिति ने सिफारिश की कि 1986 में निवृत्त हो रहे सदस्यों को 18 मार्च, 1986 को शुभकामनाएं दी जानी चाहिए।[42] 14 मार्च, 1995 को समिति ने सिफारिश की कि अब से प्रतिवर्ष 3 अप्रैल को उपयुक्त तरीके से 'राज्य सभा दिवस' के रूप में मनाया जाए।[43] 26 फरवरी, 1996 को चर्चा के बाद समिति ने सिफारिश की कि आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री एन० टी० रामाराव की मृत्यु पर सभा में 27 फरवरी, 1996 को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए।[44] समिति ने भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्यकरण के संबंध में राज्य सभा में चर्चा, जो 1970 में बजट सत्र से शुरू की गई थी, की प्रक्रिया को निर्धारित किया।[45] समिति ने उस समय का निर्धारण किया जिसमें सामान्यत: मंत्री सभा में वक्तव्य देंगे,[46] उस क्रम का निर्धारण किया जिसमें सदस्यों से प्राप्त स्पष्टीकरण के नोटिसों को क्रमबद्ध किया जाएगा[47] और मंत्रियों के वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रक्रिया विहित की।[48]

> एक अवसर पर समिति ने सिफारिश की कि सत्र के दौरान प्रति सप्ताह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अल्पकालिक चर्चा पर बहस की जानी चाहिए।[49]

> समिति ने समय-समय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण,[50] विशेष उल्लेख की सूचनाओं[51] और शून्य-काल के उल्लेखों[52] संबंधी प्रक्रिया पर भी विचार किया।

> समिति ने सिफारिश की कि भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभा की एक विशेष बैठक की जानी चाहिए।[53] समिति ने सभा में पच्चीस वर्ष की अबाधित सेवा पूरी करने वाले सदस्य, श्री भूपेश गुप्त को बधाई देने के लिए एक तारीख की सिफारिश की।[54]

समिति ने सभा की कार्यवाही के दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के मामले पर चर्चा की और सर्वसम्मति से सिफारिश की कि राज्य सभा की कार्यवाही को लोक सभा की कार्यवाही के साथ-साथ दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए।[55] समिति ने दूरदर्शन द्वारा लोक सभा की कार्यवाही को प्रसारित करने की स्थिति में इस सभा की प्रश्न काल की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के आकाशवाणी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी ताकि दोनों संचार माध्यमों से दोनों सभाओं के प्रश्न काल की कार्यवाही को दर्शकों और श्रोताओं को उपलब्ध कराया जा सके।[56] एक अन्य अवसर पर समिति ने सिफारिश की कि दोनों सभाओं के सामान्य महत्व के मामलों पर जैसे सभाओं की कार्यवाहियों का दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाना,[57] निर्णय लेने के लिए एक संयुक्त सामान्य प्रयोजन समिति गठित की जानी चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि जब राज्य सभा में शून्य काल और विशेष उल्लेख के मामलों को उठाया जाता है, तब राज्य सभा की कार्यवाही को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है।[58]

एक अवसर पर समिति ने देश में चुनाव रोकने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर महान्यायवादी को अपनी राय देने के लिए सभा में बुलाने संबंधी सुझाव पर विचार किया। समिति का यह विचार था कि उन्हें बुलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।[59]

समिति ने सिफारिश की कि सरकारी विधायी कार्य करने के लिए प्रतिदिन कम से कम चार घंटे का समय होना चाहिए।[60]

एक अवसर पर समिति ने संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभापति द्वारा उपस्थित किये गये प्रारूप संकल्प पर विचार किया और यह सुझाव दिया कि इसे सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए।[61]

समिति का कार्यकरण

प्रत्येक सत्र के आरंभ से पहले, संसदीय कार्य मंत्रालय से समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए सरकारी विधायी और अन्य कार्यों संबंधी एक कार्यक्रम प्राप्त होता है, जिसके लिए समय आवंटित किया जाना होता है। उसे समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

आरंभिक वर्षों में, समिति से सरकारी विधायी और अन्य कार्यों के निपटान के लिए समय के आवंटन हेतु जब कभी भी अनुरोध किया गया, तभी उसकी बैठक बुलाई जाती थी। वर्तमान परम्परा के अनुसार, सामान्यत: समिति की बैठक सत्र के पहले ही दिन बुलाई जाती है और तत्पश्चात् सत्र के दौरान प्रति सप्ताह बृहस्पतिवार को बुलाई जाती है।

समिति की साप्ताहिक बैठकें नवम्बर, 1977 से आरंभ हुईं। 12 मार्च, 1981 को यह सुझाव दिया गया था कि समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार को होनी चाहिए।[62] 25 मार्च, 1985 को यह निर्णय लिया गया कि (1) सदन के सत्र के दौरान समिति की बैठकें प्रत्येक बृहस्पतिवार और (2) प्रत्येक सत्र के उद्घाटन दिवस को बुलाई जाएं।[63]

समिति के निर्णय समिति के कार्यवृत्त में समाविष्ट किये जाते हैं जो समिति के सदस्यों और समिति की बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्रितियों और अन्य सदस्यों को भी परिचालित किये जाते हैं।

कार्य की विभिन्न मदों के लिये समय के आवंटन पर विचार किये जाते समय, समिति निम्न कारकों पर ध्यान देती है: (1) विधेयक का विस्तार और महत्व; (2) किसी विषय में सदस्यों की सामान्य रुचि और दिलचस्पी; (3) विगत में या लोक सभा में इसी प्रकार के मामलों के संबंध में लिया गया समय; (4) किसी उपाय को शीघ्र निपटाये जाने या उस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता और तात्कालिकता या अन्यथा; और (5) सभा के पास उपलब्ध कुल समय।

समय के आवंटन के संबंध में समिति का प्रतिवेदन

(क) नियमों में उपबंध

किसी विधेयक अथवा अन्य कार्य के बारे में समिति द्वारा अनुशंसित समय का आवंटन सभापति अथवा, उनकी अनुपस्थिति में, उपसभापति द्वारा सभा को सूचित किया जाना और संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है।[64] सूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उपसभापति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा, ''कि राज्य सभा, यथास्थिति अमुक-अमुक विधेयक या विधेयकों, अथवा अन्य कार्यों के बारे में समिति द्वारा प्रस्तावित समय के आवंटन से सहमत है'' और यदि ऐसा प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो वह इस प्रकार से प्रभावी होगा, जैसेकि सभा का आदेश हो। इस प्रकार के प्रस्ताव के संबंध में यह संशोधन उपस्थित किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के अथवा किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को पुन: सौंपा जाये। इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जा सकेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोल सकता।[65]

सभापति के पास विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय के नियतन के क्रम के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम या अन्य कार्य के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रस्ताव पर तुरंत मत लेने की शक्ति है।[66]

समय के नियतन के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जब तक कि सभापति ऐसा न करे, जो सदन का अभिप्राय मालूम करके यदि इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है तो वह ऐसा परिवर्तन कर सकेगा।[67]

(ख) स्थापित प्रक्रिया और पद्धति

तथापि, उपर्युक्त प्रक्रिया का प्राय: इसके आरंभ से वास्तविक व्यवहार में अनुसरण नहीं किया जाता। सुस्थापित पद्धति के अनुसार, सभापीठ द्वारा सदन को समिति की सिफारिशें सामान्यत: उसी दिन घोषणा के रूप में सूचित कर दी जाती हैं जिस दिन समिति की बैठक होती है (या अगले दिन)। यह घोषणा उसी दिन के संसदीय समाचार में अधिसूचित की जाती है। घोषणा को अंतिम समझा जाता है और तत्संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता।

> 5 अगस्त, 1952 को हुई अपनी पहली ही बैठक में, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय विधेयकों और एक गैर-सरकारी संकल्प के लिए समय आवंटित किया। समिति इस बात पर सहमत थी कि जबकि सामान्यत: सभापति समिति द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम को स्वीकार कर सकता है; तथापि, राज्य सभा को तत्कालीन नियम 28ङ (वर्तमान नियम 34 के तत्समान) में यथाविचारित कोई औपचारिक सूचना भेजना या समय के आवंटन का क्रम आवश्यक था। तथापि, निवारक निरोध (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952 के संबंध में इस पर चर्चा के विभिन्न चरणों के लिए समिति ने एक विस्तृत समय-तालिका का प्रस्ताव रखा था। सभापति ने उस विधेयक के लिए समय के आवंटन के आदेश के संबंध में प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए समिति के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया।[68] सभापति ने समिति के परामर्शानुसार सदन में समय-तालिका की घोषणा करते हुए अंत में यह कहा, ''मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस व्यवस्था को पर्याप्त संतोषजनक होना पायेंगे।''[69] कोई औपचारिक प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया था।
>
> तथापि, 14 अप्रैल, 1955 को, सभापति द्वारा समय के आवंटन की घोषणा के पश्चात् उपसभापति ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया: ''यह सदन आज सभापति द्वारा यथाघोषित सरकारी कार्य के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय के आवंटन से सहमत है।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।[70]

23 अगस्त, 1955 को हुई अपनी नौवीं बैठक में समिति ने यह सिफारिश की कि, समिति द्वारा यथाप्रस्तावित समय के आवंटन के संबंध में सदन में कोई प्रस्ताव उपस्थित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, सभापति द्वारा सदन में समय के आवंटन की घोषणा सामान्य ढंग से की जाएगी और उक्त आशय का संसदीय समाचार भी प्रकाशित किया जाएगा।[71]

(ग) उक्त परिपाटी पर आपत्ति

सदन की परिपाटी और समिति द्वारा समय के आवंटन से संबंधित नियमों के उपबंधों के बारे में अनेक अवसरों पर प्रश्न उठाए गए हैं।

उदाहरणार्थ, 29 अगस्त, 1966 को (समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में) उपसभापति की इस घोषणा के संदर्भ में कि विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1966 पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटा आवंटित किया है, यह प्रश्न किये गये थे कि क्या उक्त नियम का पालन किया जा रहा है। एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि एक औपचारिक प्रस्ताव द्वारा सदन की यह इच्छा मालूम की जानी चाहिए कि क्या सदन विद्यमान परिपाटी का पालन करना चाहता है या विद्यमान परिपाटी में कोई संशोधन किया जाना चाहिए और उसे नियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उपसभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> ...ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां विधि जैसी चीज भी है और परिपाटी और अभिसमय जैसी चीज भी है जिन्हें हमने अनेक वर्षों में स्थापित किया है। हमने किसी निश्चित नियम का पालन नहीं किया है कि हमें प्रस्ताव लाना चाहिए... हमने... घोषणा करने की अन्य परिपाटी को अपनाया है, क्योंकि हमने इसे सदन के सभी वर्गों के लिए संतोषप्रद पाया है और सभापीठ द्वारा भी अपने विवेक का उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई औपचारिक प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है और उसे स्वीकार किया जाता है, तो यह कठोर बात हो जाएगी और यदि यह निर्धारित किया जाता है कि एक घंटा समय दिया जाता है, तो समय एक घंटे से अधिक नहीं दिया जाएगा। सभापति अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि यह बात औपचारिक प्रस्ताव के रूप में है, तो सभापति ऐसे अवसरों पर अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं यह बात सदन की इच्छा पर छोड़ देता हूं कि क्या माननीय सदस्यगण कोई कठोर व्यवस्था चाहते हैं, क्या सभापति एक मिनट तक का ध्यान रखेंगे और समयावधि की पाबंदी का पालन करेंगे और विधि का कड़ाईपूर्वक पालन करेंगे या क्या आप वर्तमान परिपाटी को ही जारी रखना चाहते हैं जोकि बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। मैं वही करूंगा जो कि सदन की इच्छा होगी। यदि सदन यह निर्णय करना चाहता है कि औपचारिक प्रस्ताव उपस्थित किया जाना चाहिए तो इस मामले को सही निर्णय लिए जाने के लिए सभापति को सुपुर्द किया जा सकता है।

उपसभापति की टिप्पणियों से सहमत होते हुए सदन के नेता (श्री एम॰ सी॰ छागला) ने आगे कहा:

> यदि हम सदन के समक्ष एक औपचारिक संकल्प लाते हैं तो इस पर लंबी तथा कटु चर्चा होगी तथा कार्यक्रम तैयार करना और अधिक कठिन हो जायेगा। अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रथा को जारी रहने दिया जाये। मैं....इस बात से सहमत हूं कि...कार्य मंत्रणा समिति ने जो भी निर्णय लिया था उसकी औपचारिक घोषणा होने के बाद सभापति समय बढ़ाने तथा उसका समायोजन करने के लिए स्वतंत्र है ताकि किसी मद विशेष के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित हो सके। जब सभापीठ को ऐसा लगता है कि समय पर्याप्त नहीं है तो मुझे विश्वास है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करेगा तथा समय बढ़ा देगा। अत: मैं सभा से हस्तक्षेप न करने तथा वर्तमान प्रथा को जारी रहने देने का अनुरोध करता हूं।[72]

8 मार्च, 1966 को यह मामला समिति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के दिन को सरकारी कार्य दिवस में बदलने की सिफारिश के संदर्भ में फिर आ गया। एक सदस्य ने तर्क दिया कि सभा में की गई घोषणा नियम 35 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया था और जबकि सभा द्वारा सामान्यत: सिफारिश का अनुमोदन किया जाना था। वह भी तब जब कि कार्य में मूलभूत रूप से परिवर्तन किया गया यथा गैर-सरकारी सदस्य दिवस को सरकारी कार्य दिवस में रूपांतरित कर दिया गया।[73]

25 नवम्बर, 1966 को जब सभापीठ ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार सरकारी तथा अन्य कार्य के लिए समय आवंटन की घोषणा की तो किसी विधेयक को छोड़ने के लिए मुद्दा उठाया गया। उपसभापति ने व्यवस्था दी कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यह सभा को तय करना है कि क्या वर्तमान परंपरा का अनुसरण किया जाना चाहिए अथवा नियम में दिए गए किसी औपचारिक प्रस्ताव को उपस्थित किया जाना चाहिए।[74]

घोषणा के बाद उठाए जा रहे इसी प्रकार के मुद्दों के संबंध में सभापति ने इसे सभा में इस बात पर आम सहमति जानने के लिए रखा कि क्या समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाये।[75]

जब एक सदस्य ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की घोषणा के पश्चात्) कि एक उपयुक्त प्रस्ताव होना चाहिए, तब उपसभापति ने टिप्पणी की:

> यह प्रक्रिया सदस्यों तथा सभा की सुविधा के लिए अपनाई गई है क्योंकि जब हम किसी प्रस्ताव को किसी बात पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करते हुए स्वीकार करते हैं तो दो घंटे का अर्थ केवल दो घंटे ही है—कभी-कभी हम सभापीठ तथा सभा के विवेक से तीन घंटे अथवा चार घंटे का समय ले लेते हैं। अत: यह प्रक्रिया मुद्दों पर समुचित चर्चा कराने के लिए ही अपनाई गई है।[76]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का अनुमोदन किये जाने का मामला 8 दिसम्बर, 1978 को फिर उठाया गया। उपसभाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रथा के अनुसार किसी प्रस्ताव और किसी संशोधन को अनुमति नहीं दी गई है और सभापीठ ने केवल समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया था।[77]

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक बार महासचिव ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की घोषणा की परिपाटी के संबंध में सदन में सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों से समिति को अवगत कराया और समिति से मार्गदर्शन मांगा। कुछ चर्चा के बाद आम सहमति यह थी कि वर्तमान परंपरा जारी रहनी चाहिए।[78]

(घ) नियम समिति के विचार

नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि नियम 35 में निर्धारित की गई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए (अर्थात् समय आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार करना)। समिति का विचार था कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सभा में घोषणा किए जाने की परंपरा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इसे जारी रखना चाहिए। समिति का यह भी विचार था कि सभापति उपयुक्त मामलों में कार्य मंत्रणा समिति के किसी सदस्य को प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नामित कर सकते हैं, जैसाकि नियम 35 में दिया गया है।[79]

समय के आवंटन की घोषणा न किया जाना

कई अवसरों पर समिति यह सिफारिश कर सकती है कि समिति द्वारा सरकारी अथवा अन्य कार्य के लिए किए गए समय आवंटन के संबंध में कोई घोषणा न की जाये।

23 अगस्त, 1966 को हुई समिति की बैठक में समिति ने सरकारी कार्यों तथा गैर-सरकारी सदस्य के कार्यों की कतिपय मदों के लिए समय आवंटित किया। इसने अतिरिक्त मदों के लिए भी समय आवंटित किया किंतु निर्णय लिया कि अतिरिक्त मदों के लिए समय आवंटन संबंधी घोषणा फिलहाल नहीं की जाएगी।[80]

15 दिसम्बर, 1978 को हुई समिति की बैठक में प्रधान मंत्री तथा पूर्व गृह मंत्री के पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में किसी अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय प्रदान करने संबंधी मामले पर चर्चा की गई। चूंकि बैठक में किसी सरकारी विधायी तथा अन्य कार्य के लिए कोई समय आवंटित नहीं किया गया, समिति का मत था कि इस संबंध में सभा में कोई औपचारिक घोषणा न की जाए।[81]

समिति की सिफारिशों की प्रकृति

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें मात्र अनुशंसात्मक हैं और समिति द्वारा चर्चा के लिए अनुशंसित कोई विषय उस मामले में प्रयोज्य अन्य नियमों के अध्यधीन है।

6 मई, 1958 को उपसभापति ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की घोषणा की। चर्चा के लिए जिन मदों की सिफारिश की गई थी उनमें से एक मद खाद्य स्थिति भी थी। जब तीन से चार दिनों तक मामला कार्यावलि में सम्मिलित नहीं हुआ तो एक सदस्य ने इसको शामिल न किए जाने के बारे में मुद्दा उठाया [तत्कालीन नियम 28 ज के संदर्भ में (वर्तमान नियम 37 से कुछ कुछ अनुरूप)], उपसभापति ने व्यवस्था दी:

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें मात्र अनुशंसात्मक हैं और अन्य कार्य नियमों के अध्यधीन हैं। चूंकि चर्चा किसी प्रस्ताव के आधार पर थी, सभापति को समय नियमों के अनुसार निश्चित करना था। नियमों में यह नहीं कहा गया है कि चूंकि यह मद कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों में सम्मिलित है, इसे अवश्य लिया जाना चाहिए।[82]

याचिका समिति

याचिकाएं

शिकायतों के निवारण के लिए याचिका देने की अवधारणा को संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता मिली हुई है जिसमें उपबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार है।[83] राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अध्याय 10 में लोगों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत करने तथा इस प्रयोजन हेतु सभा की विशेष रूप से गठित समिति द्वारा उन पर विचार करने संबंधी नियम सम्मिलित हैं।[84]

याचिकाओं का विषय-क्षेत्र

सभापति की सहमति से ऐसे विधेयक के संबंध में याचिकाएं राज्य सभा को उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी[85] जो प्रकाशित किया गया हो अथवा पुर:स्थापित किया गया हो अथवा जिसके बारे में प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो;[86] अथवा कोई ऐसा अन्य विषय जो राज्य सभा के विचाराधीन कार्य से संबंधित हो;[87] अथवा कोई विषय जो सामान्य लोक हित का हो परंतु ऐसा न हो[88] जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी कानूनी न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी **अर्द्धन्यायिक** निकाय या आयोग के संज्ञान में हो; अथवा जिससे ऐसे विषय उठते हों जिनसे भारत सरकार मुख्यतया संबंधित न हो, अथवा जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प के द्वारा उठाया जा सकता हो; अथवा जिसके लिये, विधि के अधीन, जिसमें अधीनस्थ विधान (अर्थात् नियम, विनियम या उपविधियां सम्मिलित होंगी जो केन्द्रीय सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हों) उपचार उपलब्ध है।[89] साधारणतया, सभापति द्वारा सभा को याचिका उपस्थित या प्रस्तुत किए जाने की सहमति देने से पहले, यदि आवश्यक हो, तो इस याचिका की जांच, इसकी विषय-वस्तु प्रथम दृष्टया अनुमत विषय-क्षेत्र के भीतर है या नहीं के बारे में सरकार की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद की जाती है।

याचिका का सामान्य प्रपत्र

याचिका एक विहित प्रपत्र में दी जायेगी। याचिका का सामान्य प्रपत्र राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों की प्रथम अनुसूची में दिया गया है और उसे ऐसे परिवर्तनों के साथ जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उसे इस प्रकार उपयोग में लाया जाये तो वह पर्याप्त होगा[90] जैसाकि प्रपत्र में देखा जा सकता है, याचिका औपचारिक रूप से राज्य सभा को संबोधित की जानी चाहिए, उसमें संक्षेप में याचिकादाता का नाम और पद या उसका विवरण होना चाहिए, याचिका देने वाले के मामले का संक्षिप्त विवरण और जिस विषय से उसका संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी[91]

(उदाहरणार्थ–''कि विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही की जाये या न की जाये'' या ''याचिका देने वाले (वालों) के मामले के लिए विधेयक में विशेष उपबंध किया जाये'' या राज्य सभा के समक्ष विधेयक या विषय अथवा सामान्य लोकहित के विषय के संबंध में कोई अन्य समुचित प्रार्थना)। प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण और संयत भाषा में अभिव्यक्त होगी। प्रत्येक याचिका हिंदी या अंग्रेजी में होगी। यदि कोई याचिका किसी अन्य भाषा में दी जाये, तो उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा और उस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर होंगे।[92]

सचिव को हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954 से संबंधित नौ याचिकायें तेलुगु भाषा में प्राप्त हुईं। मामले की सूचना 28 नवम्बर, 1955 को सदन में दी गयी। समिति ने याचिकाओं पर विचार किया और निदेश दिया कि विधेयक के विस्तार हेतु एक पत्र के रूप में उसके अंग्रेजी अनुवाद को परिचालित किया जाये।[93]

याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और उसका प्रमाणीकरण हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा, यदि साक्षर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो तो उसके अंगूठे के निशान से किया जायेगा।[94] किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य प्रलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे।[95] यदि याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थित की जाये तो प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा।[96]

याचिका का सदन में उपस्थापित किया जाना

जो सदस्य सदन में याचिका उपस्थापित करना चाहता है वह महासचिव को याचिका उपस्थित करने के अपने इरादे की पूर्व सूचना देगा।[97] ऐसी याचिका मिलने पर याचिका से संबंधित नियमों के अनुसार उसकी ग्राह्यता का निर्णय करने के लिए सचिवालय में उसकी जांच की जाती है। यदि सभापति याचिका को ग्रहण कर लेता है तो संबद्ध सदस्य को उसके लिए सुविधाजनक तिथि को याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जायेगी और उस दिन की कार्यावलि में याचिका को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रविष्टि कर दी जायेगी। कार्यावलि में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के तत्काल बाद प्रस्तुत की जाने वाली मदों को सम्मिलित किया जाता है।

लोक सभा का सदस्य ऐसी याचिका दे सकता है जिसे राज्य सभा में राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। उदाहरणार्थ, श्री राम कंवर बेरवा, संसद् सदस्य (लोक सभा) द्वारा हस्ताक्षरित बेरवा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में अंतर्विष्ट करने से संबंधित एक याचिका राज्य सभा में प्रस्तुत की गयी थी।[98]

याचिका प्रस्तुत करने वाला सदस्य स्वयं को प्रपत्र में इस कथन तक सीमित रखेगा: ''मैं... से संबंधित याचिका देने वाले (वालों).... द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं'' जैसाकि कार्यावलि में दिया गया है। इस कथन पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जायेगी।[99]

महासचिव द्वारा याचिका को प्रतिवेदित करना

प्रक्रिया विषयक नियमों में यह प्रावधान है कि याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थित की जाए या महासचिव को अग्रेषित की जाए।[100] बाद की स्थिति में महासचिव द्वारा सभा को तथ्य के बारे में सूचित किया जाता है। राज्य सभा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सचिव ने अनेक अवसरों पर सदन के समक्ष लंबित विधेयकों के संबंध में उन्हें प्राप्त हुई याचिकाओं को सदन को प्रतिवेदित किया था।

सचिव ने हिन्दू विवाह और विवाह विच्छेद विधेयक, 1952 से संबंधित याचिकायें प्रतिवेदित की थीं। (विभिन्न बैठकों में कुल एक सौ तिहत्तर याचिकायें प्रतिवेदित की गयी);[101] भारतीय टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1954, जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को भेजा गया;[102] दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1955;[103] संविधान (चौथा संशोधन)विधेयक, 1954;[104] हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक,

1954 (नौ याचिकायें);[105] राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956 (विभिन्न बैठकों में दो सौ तैंतीस याचिकायें प्रतिवेदित की गयीं);[106] लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल विधेयक, 1959 (चार याचिकायें);[107] बम्बई पुनर्गठन विधेयक, 1960 (दो याचिकायें);[108] अधिलाभकर विधेयक, 1963;[109] पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966 (दो याचिकायें)।[110] इसके अतिरिक्त, सचिव ने एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा 8 दिसम्बर, 1952 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किये गये कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1952 से संबंधित याचिकायें (दो बैठकों में कुल चार सौ प्रतिवेदित की गयीं) को भी प्रतिवेदित किया।[111]

याचिका को समिति को सौंपा जाना

प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थापित किये जाने अथवा महासचिव द्वारा सूचित किये जाने के बाद याचिका समिति को सौंपी गयी समझी जायेगी।[112]

गठन

सभापति समय-समय पर एक याचिका समिति नामनिर्देशित करता है जिसमें दस सदस्य होते हैं।[113]

समिति सर्वप्रथम 1952 में गठित की गयी थी जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य थे। पांच लोगों की सदस्यता 1964 तक रही जब उसे बढ़ाकर दस कर दिया गया।[114]

समिति का अध्यक्ष राज्य सभा के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो वह समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।[115] समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नई समिति को नामनिर्देशित न कर दिया जाये।[116] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा नामनिर्देशन के जरिये की जायेगी।[117] समिति की गणपूर्ति पांच से होगी।[118]

कार्य

1964 के वर्ष तक राज्य सभा में केवल ऐसे विधेयकों से संबंधित याचिकायें प्राप्त की जा सकती थीं जो (1) भारत के राजपत्र में प्रकाशित या सदन में पुर:स्थापित किये गये हों अथवा जिनके संबंध में नियमों के अधीन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त की गयी हो अथवा (2) राज्य सभा के समक्ष लंबित पड़े कार्य से संबंधित मामलों से संबंधित याचिकायें प्रस्तुत की जा सकती थीं। इस प्रकार समिति का कार्य सीमित था। समिति केवल सदस्यों की सूचना के लिए विस्तृत[119] या संक्षिप्त[120] रूप में याचिकाओं के परिचालन की सिफारिश करती थी ताकि सदस्य यदि वे चाहें तो याचिका में उल्लिखित मुद्दों का अनुसरण करके सदन में विधेयक के अनुक्रम को प्रभावित कर सकें। 1964 के बाद से जब राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों को संशोधित किया गया तब से समिति के कार्य-क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। संशोधित नियमों के अधीन किसी सामान्य जनहित के मामले से संबंधित याचिकायें भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।[121]

अत: समिति के कार्य इस प्रकार हैं: (1) उसे सौंपी गयी प्रत्येक याचिका की जांच करना;[122] और (2) उस याचिका में की गयी विशिष्ट शिकायतों को वह, ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद जिसे वह ठीक समझे राज्य सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से संबंधित ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए, उपचारी उपायों का सुझाव देना।[123]

समिति का कार्यकरण

व्यवहार्यत: समिति उन याचिकाओं को, जोकि विधेयकों अथवा सदन के समक्ष लंबित मामलों से विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप से संबंधित हैं, सदस्यों को परिचालित करने का आदेश देती है।

संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक, 1954 को सचिव द्वारा प्रतिवेदित याचिका के संबंध में, समिति ने पाया कि याचिका देने वाले ने अपनी प्रार्थना के समर्थन में अनेक उदाहरण उद्धृत किये थे और चूंकि वे मामले

दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित थे और वे मामले निर्णयाधीन थे। अत: समिति ने इस विधेयक के पत्र के रूप में कुछ पैराओं की विषय-वस्तु एवं याचिका के अंतिम निवेदन को समाविष्ट करते हुए याचिका के सारांश का परिचालन करने का निर्देश दिया।[124]

समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में राज्य पुनर्गठन विधेयक से संबंधित याचिकाओं के विस्तृत परिचालन का निर्देश दिया था।[125] इसी विधेयक के संबंध में प्राप्त अनुवर्ती याचिकाएं जो पूर्व प्राप्त याचिकाओं के समरूप थीं, समिति ने निर्देश दिया कि इनके परिचालन की आवश्यकता नहीं है और सदस्यों को केवल तत्संबंधी प्रतिवेदन ही परिचालित किए जाएं।[126]

जहां तक सामान्य लोक हित के मामलों से संबंधित याचिकाओं का संबंध है, समिति इनमें उल्लिखित परिवादों एवं शिकायतों का गहन परीक्षण करती है; सरकार के संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों से औपचारिक टिप्पणियां मंगवाती है तथा याचिका की विषय-वस्तु के संबंध में मंत्रालयों अथवा विभागों के प्रतिनिधियों और याचिकादाताओं सहित साक्षियों से पूछताछ करती है। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य सरकारों से भी सूचना मंगाई जा सकेगी और राज्य सभा के सभापति की पूर्व अनुमति से समिति द्वारा राज्य सरकारों के अधिकारियों से पूछताछ भी की जा सकेगी।[126क] समिति याचिका के विषय से संबंधित समस्या की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए मौके पर जाकर अध्ययन भी करती है।

राज्य सभा के सभापति ने समिति के आंतरिक कार्यकरण के लिए इसे नियम बनाने में सक्षम करने हेतु 22 जून, 1976 को निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

''याचिका समिति इसके पास संदर्भित याचिका से संबंधित सभी मामलों, सभा में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित, के संबंध में अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।''[127]

निर्देश के अनुसरण में समिति ने अपने आंतरिक कार्यकरण नियम बनाए हैं जो अधोलिखित हैं:

सभा में याचिका प्रस्तुत किये जाने अथवा उसकी सूचना दिये जाने के पश्चात्, सचिवालय समिति के सदस्यों के सूचनार्थ याचिका की प्रतियां परिचालित करता है, साथ ही याचिका से संबंधित तथ्यों अथवा टिप्पणियों का परिचालन भी किया जाता है जब कभी संबंधित मंत्रालय से ये प्राप्त हों।

जब समिति की बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित किया जाता है तब कार्यसूची सहित तत्संबंधित सूचना समिति के सदस्यों को परिचालित की जाती है।

समिति को परिचालित पत्रों को गोपनीय समझा जाता है और इनकी विषय-वस्तु को समिति-अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता।

समिति-अध्यक्ष के आदेशों से किसी ऐसे सदस्य को भी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जो समिति का सदस्य नहीं है किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जाता है। सचिवालय समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त तैयार करता है। इस तथ्य का उल्लेख संबद्ध बैठक के कार्यवृत्त में किया जाता है कि साक्ष्य समिति के समक्ष दिया गया है। समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

समिति द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिये जाने पर मामले के तथ्य अथवा याचिका के संबंध में संबद्ध मंत्रालय की टिप्पणियां सचिवालय मंगवाता है और उन्हें समिति के विचारार्थ रखा जाता है।

सचिवालय समिति की सिफारिशों को अंतर्विष्ट करते हुए प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करता है जिसे अनुमोदनार्थ समिति के समक्ष रखा जाता है।

सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र उसकी प्रतियां सभा के सदस्यों और संबद्ध मंत्रालयों को परिचालित की जाती हैं। प्रतिवेदन की एक प्रति संबद्ध याचिकादाता को भी भेजी जाती है। यदि याचिका पर एक से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों, तब प्रतिवेदन की प्रति पहले हस्ताक्षरी को भेजी जाती है।

मंत्रालयों को प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि से छः मास की अवधि के भीतर समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर कृत कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सचिवालय को भेजना होता है। इस प्रकार प्राप्त सूचना को ज्ञापनों के रूप में समिति के विचारार्थ रखा जाता है।

जहां कोई मंत्रालय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित कराने की स्थिति में नहीं है अथवा इन्हें प्रवृत्त करने में किन्हीं कठिनाइयों का अनुभव करता है, वहां मंत्रालय के विचारों को समिति के समक्ष रखा जाता है, जो, यदि आवश्यक हो, इस मामले में मंत्रालय के मंतव्यों पर विचार करने के पश्चात् सभा में और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।[128]

प्रतिवेदन

समिति के प्रतिवेदन को सभा में समिति-अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है।[129] प्रतिवेदन में याचिका की विषय-वस्तु, हस्ताक्षरी व्यक्तियों की संख्या तथा क्या वह नियमों (याचिका से संबंध) के अनुरूप है और साथ ही क्या परिचालन का निर्देश दिया गया है अथवा नहीं, का उल्लेख करना होता है।[130]

> राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के मामले में समिति ने समुक्ति की कि उनमें से कुछ उपयुक्त प्ररूप में नहीं थीं, न तो प्रत्यक्षतः संबोधित और न ही उनकी भाषा उपयुक्त थी। अतः समिति ने महसूस किया कि याचिका की विषय-सूची को सूचित करना ही पर्याप्त होगा। समिति ने यह भी समुक्ति की कि जब कोई सदस्य किसी याचिका को प्रस्तुत करता है, तब उसे याचिका की संवीक्षा स्वयं ही करनी चाहिए।[131] इसके पश्चात् सचिव द्वारा सभा में और याचिकाएं प्रतिवेदित की गईं और उन्हें समिति को भेजा गया। इनका परिचालन नहीं किया गया क्योंकि वे विलम्ब से प्राप्त हुई थीं और सभा में इस विधेयक पर विचार कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला था। तथापि, समिति ने उनके मामले में केवल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।[132]
>
> अधिलाभ कर विधेयक, 1963 से संबंधित एक याचिका के बारे में सचिव द्वारा सभा को सूचित किया गया। याचिका की जांच करने पर समिति ने पाया कि इन्हें सम्मानित और संयमित भाषा में नहीं लिखा गया था। इसको देखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि इस याचिका के परिचालन की आवश्यकता नहीं है।[133]

विशिष्ट परिवादों के मामले में समिति को उपचारात्मक उपाय बताने होते हैं।[134]

प्रवर समिति के समक्ष लंबित विधेयकों संबंधी याचिकाओं का जहां तक संबंध है इन्हें उस समिति को भेजा जाता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956 के संबंध में प्राप्त याचिकाओं के मामले में, जिन्हें सचिव द्वारा सभा को सूचित किया गया था, समिति ने उन पर प्रतिवेदन दिये और उन प्रतिवेदनों की प्रतियों को विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों को अग्रेषित किया गया था।[135]

अभ्यावेदन

समिति व्यक्तियों और एसोसिएशनों से प्राप्त उन पत्रों और तारों सहित अन्य अभ्यावेदनों पर विचार नहीं करती जो याचिकाओं संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते। सचिवालय इन अभ्यावेदनों की संवीक्षा करता है और उन मामलों में जहां यह विचार किया जाता है कि अभ्यावेदन में उठाए गए मामले को संबद्ध मंत्रालय/विभाग के ध्यान में लाया जाए, इसे उस मंत्रालय अथवा विभाग के पास उचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाता है। सचिवालय इस प्रकार के अभ्यावेदनों और पत्रों के हस्ताक्षरकर्ताओं से कोई

पत्राचार नहीं करता है। पत्र और अभ्यावेदन जो गुमनाम होते हैं और जिनमें कोई अनुरोध विशेष रूप से समाहित नहीं होते हैं उन्हें सचिवालय में फाइल किया जाता है।

> नियम समिति ने एक समय इस सुझाव के साथ इस पर सहमति व्यक्त कर दी थी कि याचिका समिति व्यक्तियों अथवा संघों से शिकायतों को दूर करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों और तारों पर भी विचार करे और संस्तुति की कि सभापति इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करे।[136] तथापि, समिति ने बाद में इस निर्णय पर विस्तारपूर्वक पुनर्विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिका समिति नियमों और प्रक्रियाओं में उल्लिखित विद्यमान उपबंधों के दायरे में ही कार्य करे तथा इसके दायरे को विस्तृत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे कि यह उन याचिकाओं पर विचार कर सके जिन्हें नियमों और प्रक्रियाओं में समाहित नहीं किया गया है। वह भी इस तथ्य के दृष्टिगत कि इन याचिकाओं की अधिमानता के लिए अन्य सामान्य रास्ते भी खुले हुए हैं। अत: समिति का अपने पूर्व निर्णय के प्रतिस्थापन में यह विचार था कि सभापति को इस संबंध में निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।[137]

सदस्यों के आचरण के विरुद्ध भी कोई अभ्यावेदन इस परिपाटी के दृष्टिगत स्वीकार नहीं किया जाता है कि यह सभा अपने आंतरिक प्रक्रियागत मामलों में बाह्य हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देती है। इस सभा के सदस्यों के व्यक्तिगत आचरण के विरुद्ध शिकायतों को सभापति के समक्ष रखा जाता है और उन पर और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।[138]

विशेषाधिकार समिति

गठन

सभापति, समय-समय पर एक विशेषाधिकार समिति का नामनिर्देशन करता है जिसमें दस सदस्य होते हैं।[139] समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।[140] यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त करता है।[141] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।[142]

> 1958 से स्थापित अभिसमय के अनुसार उपसभापति को सदैव समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है और इसलिए उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सर्वप्रथम समिति का गठन 22 मई, 1952 को किया गया था और उसके प्रथम अध्यक्ष श्री बी॰ पट्टाभि सीतारमैया थे।[143] तद्नंतर नियुक्त किये गये समिति के अध्यक्ष थे: श्री सी॰ सी॰ बिस्वास, विधि मंत्री तथा सदन के नेता;[144] और श्री जी॰ बी॰ पंत, गृह मंत्री और सदन के नेता।[145] 1958 से[146] 1969-70 के अतिरिक्त जब श्री एम॰ सी॰ सितलवाड को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था,[147] उपसभापति को समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार नियुक्त किया जा रहा है।

समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा सदस्यों के नामनिर्देशन द्वारा की जाती है।[148] समिति कोई नयी समिति नामनिर्देशित होने तक कार्य करती है।[149] सामान्यत: समिति का पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष राज्य सभा की अन्य संसदीय समितियों के साथ किया जाता है। समिति की गणपूर्ति पांच से होती है।[150]

कार्य

(क) नियमों के अधीन

जब सदन द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी जाती है, तो सदन प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है अथवा या तो उस सदस्य द्वारा जिसने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकता है।[151] सदन

अपनी परिपाटी के अनुसार सामान्यत: उठाए गए प्रश्न के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व विशेषाधिकार प्रश्नों को समिति को सौंप देता है।

सभापति स्वत: विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को जांच, छानबीन तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए समिति को सौंप सकता है।[152] ऐसे मामलों में भी समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है और मामले में आगे कार्यवाही सदन के निर्णय के अनुसार की जाती है।

समिति का कर्त्तव्य है कि वह उसे सौंपे गये प्रत्येक विशेषाधिकार प्रश्न की जांच करे, प्रत्येक मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्धारित करे कि क्या उसमें किसी विशेषाधिकार का हनन अंतर्ग्रस्त है या नहीं, और यदि है, तो उसका स्वरूप क्या है, वह किन परिस्थितियों में हुआ है और उस पर वह ऐसी सिफारिश कर सकती है, जो वह ठीक समझे[153] जिसमें अपराधियों के लिए दंड का विशिष्ट स्वरूप शामिल है।[154] समिति उसके द्वारा की गयी सिफारिशों को अमली रूप देने के लिए सदन द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी सुझा सकती है।[155]

(ख) मंत्रणा कार्य

कभी-कभी सभापति ने विशेषाधिकार से संबंधित कतिपय मामलों के बारे में भी समिति से सलाह देने अथवा उन पर विशिष्ट रूप से विचार करने के लिए कहा है।

> दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों ने संयुक्त बैठकें कीं और ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रश्न के संबंध में एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिनमें एक सदन के किसी सदस्य अथवा अधिकारी ने कथित रूप से विशेषाधिकार का हनन या दूसरे सदन की अवमानना की हो।[156]
>
> समिति के लिए एक ऐसे व्यक्ति, जो भारत का राष्ट्रिक या नागरिक नहीं है, के बारे में विशेषाधिकार अधिकारिता के पहलू और ऐसे मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की जांच करना तथा सभापति को उसका प्रतिवेदन देना अपेक्षित था।[157]
>
> अन्य बातों के साथ-साथ समिति को संविधान के अनुच्छेद 79 की सही परिधि से संबद्ध प्रश्नों पर विचार करने तथा यह जानने के लिए कि क्या राष्ट्रपति के संबंध में किये गये आक्षेपों को संसदीय संस्था के प्रति अपमान की संज्ञा दी जा सकती है ताकि उसे विशेषाधिकार के दायरे में लाया जा सके, विशेष रूप से संबोधित करने के लिए कहा गया था।[158]
>
> समिति ने ऐसे मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को अधिकथित किया है जिसमें सदन के किसी सदस्य से दूसरे सदन अथवा राज्य विधान-मंडल अथवा उसकी किसी समिति के समक्ष साक्ष्य देने के वास्ते प्रस्तुत होने के लिए अनुरोध किया जाता है।[159]
>
> सभापति ने मुंबई के एक साप्ताहिक में छपे एक ऐसे लेख से उद्‌भूत मामले को समिति को उसकी राय हेतु सौंपा था जिसमें किसी सदस्य के संबंध में कतिपय आक्षेप लगाये गये थे।[160]
>
> एक अवसर पर, जब किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे और मंत्री ने उनसे इंकार किया और वे दोनों अपने मामलों को एक समिति के समक्ष साबित करने के लिए सहमत हो गये थे, तब सभापति ने मामले को ''यह सलाह देने के लिए कि मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए'' समिति को सौंपा था।[161]

(ग) दल-परिवर्तन विरोधी नियमों के अधीन

राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के 18 मार्च, 1986 से लागू होने से, जोकि सभापति द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के अधीन बनाये गये थे, समिति को एक अतिरिक्त कार्य सौंप दिया गया है। सभापति यदि मामले के प्रकार और परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, किसी सदस्य की दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित किसी याचिका को समिति को प्रारंभिक जांच करने तथा उसे प्रतिवेदन देने के लिए सौंप सकता है।[162]

शक्तियां

यदि समिति अपने कर्त्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे इसके लिए शक्ति प्राप्त है।[163] यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या समिति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य या किसी प्रलेख को प्रस्तुत किया जाना संगत है तो वह प्रश्न सभापति को सौंप दिया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।[164]

तथापि, सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार पर सकती है कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल है।[165]

महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा साक्षी को आमंत्रित किया जाता है और उसे, उपरोक्त शर्तों के अध्यधीन ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ते हैं जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।[166] तथापि, यह समिति के स्व-विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।[167]

समिति का कार्यकरण

समिति को विशेषाधिकार का कोई प्रश्न सौंपे जाने के बाद, समिति प्रश्न पर विचार करने के लिए समय-समय पर समवेत होती है।[168] सचिवालय समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित एक ज्ञापन[169] या पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करता है। ज्ञापन/टिप्पण में अंतर्ग्रस्त मुद्दा (मुद्दे), मामले के तथ्य और समिति के समक्ष प्रश्न से संबंधित कानून, पद्धति और पूर्वोदाहरण संक्षेप में दिये हुए होते हैं। इस ज्ञापन/टिप्पण को समिति के सदस्यों को उस बैठक की सूचना के साथ भेजा जाता है जिसमें समिति द्वारा मामले पर विचार किया जाना होता है। समिति महासचिव को यह भी कह सकती है कि वह इस मामले में अंतर्विष्ट तथ्य अथवा विधि के किसी विशिष्ट बिन्दु के संबंध में समिति के विचारार्थ एक ज्ञापन तैयार कराए।

> एम॰ ओ॰ मथाई के मामले में सचिव से यह अनुरोध किया गया था कि वह समिति के सूचनार्थ अन्य देशों विशेषत: यूनाइटेड किंगडम में सदन और उसके सदस्यों पर आक्षेप के संबंध में विधि और पूर्वोदाहरण निर्धारित करते हुए एक टिप्पण तैयार करे।[170]
>
> एक अन्य मामले में सचिव ने समिति के समक्ष एक पुलिस अधिकारी के मामले के संदर्भ में विधि एवं पूर्वोदाहरण को प्रस्तुत किया जिसमें पुलिस अधिकारी एक सदस्य के घर उसके द्वारा सभा में किये गए खुलासे के बारे में पूछने गया था।[171]
>
> एक अन्य मामले में समिति ने सचिवालय को राष्ट्रमंडल एवं अन्य देशों में पूर्वोदाहरणों, मामलों आदि, यदि कोई हों, का अध्ययन करने का निर्देश दिया जहां संविधान के अनुच्छेद 79 के समरूप उपबंध विद्यमान हैं ताकि समिति सभापति द्वारा संदर्भित संवैधानिक प्रश्नों की जांच करने में सक्षम हो सके।[172]

विशेषाधिकार के प्रश्न की जांच करते हुए समिति उस सदस्य की सुनवाई कर सकती है जिसने सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है[173] अथवा उसे लिखित वक्तव्य द्वारा अपने मामले को स्पष्ट करने की अनुमति दे सकती है।[174] अथवा विशेषाधिकार के विचाराधीन प्रश्न के संबंध में समिति के समक्ष अपने विचारों को रखने के लिए किसी अन्य सदस्य को सुन[175] भी सकती है अथवा उसे नहीं भी सुन सकती,

यदि ऐसा करना आवश्यक न हो।[176] कथित रूप से विशेषाधिकार का हनन करने वाले व्यक्ति को अथवा सभा की अवमानना करने वाले व्यक्ति को समिति के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण देने और व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने हेतु, यदि आवश्यक हो, अवसर प्रदान करना समिति की सामान्य परिपाटी रही है। समिति बाहरी व्यक्तियों अथवा संघ को अपने विचार-विमर्श में औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से संबद्ध नहीं करती है। तथापि, समिति, उसके विचाराधीन मामलों में विधि मंत्री की सहायता अथवा महान्यायवादी की सलाह मांग सकती है और पूर्ववर्ती से समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लेने का अनुरोध कर सकती है।[177]

> एक मामले में समिति ने विधि मंत्री की सलाह मांगी जिन्हें समिति में एक अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे में कतिपय अभिकथनात्मक वक्तव्यों से उत्पन्न विशेषाधिकार मामले के विधिक निहितार्थ के संबंध में आमंत्रित किया गया था।[178]

> समिति ने (1) अवमाननाकर्त्ता पर जुर्माना लगाने की संसद की शक्ति;[179] (2) अनुच्छेद 79 का दायरा और क्या राष्ट्रपति के संबंध में किए गए आक्षेप को संसदीय संस्था के प्रति अपमान की संज्ञा दी जा सकती है ताकि उसे विशेषाधिकार के दायरे में लाया जा सके;[180] और (3) विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में रहते हुए किसी भी विशेषाधिकार के हनन अथवा सभा की अवमानना किए जाने के लिए उन पर समिति का क्षेत्राधिकार जैसे मामलों में महान्यायवादी की राय मांगी थी।[181]

जहां तक दल-परिवर्तन के आधार पर किसी सदस्य की अनर्हता के प्रश्न पर विचार करते हुए समिति के कार्यकरण का संबंध है, समिति द्वारा आरंभिक जांच करने के प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सामान्यत: सभा के विशेषाधिकार हनन के किसी प्रश्न की उसके द्वारा जांच एवं निर्धारण करने वाली प्रक्रिया के समरूप होती है। समिति ऐसे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन उसे अपने मामले का अभिवेदन करने और समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना अनर्हता के अध्यधीन हो जाता है।[182]

प्रतिवेदन

सभा द्वारा विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न समिति को संदर्भित किए जाने के पश्चात् समिति को मामलों पर विचार करना पड़ता है और सभा द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिवेदन देना पड़ता है।[183] समय का नियतन संकल्प में ही कर दिया जाता है अथवा यदि सभापति प्रश्न को समिति के पास संदर्भित करता है तो समय का नियतन सभापति द्वारा किया जाता है।

> 7 अप्रैल, 1967 को सभापति ने सूचना दी कि एक सदस्य की गिरफ्तारी का मामला ''इस अनुरोध के साथ समिति को संदर्भित किया जा रहा है कि वह आगामी सत्रांत तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे''।[184]

> 7 सितंबर, 1970 को सभा ने समिति को इस अनुदेश के साथ विशेषाधिकार के हनन का एक परिवाद संदर्भित करते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह ''आगामी सत्र के अंत तक सभा को तद्विषयक प्रतिवेदन करे''।[185]

> 7 अप्रैल, 1971 को भी सभा ने एक अन्य परिवाद समिति को संदर्भित करते हुए इसी प्रकार का एक प्रस्ताव स्वीकार किया।[186]

जहां सभा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई समय निर्धारित न किया हो, वहां प्रतिवेदन को उस तिथि के एक मास के भीतर प्रस्तुत करना होता है जब समिति को इस संबंध में संदर्भित किया गया है।[187] तथापि, सभा एक प्रस्ताव पारित करके किसी भी समय यह निर्देश दे सकती है कि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट तिथि तक के लिए बढ़ा दिया जाए।[188]

न्यायालय में दायर किए गए एक हलफनामे में उल्लिखित कतिपय लेखों के कारण उत्पन्न हुए विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न को एक प्रस्ताव पारित करके सभा ने 1 मई, 1963 को समिति को भेजा। समिति ने अपना आरंभिक प्रतिवेदन[189] 16 दिसंबर, 1963 को यह संस्तुति करते हुए प्रस्तुत कर दिया कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इसे और समय दिया जाए। सभा ने प्रतिवेदन में उल्लिखित संस्तुति अर्थात् कुछ और समय बढ़ाये जाने पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए 17 दिसम्बर, 1963 को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन[190] 7 दिसंबर, 1966 को प्रस्तुत किया।

7 अप्रैल, 1967 को सभापति ने सभा में एक घोषणा द्वारा किसी सदस्य की गिरफ्तारी का मामला समिति को इस अनुरोध के साथ भेजा कि वह आगामी सत्र के अंत से पूर्व तद्विषयक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। समिति द्वारा यथा प्राधिकृत, समिति के अध्यक्ष ने सभा में 23 जून, 1967 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र (61वां सत्र) के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव उपस्थित किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रतिवेदन 14 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत किया गया।[191]

श्री राम नाथ गोयनका के विरुद्ध शिकायत सभा द्वारा 7 सितंबर, 1970 को इस अनुदेश के साथ समिति को भेजी गयी कि वह आगामी सत्र (74वां सत्र) के अन्त से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। इस समिति को सर्वप्रथम 75वें सत्र[192] के अंत तक समय बढ़ाये जाने की अनुमति दी गयी और उसके बाद, 76वें सत्र के अंत तक समय बढ़ाया गया।[193] समिति ने 11 जून, 1971 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।[194]

सभा ने समिति के चौदहवें प्रतिवेदन की विषय-वस्तु को 7 अप्रैल, 1971 को इस अनुदेश के साथ समिति को भेजा कि वह आगामी सत्रांत से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। समिति ने तदनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार सभा द्वारा 9 सितम्बर, 1966 को और 5 जून, 1967 को समिति के पास भेजी गयी शिकायतों के मामले में, समिति ने प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अर्थात् आगामी सत्र के दौरान[195] एवं आगामी सत्रांत से पूर्व[196] क्रमशः अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर दिया।

सभा ने 10 मई, 1974 को समिति के पास एक और शिकायत भेजी और इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय निर्दिष्ट नहीं किया। तथापि, समिति ने 18 फरवरी, 1975 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।[197]

इसी प्रकार, एक अन्य शिकायत के मामले में, जिसे सभा द्वारा 17 मई, 1979 को समिति के पास भेजा गया था, समिति ने 17 मार्च, 1980 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।[198]

समिति के प्रतिवेदन पर उसकी ओर से समिति का अध्यक्ष हस्ताक्षर करता है।[199] परन्तु जब समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा वह तत्काल उपलब्ध न हो, तो उस अवस्था में समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति किसी अन्य सदस्य का चयन कर सकती है।[200] सामान्यतः चली आ रही प्रथा के अनुसार, समिति के समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्य को समिति के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जाता। तथापि, मामले के संबंध में प्राप्त हुए लिखित स्पष्टीकरणों/कथनों इत्यादि को प्रतिवेदन के साथ नत्थी कर दिया जाता है।[201]

असहमति का कोई कार्यवृत्त प्रतिवेदन के साथ नहीं जोड़ा जाता, परन्तु समिति प्रतिवेदन या कार्यवृत्त में यह उल्लेख कर सकती है कि अमुक सदस्य ने प्रतिवेदन या इसके निष्कर्षों या सिफारिशों पर असहमति प्रकट की है। समिति ने प्रतिवेदन में शामिल करने योग्य किसी सदस्य (सदस्यों) के विचारों से सम्बद्ध टिप्पण (टिप्पणों) को भी उसमें सम्मिलित करने की अनुमति दे दी है।

एक मामले में समिति ने एक पैरा में यह कहा था कि समिति का एक सदस्य समिति के बहुमत विचार से सहमत नहीं था। संबंधित सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया टिप्पण, जिसमें उसने अपनी असहमति प्रकट की थी, प्रतिवेदन के साथ जोड़ दिया गया।[202]

एक अन्य मामले में, समिति ने प्रतिवेदन के संगत पैरा के अन्त में यह उल्लेख किया कि एक सदस्य विशेष अमुक विचार से सहमत नहीं था।[203]

समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के संबंध में, समिति के तीन सदस्यों ने अवमानना करने वालों को दिए जाने वाले दण्ड के प्रश्न पर अपने-अपने टिप्पण प्रतिवेदन में जोड़े थे।[204]

समिति के अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किए गए समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित किया जाता है।[205] सामान्यत:, समिति उस तारीख को पहले ही नियत कर देती है जब उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

प्रतिवेदन पर विचार

सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद, समिति के अध्यक्ष या समिति के किसी अन्य सदस्य के द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव रखा जा सकता है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये,[206] जिसके संबंध में सभापति सदन का मत ले सकता है। कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन करने की बाबत सूचना उस रूप में दे सकेगा जैसेकि सभापति उपयुक्त समझे।[207] कोई ऐसा संशोधन भी उपस्थित किया जा सकता है कि अमुक प्रश्न या तो बिना किसी परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संदर्भ में समिति को पुन: सौंपा जाए।[208]

प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, समिति का अध्यक्ष या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य भी यह प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या सहमत नहीं है या कुछ संशोधनों के साथ सहमत है।[209] सामान्यत: जब समिति सदन द्वारा कुछ कार्रवाई किये जाने या किसी विशेष संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सिफारिश करती है, तब उस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है जिस पर सदन निर्णय लेता है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनमें सदन द्वारा समिति के प्रतिवेदनों के संदर्भ में कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए गए:

समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ सचिवालय की अभिरक्षा में कुछ दस्तावेजों इत्यादि को न्यायालय इत्यादि के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश की थी। सदन ने समिति के उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया था।[210]

लोक सभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों ने 23 अगस्त, 1954 को दोनों सदनों को दिए गए अपने संयुक्त प्रतिवेदन में एक सदन के किसी सदस्य द्वारा अन्य सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के मामले पर विचार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किया था। सभा के नेता ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें समितियों की संयुक्त बैठकों में की गई सिफारिशों को स्वीकृत किया गया था।[211]

समिति के बारहवें प्रतिवेदन में सदन में किसी सदस्य द्वारा किए गए रहस्योद्घाटनों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सदन के बाहर सदस्य से की गई पूछताछ के मुद्दे पर विचार किया गया है। इस प्रस्ताव के बारे में कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए, एक संशोधन प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवेदन की मूल विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्न को समिति के पास पुन: भेजा जाए।[212] बाद में, इस संशोधन को अस्वीकृत कर दिया गया। कुछ अन्य संशोधन भी उपस्थित किए गए जैसे (1) किसी शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रतिस्थापित करना; (2) प्रतिवेदन से एक वाक्य हटाना; तथा (3) कतिपय शब्दों का जोड़ा जाना। तत्पश्चात् एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सदन पूर्वोक्त संशोधनों (जिन पर पहले सहमति हो गई थी) के साथ प्रतिवेदन से सहमत है। इसके पश्चात् एक अन्य सदस्य ने एक संशोधन उपस्थित किया कि '(सदन) प्रतिवेदन के साथ सहमत है' शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखे जाएं, अर्थात् 'समिति के प्रतिवेदन के साथ सहमत होते हुए सदन गृहमंत्री को यह निदेश देता है कि उन पुलिस अधिकारियों, जो किसी आपराधिक मामले की जांच कर रहे हैं और उस संबंध में, किसी संसद्-सदस्य द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य में उल्लिखित किसी दस्तावेज के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, के मार्ग-दर्शन के लिए कुछ अनुदेश तैयार किए जायें और उसकी सूचना सदन को दी जाए।' संबंधित मंत्री के आश्वासन के बाद, संशोधन वापस ले लिया गया और फिर मूल प्रस्ताव पर मतदान हुआ तथा उसे स्वीकार कर लिया गया।[213]

समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में एक ऐसे मामले पर विचार किया गया है जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि तीन में से एक दोषी व्यक्ति को दण्डस्वरूप जेल भेजा जाए। सदन के नेता द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव के संबंध में कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए, एक सदस्य ने संशोधन उपस्थित किया कि अवमानना करने वालों को दण्ड देने से संबंधित समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार के लिए मामला पुन: समिति को भेजा जाए। प्रस्ताव यथासंशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया। समिति ने मामले पर पुनर्विचार किया और दण्ड से संबंधित अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को संशोधित करते हुए एक अन्य प्रतिवेदन उपस्थित किया। तत्पश्चात् सदन के नेता ने बीसवें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इसके बाद उन्होंने यह प्रस्ताव भी उपस्थित किया कि सदन उन्नीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट निष्कर्षों और बीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है।[214]

समिति ने अपने तैंतीसवें प्रतिवेदन में संसद् के अन्य सदन या राज्य विधान-मंडल या तत्संसक्त समिति के समक्ष सदन के सदस्य द्वारा साक्ष्य देने से संबंधित प्रक्रिया पर विचार किया और उसे विहित किया। समिति के सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर सदन ने समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया।[215]

यदि प्रतिवेदन का आशय यह है कि किसी तरह के विशेषाधिकार का हनन अन्तर्ग्रस्त[216] नहीं है या विशेषाधिकार का हनन नहीं[217] हुआ है या इस मामले में सदन द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी या उस मामले पर आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता[218] नहीं है, तो प्रतिवेदन के संदर्भ में सामान्यत: आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती, हालांकि पूर्वत: कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब सदन ने भी इस प्रकार के प्रतिवेदनों से सहमति प्रकट की है।[219] उस आशय की समिति की सिफारिश के अनुसरण में सदन द्वारा आगे कार्यवाही न करने के मामलों में वे प्रतिवेदन भी शामिल हैं जिनमें किसी दोषी ने अपने अपराध पर खेद प्रकट किया और बिना शर्त माफी मांगी है,[220] कि यदि सदन इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो वह अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखेगा,[221] या मामले के विचारार्थ आगे और समय नहीं लिया जाएगा[222] या कि मामले को छोड़ दिया जाए[223] या उसे खत्म समझा जाए और उस पर कोई कार्यवाही न हो,[224] या कि मामले को अनुचित महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।[225]

प्रक्रिया का विनियमन

सभापति, समिति में या सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार से संबंधित सभी मामलों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।[226]

एक मामले में, सभापति ने, समिति को उसके द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों पर, इसमें शामिल सदस्य की टिप्पणियों पर उसके द्वारा विचार किए जाने तक, विचार करने को स्थगित करने का निदेश दिया।[227]

एक अन्य मामले में, समिति को इसे भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में कतिपय मुद्दों पर ध्यान देने हेतु विशेष निदेश दिया गया।[228]

किन्तु सदस्य की अयोग्यता से संबंधित एक अन्य मामले में, जो समिति के विचाराधीन था, सभापति ने निदेश दिया कि समिति को, जिस सदस्य के विरुद्ध याचिका दी गई है उसकी सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।[228क]

आचार समिति

कई अवसरों पर संसद्-सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में सदाचार और नैतिक मूल्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक आंतरिक स्वत: नियामक तंत्र विकसित किए जाने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। राज्य सभा में आचार समिति के गठन को इस दिशा में एक कदम माना जा सकता है।[228ख] 4 मार्च, 1997 को राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा की आचार समिति गठित की गई ताकि सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर नज़र रखी जा सके और सदस्यों के आचरण और अन्य दुराचरण के संदर्भ में इसे भेजे गए मामलों की जांच की जा सके।[228ग]

गठन

इस समिति में दस सदस्य होते हैं जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है। समिति तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि एक नई समिति गठित न की जाए। समिति में हुई आकस्मिक रिक्तियां अध्यक्ष द्वारा भरी जाती हैं।[228घ] समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से माननीय सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। तथापि, यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे, तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगी। समिति की गणपूर्ति कुल दस सदस्यों में से पांच सदस्यों की उपस्थिति से होती है।[228ङ]

कृत्य

समिति के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित है:– सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर नज़र रखना, सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और आचार संहिता में समय-समय पर संशोधनों या परिवर्धनों के लिए सुझाव देना, सदस्यों द्वारा आचार संहिता को कथित तौर पर भंग करने और सदस्यों के कोई अन्य दुराचरणों के आरोपों से संबंधित मामलों की जांच करना और स्वप्रेरणा से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदंडों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।[228च]

इन नियमों में किसी बात के होते हुए, राज्य सभा का सभापति किसी सदस्य के नैतिक तथा अन्य दुराचरण से संबंधित मामले को जांच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को भेज सकता है।[228छ]

शक्तियां

यदि समिति अपने कर्त्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी। तथापि, यदि यह प्रश्न पैदा हो जाए कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए संगत है, तो यह मुद्दा सभापति के पास भेजा जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया भी जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों। यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिए गए किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

किसी सदस्य द्वारा कथित अनैतिक व्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन या किसी सदस्य के हितों की गलत सूचना की शिकायत कोई भी व्यक्ति समिति से कर सकता है। समिति मामलों को स्वप्रेरणा से भी ले सकती है। सदस्य भी मामलों को समिति के पास भेज सकते हैं। कोई भी शिकायत समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे रूप और रीति से की जाएगी जैसाकि समिति विनिर्दिष्ट करे। शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी तथा अपने आरोपों को साबित करने के लिए सहायक साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा प्रस्तुत करने होंगे। समिति शिकायतकर्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी, यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है तथा यदि उसके अनुरोध को समुचित कारणों से समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। केवल मीडिया की अप्रामाणिक

रिपोर्ट पर आधारित शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्याय-निर्णयाधीन हो तथा इस नियम के उद्देश्य के लिए कि क्या ऐसा मामला न्याय-निर्णयाधीन है या नहीं, समिति के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा।[228ज]

यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत उचित रूप में है तथा मामला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो वह मामले को जांच के लिए ले सकती है। यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि **प्रथम दृष्टया** मामला बनता है, तो मामले को समिति द्वारा जांच तथा प्रतिवेदन के लिए लिया जाता है। समिति अपने अधिदेश को कार्य रूप देने तथा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए समय-समय पर नियम भी बना सकती है।[228झ]

जब भी समिति द्वारा यह पाया जाए कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक व्यवहार या अन्य दुराचारपूर्ण कार्य किया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया है, तो समिति निम्नलिखित दंडों में से एक या उससे अधिक दंड देने की सिफारिश कर सकती है; अर्थात् (क) निन्दा; (ख) भर्त्सना; (ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन; और (घ) समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य दंड।[228ञ]

समिति का प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी भी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन के सभा में उपस्थित किए जाने के पश्चात् समिति के अध्यक्ष या समिति के किसी सदस्य के नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए। कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना, ऐसे रूप में जैसाकि सभापति द्वारा उचित समझा जाए, दे सकता है। प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात्, समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है। सभापति, समिति या सभा के सदस्यों के नैतिक और अन्य दुराचरण के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसाकि वह आवश्यक समझे।[228ट]

समिति का कार्यकरण

आचार समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन, जिसे 8 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किया गया था और 15 दिसम्बर, 1999 को इसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, में सदस्यों के लिए आचार संहिता पर विस्तारपूर्वक विचार किए जाने के पश्चात् यह निश्चित निष्कर्ष निकाला कि राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार की जाए। समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में सदस्यों के लिए आचार संहिता पर भी विचार किया और उसका विचार था कि पहले प्रतिवेदन में अभिनिर्धारित संहिता पूर्णतया विस्तृत है और उसने इसे अनुमोदित किया। इसने पांच आर्थिक हितों को भी अभिनिर्धारित किया। जिनके लिए सदस्यों द्वारा ''सदस्यों के हित संबंधी रजिस्टर'' में दर्ज किए जाने हेतु सूचना प्रस्तुत करनी होगी। समिति का चौथा प्रतिवेदन 14 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत किया गया और 20 अप्रैल, 2005 को इसे स्वीकार किया गया।

हाल ही में समिति ने एक सदस्य के अनैतिक आचरण की जांच की। 12 दिसंबर, 2005 को एक निजी चैनल ने ''ऑपरेशन दुर्योधन'' नामक एक कार्यक्रम प्रसारित किया था जिसमें संसद् के कुछ सदस्यों को संसद् में प्रश्न पूछने के लिए धन प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सदस्यों में

से एक सदस्य राज्य सभा का था। सर्वप्रथम समिति का ही विचार था कि आचार संहिता के पैरा (v) का उल्लंघन हुआ है, जिसने बताया कि:

> सदस्यों को सभा में मतदान करने या न करने के लिए, किसी विधेयक के पुर: स्थापित करने के लिए, किसी संकल्प को उपस्थित करने या संकल्प को उपस्थित न करने के लिए कोई प्रश्न पूछने या प्रश्न पूछने से प्रविरत रहने के लिए अथवा सभा या किसी संसदीय समिति के विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए कभी भी कोई फीस, पारिश्रमिक या फायदा प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे स्वीकार करना चाहिए।

अत:, समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि इस विषय पर इसके अंतिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने तक उक्त सदस्य को सभा से निलम्बित कर दिया जाए। सदस्य के निलम्बन से संबंधित पैरा को दिनांक 13 दिसंबर, 2005 के राज्य सभा संसदीय समाचार भाग 2 सं॰ 42703 में प्रकाशित किया गया। तदुपरान्त, समिति ने सदस्य के आचरण की विस्तृत जांच की और अंतत: अपने सातवें प्रतिवेदन, जिसे 23 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत और स्वीकार किया गया, में उसके सभा की सदस्यता से निष्कासन की सिफारिश की क्योंकि उसका आचरण सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था तथा सभा द्वारा अंगीकार की गई आचार संहिता के अनुरूप नहीं था। तद्नुसार, सदस्य को सभा से निष्कासित कर दिया गया।[228ठ]

इसी प्रकार, 19 दिसम्बर, 2005 को एक अन्य निजी चैनल ने ''संसद्-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' के कार्यान्वयन में कुछ संसद्-सदस्यों के अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए ''ऑपरेशन चक्रव्यूह'' शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया था। इस कार्यक्रम में दिखाए गए दो सदस्य राज्य सभा के थे। यह मामला भी राज्य सभा के सभापति द्वारा आचार समिति को सौंपा गया था। अपने आठवें प्रतिवेदन, जिसे 24 फरवरी, 2006 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में आचार समिति ने इन दोनों सदस्यों के बारे में अपनी सिफारिश की।

तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मामलों की पृथक् रूप से जांच करने के बाद, इन मामलों में से एक मामले में समिति ने पाया कि इस ऑपरेशन की फिल्म बनाने वाली एजेंसी और इस ऑपरेशन को प्रसारित करने वाले चैनल ने स्पष्टतया रिश्वत लेने के लिए सदस्य को फुसलाने के वास्ते अनैतिक और संभवत: अवैध तरीके अपनाए थे। इस ऑपरेशन की फिल्म बनाने वाली एजेंसी ने सदस्य को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रलोभन का इस्तेमाल किया; बार-बार प्रलोभन दिए; और सभी संसद्-सदस्यों के विरुद्ध व्यापक आरोप लगाए। जिस तरीके से प्रसारक द्वारा इस कार्यक्रम को पेश किया गया था उससे यह प्रभाव पड़ा कि सदस्य भ्रष्ट है जबकि टेपों से इसकी पुष्टि नहीं हुई, समिति ने पाया कि जांच कम्पनी और प्रसारक दोनों के ही कृत्यों से जनता की आंखों में बिना किसी पर्याप्त कारण के सदस्य की छवि धूमिल हुई और इससे सदस्य की प्रतिष्ठा को अकल्पनीय क्षति पहुंची।

अत:, समिति का विचार था कि इस कार्यक्रम की फिल्म बनाने वाली एजेंसी और इस प्रकरण (एपिसोड) को प्रसारित करने वाले चैनल ने इस सभा और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार को भंग किया होगा और उनकी अवमानना की होगी। ''चूंकि आचार समिति को विशेषाधिकार को भंग करने के प्रश्नों की जांच करने का अधिदेश नहीं है, अत: इसने इस मामले की आगे जांच न करने का निर्णय किया।'' अत:, समिति ने सिफारिश की कि ''सभापति सदस्य की शिकायत को आगे की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजने पर विचार कर सकते हैं।''[228ड]

तथापि, दूसरे सदस्य के मामले में विस्तृत जांच के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सदस्य के आचरण से ''राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता'' के खंड (i) और (xiv) का उल्लंघन हुआ है जिसने क्रमशः बताया कि:

(i) सदस्यों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संसद् की बदनामी होती हो तथा जिससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो;

(ii) सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, प्रतिष्ठा, शालीनता और मूल्यों का उच्च स्तर बनाए रखें।

समिति ने यह भी पाया कि इस मामले में शामिल सदस्य ने अपने आचरण से घोर अपकृत्य ही नहीं किया अपितु उन्होंने अपने आचरण से सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई और इस तरह से काम किया जो उन मानकों के अनुरूप नहीं है जिसकी सभा सदस्यों से अपेक्षा करने की हकदार है। ''चूंकि सदस्य के आचरण से सदन और इसके सदस्यों की बदनामी हुई तथा राज्य सभा सदस्यों की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, समिति ने महसूस किया कि उन्होंने सदस्य बने रहने का अपना अधिकार खो दिया है।'' अतः, समिति ने सिफारिश की कि सदस्य को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाए।[228ढ] सभा द्वारा 21 मार्च, 2006 को समिति का आठवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। तद्नुसार, संबंधित सदस्य को सभा से निष्कासित कर दिया गया।[228ण]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की स्थापना राज्य सभा में इस बात की संवीक्षा करने और सदन को यह प्रतिवेदित करने के लिए की गई है कि क्या नियमों, विनियमों, उपविधियों, योजनाओं अथवा अन्य परिनियत संलेखों को बनाने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद् द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग उस परिदान या प्रत्यायोजन के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, उचित रूप से किया गया है।[229]

गठन

समिति का गठन पहली बार 30 सितम्बर, 1964 को सभापति द्वारा किया गया।[230] समिति में पन्द्रह सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं।[231] समिति कोई नई समिति नामनिर्देशित होने तक कार्य करती रहती है।[232] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति नामनिर्देशन के द्वारा करता है।[233] समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।[234] यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।[235]

यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है।[236] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।[237]

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच है।[238] समिति का अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता परन्तु मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका मत निर्णायक होता है।[239]

शक्तियां

यदि समिति अपने कर्त्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे इसके लिए शक्ति प्राप्त है।[240] तथापि, सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार कर सकती है कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के

प्रतिकूल है।[241] इसके अध्यधीन महासचिव के हस्ताक्षर वाले आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकता है और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।[242] यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने सामने दिए गए किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।[243]

कृत्य

संविधान अथवा संसद् द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि, योजना अथवा अन्य परिनियम संलेख के (जिसे इसके पश्चात् ''आदेश'' कहा गया है) जिसको संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, राज्य सभा के समक्ष इस प्रकार रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करती है कि[244]–

(1) क्या वह आदेश संविधान के उपबंधों अथवा उस अधिनियम के अनुकूल है जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

विकिरण सुरक्षा नियम, 1971 की संवीक्षा करते समय समिति ने यह पाया कि एक नियम, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी थी, को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, जिसके अंतर्गत नियम बनाए गए थे, की विधायी स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।[245]

(2) क्या उसमें कोई ऐसा विषय अंतर्विष्ट है जिस पर समिति की राय में संसद् के अधिनियम में और अधिक समुचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए;

एक मामले में समिति ने सिफारिश की कि किसी समझौते पर किसी अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव के संबंध में उपबंध कानून में ही किया जाना चाहिए और उसे कानून द्वारा ही प्राधिकृत किया जाना चाहिए, न कि नियमों द्वारा।[246]

जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 की जांच करते समय समिति ने एक ऐसे नियम पर आपत्ति प्रकट की जिससे आयोग अथवा सरकार को कर-निर्धारकों को भुगतान किए जा सकने वाले यात्रा तथा अन्य भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होती थी क्योंकि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में ऐसा कोई उपबंध नहीं था। वास्तव में, अधिनियम में कर-निर्धारकों की नियुक्ति के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं था। अत:, समिति ने सिफारिश की कि इन मामलों का उपबंध नियमों में करने की बजाय संविधि में ही और अधिक समुचित रूप से किया जाए तथा इनके लिए प्राधिकृत भी किया जाए।[247]

(3) क्या उस आदेश में कोई करारोपण करना अथवा कोई शुल्क इत्यादि लगाना अंतर्विष्ट है;

कई मामलों में समिति ने, जिस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं, उस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकार के मात्र नियमों द्वारा शुल्क इत्यादि लगाने पर आपत्ति की है। उदाहरण के लिए, समिति ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 282 छावनी बोर्ड को टीकाकरण के प्रयोजन हेतु कोई शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान नहीं करती। इस संबंध में समिति ने कहा: ''उन शुल्कों, प्रभारों इत्यादि के मामले में जिनके बारे में समिति की धारणा थी कि संविधि (कानून) के अंतर्गत उन्हें लगाए जाने की अनुमति नहीं है और जिनके विनियमन के लिए संविधि (कानून) में संशोधन करना पड़ेगा, मंत्रालय को इस प्रकार के शुल्क, प्रभार इत्यादि वसूल करना बंद करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रशासनिक निर्देश जारी करने चाहिए।''[248]

(4) क्या इससे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाधा उत्पन्न होती है;

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास-संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 59 में यह उपबंध किया गया है कि किसी विवाद पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में समिति ने महसूस किया कि इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण

और अन्य पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को शायद समाप्त कर दिया गया है और कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 में, जिसके अंतर्गत यह विनियम बनाया गया था, उक्त विवादों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्राधिकार अथवा शक्ति प्रदान नहीं की गई है।[249]

(5) क्या यह उन उपबंधों में से किसी उपबंध को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करता है जिसके संबंध में संविधान अथवा अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;

समिति ने देखा कि कीटनाशी नियम, 1971 में यह उपबंध था कि वे 1 अगस्त, 1971 को प्रभावी होंगे जबकि वे 30 अक्तूबर, 1971 को ही प्रकाशित किए गए थे। इस प्रकार से इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया; यद्यपि वह अधिनियम जिसके अंतर्गत ये नियम बनाए गए थे, ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता।[250]

एक अन्य मामले में, समिति ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाए गए इस आशय के नियमों के अधीन जारी की गई छूट अधिसूचना के संबंध में 1970-71 में लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई महान्यायवादी की इस राय से सहमति व्यक्त की थी कि अधीनस्थ विधान का भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाली विधि के बिना, इस तरह के किसी विधान का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता।[251]

(6) क्या उस आदेश में भारत की संचित निधि अथवा लोक राजस्व में से व्यय अंतर्ग्रस्त है;

गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 1972 में अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्डों के गठन का उपबंध भी किया गया है; जबकि जिस अधिनियम के अधीन नियम बनाए गए थे, उसमें विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे बोर्डों का गठन करने का उपबंध नहीं किया गया है। इसलिए समिति ने महसूस किया कि इन बोर्डों का गठन करने से लोक राजस्व को इस नियम के कारण प्रभार वहन करना पड़ा।[252] एक अन्य मामले में समिति ने प्रदर्शन-कर पर अधिभार लागू करने के लिए छावनी परिषद् को शक्ति प्रदान करने वाली अधिसूचना के प्रति आपत्ति की थी और छावनी परिषद को इसे राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत किया था। समिति ने महान्यायवादी की राय ली जिन्होंने अधिसूचना को वैध और विधिमान्य नहीं ठहराया और राज्य सरकार को अधिभार की निवल आय सुपुर्द करने की आवश्यकता को विधिक आधार पर समान रूप से अनुचित ठहराया।[253]

(7) क्या संविधान या अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का, जिनके अनुसरण में वह बनाई गई है, असामान्य या अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है;

समिति का यह विचार था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंधन) विनियम, 1970 बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि जिस अधिनियम के अधीन ये विनियम बनाए गए थे, वे ऐसा करने के लिए इस तरह का कोई प्राधिकार प्रदान नहीं करते हैं। समिति के विचार में यह शक्ति का अप्रत्याशित प्रयोग था जिसे अधिनियम में परिकल्पित नहीं किया गया है या इसमें ऐसा अभिप्रेत नहीं है।[254]

(8) क्या इसके प्रकाशन में या इसके संसद् के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है;

समिति ने समय-समय पर ऐसे अनेक मामलों का उल्लेख किया है जहां नियम बनाए जाने[255] या उन्हें सभा पटल पर रखे जाने[256] में विलम्ब हुआ है या समय पर नियम नहीं बनाए गए हैं।[257]

(9) क्या किसी कारण से, आदेश के रूप या अभिप्राय के किसी विशदीकरण की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, समिति ने (1) अधीनस्थ प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील का उपबंध करने;[258] (2) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां नियमों के भंग के लिए शास्ति का उपबंध करने;[259] (3) किसी व्यथित व्यक्ति के लिए उसे सुने जाने या अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करने;[260] (4) किसी मामले को अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करने;[261] (5) भर्ती नियमों में कतिपय मामलों

में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने का उपबंध करने;[262] (6) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि की सलाहकार समिति में किसी महिला के प्रतिनिधित्व का उपबंध करने;[263] और (7) त्रुटिपूर्ण आदेशों में संशोधन करने के लिए नियमों में उपांतरण करने हेतु सिफारिशें की हैं।[264]

नियम 209 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन इसके कार्यकरण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए समिति ने पाया कि उसके द्वारा केवल उन्हीं आदेशों की जांच की जा सकती है जिन्हें संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिन्हें सदन के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जा चुका है और जो समिति के जांच क्षेत्र के अधीन आते हैं। तथापि, समिति ने महसूस किया कि इसके पास न केवल सभा पटल पर रखे गए नियम, विनियम, उपविधि और परिनियम, जिन्हें सामान्य रूप से आदेश कहा गया है, की जांच करने की शक्ति होनी चाहिए बल्कि किसी भी रूप में अधीनस्थ विधान के सभी संलेखों की जांच करने की शक्ति होनी चाहिए, जिन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है या संसद् द्वारा प्रत्यायोजित किया गया है और जिन्हें सदन के समक्ष रखा गया हो या नहीं।[265] तद्नुसार, राज्य सभा के सभापति ने इस संबंध में नियम 266 के अधीन निम्नलिखित निदेश जारी किए:

(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति उन सभी 'आदेशों' की जांच कर सकती है, चाहे उन्हें राज्य सभा के समक्ष रखा गया हो या नहीं, जिन्हें ऐसे आदेशों को बनाने के लिए किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले संविधान अथवा संविधि के उपबंधों के अनुसरण में बनाया गया है।

(2) समिति उन विधेयकों के उपबंधों की जांच कर सकती है जिनमें निम्नलिखित का प्रस्ताव है:

(क) 'आदेश' बनाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करना, अथवा

(ख) ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने वाले पूर्ववर्ती अधिनियमों में संशोधन करना जिससे कि यह देखा जा सके कि क्या उनमें 'आदेशों' को राज्य सभा के समक्ष रखे जाने हेतु उपयुक्त उपबंध कर दिए गए हैं।

(3) समिति किसी 'आदेश' से संबंधित किसी अन्य विषय अथवा आदेश से उत्पन्न अधीनस्थ विधान के किसी मामले की जांच कर सकती है।[266]

उपर्युक्त निदेशों के जारी होने के पश्चात्, समिति ने 21 मार्च, 1968 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए अखिल भारतीय सेवा (संसद् के समक्ष विनियमों को रखा जाना) विधेयक, 1968 के रूप और विषय-वस्तु दोनों की जांच की, क्योंकि समिति ने महसूस किया कि ''इस विधेयक का इस अर्थ में असामान्य स्वरूप है कि यह विधेयक भारत में किसी विधान-मंडल अथवा किसी भी स्थिति में संसद् में पुर:स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला विधेयक था। प्रस्तावित विधान में प्रत्यायोजित विधान और इस पर संसद् के नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त था, और...समिति को इस बात की आशंका थी कि भविष्य में जब कभी भी यह ज्ञात होता है कि परिनियत संलेख को सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, परन्तु उसे सभा पटल पर इस प्रकार रखा नहीं गया था, इस विधेयक का पूर्व निर्णय के रूप में प्रयोग किए जाने की संभावना थी।''[267] समिति ने विधेयक की उत्पत्ति और इसकी विषय-वस्तु का अध्ययन किया और इस संबंध में कतिपय सुझाव दिए।[268]

व्यवहार में समिति भारत सरकार द्वारा अथवा सरकार के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा किए गए और राजपत्र में प्रकाशित होने वाले अथवा सभा पटल पर रखे जाने वाले सभी 'आदेशों' की जांच करती है। समिति राज्य सरकारों द्वारा संसद् के किसी अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए 'आदेशों' की जांच नहीं करती (उदाहरणार्थ, संसद् द्वारा मोटर वाहन अधिनियम या श्रम विधियों के अधीन किए गए आदेश)। इस प्रकार, समिति उन नियमों की जांच नहीं करती जो अनुच्छेद 145 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा और सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं तथा उन नियमों की भी जांच नहीं करती जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के

अनुच्छेद 98(3) के अधीन राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष के साथ परामर्श करके बनाए जाते हैं।

> एक अवसर पर समिति ने निर्णय लिया था कि संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों की संवीक्षा की जाएगी। तथापि, ऐसे विनियम को संसद् में पारित अधिनियम के बराबर समझा गया, इसलिए समिति ने महसूस किया कि ऐसा विनियम अधीनस्थ विधान की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है।[269] तत्पश्चात् जब समिति ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 240 के अधीन प्रख्यापित दादरा और नागर हवेली (प्रशासन) विनियम, 1988 में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की तो समिति का ध्यान विनियमों की संवीक्षा न करने संबंधी समिति के पूर्व निर्णय की ओर आकर्षित किया गया।[270] इसलिए, समिति ने 1988 के विनियमों के संबंध में मामले में आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया।[271]
>
> तथापि, एक अवसर पर समिति ने निर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों की संवीक्षा की जाएगी और इसे दोनों सभाओं के पटल पर भी रखा जाएगा।[271क]
>
> एक अवसर पर समिति ने संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) नियम, 1972 की जांच की।[272]

तथापि, समिति राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के संबंध में संसद् द्वारा अधिनियमित राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अनुसरण में राष्ट्रपति के अधिनियम की जांच कर सकती है,[273] क्योंकि ऐसा अधिनियम राष्ट्रपति के अधिनियम को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए प्रावधान करता है और इसके संशोधन या संसद् द्वारा संकल्प के माध्यम से संशोधन करने का प्रावधान करता है।[274]

समिति का कार्यकरण

समिति को समिति में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सभी विषयों के बारे में अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।[275] समिति ने अपने आन्तरिक कार्यकरण के लिए नियमों का एक सेट बनाया है।[276]

नियमों, विनियमों और आदेशों की संवीक्षा के दौरान यदि अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने वाली शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो स्पष्टीकरण सचिवालय द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग से मांगा जाएगा।

तत्पश्चात् वह मामला उन उपबंधों, जिन पर आपत्ति उठाई गई है तथा आपत्तियों के कारणों के ब्यौरे सहित ज्ञापन के रूप में, जिसमें मंत्रालय को पूछे गए मुद्दे और उन पर उसकी टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों, समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति ज्ञापन पर विचार करती है और अपने निष्कर्ष निकालती है। यदि यह आवश्यक हुआ तो समिति और अधिक स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाती है ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जा सके। समिति द्वारा संवीक्षा किए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में समिति की समुक्तियों और सिफारिशों को इसके प्रतिवेदनों में दिया जाता है।

समिति उन अभ्यावेदनों, जोकि नियमों और विनियमों से संबंधित होते हैं और अन्य प्रत्यायोजित विधानों, जिन्हें विभिन्न संगठनों, संस्थाओं तथा गैर-सरकारी निकायों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है, की जांच और संवीक्षा करती है। समिति अपनी समुक्तियां और सिफारिशें देने से पूर्व, ऐसी संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार सुनती है तथा अभ्यावेदनों में उल्लिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगती है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से भी आवश्यक स्पष्टीकरण मांगती है।[277]

समिति ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के संबंध में शिक्षण संस्थाओं/संगठनों के विचारों को जानने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उस पर व्यक्तियों और संस्थाओं के विचार भी सुने थे।[278]

एक अन्य अवसर पर, समिति ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैलप्रैक्टिसिस) ऑर्डर, 1998 के आधार पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का भंडारण, आपूर्ति, वितरण, परिवहन और बिक्री में लगे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों/एजेंसियों के विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।[278क]

यद्यपि आंतरिक नियमों के अधीन सचिवालय समिति के लिए तथा उसकी ओर से नियमों इत्यादि की जांच करता है, ज्ञापन तैयार करता है और अन्य आरम्भिक कार्य करता है। समिति के सदस्यों को स्वयं आदेशों की जांच करने और सुझाव देने की छूट है। इस प्रयोजनार्थ उन्हें समय-समय पर सभा पटल पर रखे गए सभी आदेशों की प्रतियां दी जाती हैं।

जब कभी समिति की संवीक्षाधीन 'आदेश' में कोई महत्वपूर्ण कानूनी मामला उठता है और यदि समिति की राय है कि महान्यायवादी[279] और विधि मंत्रालय की कानूनी राय आवश्यक है तो ऐसी राय मालूम की जाती है और तब समिति महान्यायवादी या विधि मंत्रालय की राय पर विचार करने के बाद निर्णय लेती है।

उप-समिति का गठन

समिति नियमों इत्यादि का अध्ययन करने और उनकी संवीक्षा करने के लिए एक उप-समिति गठित कर सकती है।

एक अवसर पर, समिति ने सात सदस्यों वाली एक उप-समिति गठित की थी ताकि ''कुछ महत्वपूर्ण नियमों का गहन अध्ययन किया जा सके और उनकी संवीक्षा की जा सके।''[280]

अध्ययन दौरे

समिति अपने विचाराधीन 'आदेशों' के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मौके पर अध्ययन करने के लिए और संबंधित संगठन के अधिकारियों और प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिए किसी भी संगठन का अध्ययन दौरा भी कर सकती है।[281] अध्ययन दौरे के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर तैयार किए गए अध्ययन संबंधी नोट को संबंधित मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है।

प्रतिवेदन

समिति अपने द्वारा जांच किए गए विभिन्न 'आदेशों' और उनसे संबंधित अन्य किसी मामले के संबंध में समय-समय पर अपने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। यदि समिति की यह राय है कि कोई 'आदेश' पूर्णत: या अंशत: रद्द किया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सदन को सूचित करेगी।[282] यदि समिति की यह राय है कि किसी आदेश से संबंधित कोई अन्य विषय सदन की जानकारी में लाया जाना चाहिए, तो यह तद्नुसार कार्य करती है।[283] यह निर्णय किया गया है कि समिति पूर्व सत्र के दौरान सभा पटल पर रखे गए सभी आदेशों के संबंध में प्रत्येक सत्र में एक सामान्य प्रतिवेदन, विलंबों और अन्य कमियों का विश्लेषण करते हुए, प्रस्तुत करेगी। समिति विशिष्ट आदेशों का विस्तृत अध्ययन और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए भी चयन कर सकेगी।[283क]

समिति का प्रतिवेदन सदन में समिति के अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य, जिसे प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।[284]

सिफारिशों का क्रियान्वयन

समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थित किए जाने के बाद समिति की सिफारिशों को सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। मंत्रालय या तो सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार कर लेते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं या उन्हें अंशत: स्वीकार करते हैं और क्रियान्वित करते हैं तथा बाकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करते हैं। कभी-कभी वे सिफारिशों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं और समिति के विचारार्थ अपने दृष्टिकोण/कठिनाइयों को भेजते हैं।

यदि मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों/राय से समिति सहमत हो जाती है, तो वह या तो इसमें संशोधन करती है या सिफारिशों को छोड़ देती है। यदि मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो समिति अपनी सिफारिशों पर कायम रहती है। समिति अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर सभा को सूचना देती है।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समिति ने निम्नलिखित समयबद्ध प्रक्रिया तैयार की है और मंत्रालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(1) समिति की सिफारिश को मंत्रालय को भेज दिए जाने के पश्चात् मंत्रालय को सिफारिश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सिफारिश को स्वीकार करने अथवा अन्यथा के संबंध में समिति को सूचित करना चाहिए।

(2) सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा समिति को आश्वासन और वचन देने के मामलों में मंत्रालय को सिफारिशों को सूचित करने की तिथि से तीन महीने के भीतर लागू करना चाहिए।

(3) उस मामले में, जहां अन्य निकायों से परामर्श, जनता के विचार आमंत्रित करना इत्यादि प्रारंभिक प्रक्रियाएं एक परिनियम अथवा अन्यथा के माध्यम से की जानी हो, तो इस अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(4) किसी भी तरह से स्वीकार गई सभी सिफारिशों को छह महीनों के भीतर लागू कर दिया जाना चाहिए।

(5) किसी मामले में जहां मंत्रालय की यह स्पष्ट राय है कि कार्यवाही को पूरा करने के लिए छह महीने का समय अपर्याप्त है, तो उसे सिफारिश को सूचित करने की तिथि से तीन महीने के भीतर समिति को सूचित करना चाहिए ताकि यदि मंत्रालय की कुछ समस्याएं हों, तो समिति उन पर विचार कर सके।

(6) उस मामले में जहां मंत्रालय सिफारिश के संबंध में अपनी कुछ राय देना चाहता है अथवा उस मामले में जहां कोई सिफारिश किसी कारणवश क्रियान्वित न की जा सकती हो, तो मंत्रालय समिति को तीन महीने के भीतर इस संबंध में सूचित करे।[285]

सामान्य सिफारिशें

समिति द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समुक्तियों और सिफारिशों का, जोकि सामान्य प्रकृति की हैं और जिनका 'आदेश' के संदर्भ में बार-बार उल्लेख किया जाता है, संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है:

(क) नियम बनाने के संबंध में समय-सीमा

परिनियम के अन्तर्गत बनाए जाने हेतु अपेक्षित नियम और विनियम यथाशीघ्र बना लिये जाने चाहिए परंतु उन्हें परिनियम के लागू होने की तिथि से छह महीने के पश्चात् किसी भी स्थिति में नहीं बनाया जाना चाहिए।

विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय प्रारंभ में व्यापक परंतु स्पष्ट नियम बना सकते हैं; उन्हें एक विशिष्ट विषय पर एक ही बार में सभी नियम तैयार करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है विशेषकर जब विभिन्न प्राधिकरणों/निकायों से उस मामले में परामर्श किया जाना हो। बाद में अनुभव के आधार पर ऐसे नियमों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नये नियम जोड़े जा सकते हैं। यह मान लिया गया है कि नियम यथासंभव परिशुद्ध होने चाहिए, परंतु यह परिशुद्धता शीघ्रता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मंत्रालयों को भी यह प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए कि यदि नियम छह महीने की अवधि के भीतर नहीं बनाए जाते, तो मंत्रालय के सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को सचिव स्तर पर तद्नुसार सूचित करना चाहिए जो एक विस्तृत टिप्पण के माध्यम से संबंधित मंत्री को सूचित करेगा और उस पर मंत्री महोदय के आदेश लेगा। इस प्रकार के टिप्पण से निरपवाद रूप से इस तथ्य का उल्लेख होगा कि क्या यह मामला विशेष एक संसदीय समिति के ध्यान में अथवा टिप्पणों में शामिल है अथवा नहीं।[286] नियम बनाने के लिए विहित समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय नियम बनाने के लिए समय बढ़ाये जाने हेतु समिति से अनुरोध कर सकते हैं और समिति मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके समय बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार कर सकती है।[287]

(ख) नियमों का पिछला प्रकाशन

राजपत्र, जिसमें प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए हैं, की तिथि से तीस स्पष्ट दिनों की न्यूनतम अवधि जनता को उस पर अपनी टिप्पणियां देने हेतु दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रारूप आदेश के पिछले प्रकाशन की कानूनी अपेक्षाओं को पूर्ण भावना से पूरा किया गया है।[288]

(ग) राजपत्र में नियमों का प्रकाशन

अन्य कानूनों की भांति प्रत्यायोजित विधान न केवल निश्चित होने चाहिए अपितु निश्चय भी होने चाहिए। अत: ऐसे विधान का प्रकाशन प्रभावित जनता की सुरक्षा और सरकारी अभिकरण को प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाए रखने के प्रयोजन दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अत: सरकार द्वारा तैयार किए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने चाहिए चाहे उस परिनियम में, जिसके अंतर्गत ये नियम बनाए गए हैं, ऐसे प्रकाशन के लिए विशिष्ट रूप से उपबंध न किया गया हो।[289]

(घ) नियमों का सभा पटल पर रखा जाना

सभी परिनियमों में यह उपबंध किया गया है कि उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को उन्हें बनाए जाने के पश्चात् संसद् के दोनों सदनों में ''जितना शीघ्र हो सके'' रख दिया जाना चाहिए। सांविधिक प्रपत्रों को सभा पटल पर रखने के संबंध में उस अभिव्यक्ति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं की गई है। सामान्यत: इसका अर्थ यह है ''एक युक्तियुक्त अवधि के भीतर''। चूंकि प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण लगाने का एक प्रभावशाली तरीका प्रपत्रों को सभा पटल पर रखना है,

इसलिए ''आदेशों'' को सदन के समक्ष रखने में कोई असाधारण अथवा अन्यायपूर्ण विलम्ब नहीं होना चाहिए, सदन के समक्ष रखे जाने वाले नियमों और आदेशों को (1) यदि सदन चल रहा हो तो राजपत्र में उनके प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर; और (2) यदि सदन नहीं चल रहा हो तो आगामी सत्र के प्रारंभ होने के पन्द्रह दिन के पश्चात् सदन के समक्ष उन्हें रख दिया जाना चाहिए।[290] समिति की सिफारिशों के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने 1980 में एक परिपत्र के माध्यम से इस मामले के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए थे।[291]

अब प्रत्येक आदेश, जिसे दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, को (i) यदि सदन नहीं चल रहा हो, तो सत्र के दौरान, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की ठीक पश्चात्वर्ती तिथि और (ii) यदि सदन चल रहा हो, तो आदेश के प्रकाशन की तिथि को, इसके जारी रहने के दौरान और यदि प्रकाशन की तिथि और सत्र की समाप्ति की तिथि के बीच समय अंतराल पन्द्रह पूर्ण दिनों से कम हो, तो उक्त सत्र के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति से पहले सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। अब से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को राज्य सभा के सभा पटल पर संसद् के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों को रखने के मामले में इस समय-सारणी का पालन करना चाहिए।[291क]

(ङ) किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के मामले में नियमों का सभा पटल पर रखा जाना

जहां तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्य सरकार से संबंधित नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं इत्यादि को सदन के समक्ष रखे जाने का संबंध है, उन्हें प्रकाशन के तीस दिन की अवधि के भीतर सभा पटल पर रखा जा सकता है।[292]

(च) सभा पटल पर रखे जाने से संबंधित आदर्श फॉर्मूला

सांविधिक नियमों को संसद् के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखे जाने से संबंधित निम्नलिखित फॉर्मूले को सभी विधानों में सम्मिलित किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जाने का उपबंध किया गया है:

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए प्रत्येक नियम को उसे बनाए जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र एक या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरे होने वाले तीस दिन की पूर्ण अवधि के भीतर, जब संसद् का सत्र चल रहा हो, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और यदि उस सत्र के तुरन्त बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे अथवा उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, यह कि इस प्रकार का कोई संशोधन अथवा विलोपन उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी भी अभिपुष्टि के पूर्वाग्रह के बिना किया जाएगा।[293]

(छ) संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियमों का सभा पटल पर रखा जाना

सरकार द्वारा भर्ती और सेवा शर्तों के नियम या तो संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए जाते हैं या संसद् द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाए जाते हैं। संसद् के विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों को जहां एक ओर संसद् के समक्ष रखा जाता है, वहीं अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों को सामान्यतया सभा पटल पर नहीं रखा जाता है। इसका कोई कारण नहीं है कि

संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों को संसद् के समक्ष नहीं रखा जाना चाहिए। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों को संसद् के समक्ष रखा गया। इसलिए समिति ने पुरजोर रूप से महसूस किया है और यह सिफारिश की कि एक-समान परिपाटी कायम करने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन बनाए गए सभी नियमों को, चाहे वे संसद् द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाए गए हों या संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हों, संसद् के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि सरकार महसूस करती है कि अनुच्छेद 309 में नियमों को सभा पटल पर रखने का उपबंध न होने के कारण उसके अधीन बनाए गए नियमों को सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तो समिति सिफारिश करती है कि संविधान के अनुच्छेद 309 में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उसके अधीन बनाए गए नियमों को सभा पटल पर रखना सुनिश्चित किया जा सके।[294]

(ज) नियमों का भूतलक्षी प्रभाव

यदि किसी मामले विशेष में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देना है तो सरकार को इस प्रयोजनार्थ वैध स्वीकृति लेकर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए; और यहां तक कि जब कोई परिनियम भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति प्रदान करता है तो नियम के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन होना चाहिए जिसमें उन कारणों और परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए जिनसे भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हुआ।[295] इसके अलावा, यह सुनिश्चित किए जाने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।[295क]

(झ) नियम/विनियम बनाते समय उचित और परिशुद्ध भाषा का प्रयोग

नियम बनाते समय कार्यकारी मंत्रालय और विधि मंत्रालय को उचित और परिशुद्ध भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ज्यादा स्पष्टीकरण जारी न करने पड़ें। अधीनस्थ विधान के मामले में, नियम निर्माताओं का अभिप्राय प्रयोग की गई भाषा से स्पष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि न्यायालयों और अन्य के लिए इसके बारे में जानने का कोई अन्य मार्ग नहीं है जबकि प्राथमिक विधान के मामले में भूमिका स्तर पर विधेयकों के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन और विधान-मंडलों में वाद-विवादों से नियम निर्माताओं के अभिप्राय के बारे में जानना संभव हो सकता है।[295ख]

(ञ) समिति की ओर से मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए पत्रादि का उत्तर देने में विलम्ब

समिति से पत्र प्राप्त होने पर, एक सप्ताह के भीतर पावती भेज दी जानी चाहिए और इसे संबंधित संयुक्त सचिव के ध्यान में लाना चाहिए, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी करनी चाहिए कि टिप्पणियां इत्यादि भेजने में कोई अनुचित विलंब न हो। संयुक्त सचिव समिति को उत्तर देने में हुए किसी अनुचित विलम्ब के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। टिप्पणियां अधिमानत: एक माह के भीतर भेज दी जानी चाहिए। यदि मंत्रालय में पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर टिप्पणियां भेजना संभव न हो, तो समिति को विलम्ब के कारणों की सूचना दी जा सकती है और समय बढ़ाए जाने के लिए समिति से विशेष अनुरोध किया जाये। टिप्पणियों और समय बढ़ाये जाने के अनुरोध इत्यादि को एक ऐसे अधिकारी द्वारा भेजा जाना चाहिए जो अवर सचिव से कम रैंक का न हो। समिति के अध्ययन दौरों के दौरान, चर्चा की विषय-वस्तु से परिचित एक अधिकारी, जो उप सचिव से कम रैंक का न हो, समिति की सहायता करने के लिए उपस्थित रहना चाहिए।[295ग]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

उत्पत्ति

सदन में प्रश्नों के उत्तर देते समय या अन्य कार्यवाहियों के दौरान मंत्री सदन में आश्वासन, वायदे या वचन देते हैं। उदाहरण के लिए एक मंत्री यह वायदा करता है कि वह मामले पर विचार करेगा या आश्वासन देता है कि वह कतिपय मामले की जांच करेगा या वह वचन देता है कि वह सदन द्वारा अपेक्षित सूचना बाद में प्रस्तुत करेगा। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का गठन ऐसे आश्वासनों, वायदों या वचनों के क्रियान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए किया गया है। यह समिति नियम समिति की सिफारिश पर राज्य सभा में पहली बार 1 जुलाई, 1972 को गठित की गई थी। नियम समिति ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के गठन की सिफारिश करते हुए राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के संबंध में उस समय विद्यमान व्यवस्था को ध्यान में रखा। उस समय यह प्रक्रिया थी कि संसदीय कार्य विभाग उन मामलों पर कार्यवाही करता था तथा संबंधित मंत्रियों/विभागों से आवश्यक सूचना एकत्रित करता था और उसे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यथासमय सभा पटल पर रखा जाता था। आश्वासनों पर की गई कार्यवाही का पहला विवरण राज्य सभा पटल पर 5 अगस्त, 1952 को रखा गया था।[296] यह पद्धति अप्रभावी पायी गई क्योंकि ''पूरी बात मंत्रियों की सद्इच्छा पर निर्भर करती थी,'' इसलिए राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की आवश्यकता हुई।[297]

गठन

समिति में दस सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं।[298] यह समिति कोई नई समिति नामनिर्देशित होने तक कार्य करती है।[299] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा नामनिर्देशन के जरिए की जाती है।[300] समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच से होगी।[301]

समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाएगी।[302] परन्तु यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।[303] यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।[304] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।[305] समिति का अध्यक्ष प्रथमत: मत नहीं दे सकता है लेकिन किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका निर्णायक मत होता है।[306]

कृत्य

समिति के कृत्यों में, मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं आदि की संवीक्षा करना और निम्नलिखित बातों के बारे में प्रतिवेदन देना सम्मिलित है।

(क) ऐसे आश्वासन, वचन, प्रतिज्ञाएं आदि कहां तक कार्यान्वित कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि वे कार्यान्वित कर दिए गए हैं तो क्या वह कार्यान्वयन इस काम के लिए आवश्यक न्यूनतम समय में हुआ है।[307]

शक्तियां

यदि समिति अपने कर्त्तव्य-पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति प्राप्त है।[308] परन्तु सरकार किसी प्रलेख को

प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार कर सकती है कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।[309]

> एक मामले में समिति ने सरकार को किन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। संबंधित मंत्री ने समिति के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया कि राज्य के हित में उस दस्तावेज का खुलासा न करने की छूट प्रदान की जाए। समिति के अध्यक्ष ने समिति को दिए गए अपने संक्षिप्त वक्तव्य में टिप्पणी की थी कि समिति को सूचना न देने के लिए सरकार ने राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों में उपलब्ध अति-विशिष्ट उपबंध का आश्रय लिया है। तथापि, समिति ने महसूस किया कि ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से राज्य के हितों को किसी तरह नुकसान नहीं होगा और इसलिए समिति ने सरकार से अपने निर्णय की समीक्षा करने और सूचना भेजने का अनुरोध किया। लेकिन सरकार मामले पर पुन: विचार करने के बाद दस्तावेज न देने संबंधी अपने मूल निर्णय पर कायम रही। समिति को संबंधित विभाग के सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ''मामले पर राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया''। मामला समिति के पास रहा जिस पर यह टिप्पणी की गई कि:
>
> > अत: यह स्पष्ट है कि दस्तावेजों को अलग न करने का निर्णय सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया गया था। समिति प्रासंगिक दस्तावेजों को रोकने के मुद्दे पर सरकार से असहमत होने पर खेद प्रकट करती है। यह बात और भी ज्यादा खेदजनक है कि राज्य के हित से समझौता करने की बात तो छोड़ ही दो, सरकार द्वारा उन मामलों पर भी कार्यकारिणी के विशेषाधिकार का दावा किया गया जो संवेदनशील नहीं हैं।[310]

इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।[311] यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिए गए किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।[312]

समिति का कार्यकरण

समिति में आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं इत्यादि से संबंधित किसी प्रश्न पर विचार करने संबंधी सभी मामलों पर समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करती है। समिति ने अपने आंतरिक कार्यकरण के लिए नियम निर्धारित किए हैं।[313] समिति के कार्यकरण के विभिन्न प्रक्रियागत चरण निम्नानुसार हैं:

(क) *आश्वासनों का चयन:* सचिवालय आश्वासन बनने वाली अभिव्यक्तियों की मानक सूची के आधार पर आश्वासनों, यदि कोई हैं, का चयन करने के लिए सदन की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाहियों के शब्दश: अभिलेख का अध्ययन करता है। (आखिर में मानक अभिव्यक्तियों की सूची **देखिए**)।

आश्वासनों के विवरण की इस सूची की जांच संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त विवरणों से की जाती है। संसदीय कार्य मंत्रालय जिन आश्वासनों को शामिल नहीं करता है, उन्हें उस मंत्रालय के पास इस मामले में उसके टिप्पणों के लिए भेज दिया जाता है।

(ख) *आश्वासन बनने वाले विवरण के संबंध में निर्णय:* मंत्रालय के टिप्पणों को समिति के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है। वह या तो स्वयं मामले का निपटान करता है या यदि वह आवश्यक समझे, तो वह समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है ताकि वह इस संबंध में निर्णय ले सके कि क्या मंत्री द्वारा दिए गए विशेष विवरण को आश्वासन माना जाए कि नहीं। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के आश्वासनों को छोड़ने के सभी अनुरोधों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। समिति के अध्यक्ष को उन मामलों में, जिनमें मंत्रालय द्वारा समय-समय पर, समय की वृद्धि के लिए किए गए अनुरोधों की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती, आश्वासनों के कार्यान्वयन की जांच करने और समय की वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) *सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की जांच* : संसदीय कार्य मंत्री समय-समय पर आश्वासनों इत्यादि के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण सदन के पटल पर रखते हैं। इन विवरणों की जांच इस दृष्टि से की जाती है कि उन आश्वासनों की पहचान की जा सके जिन्हें पूर्णत: या संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया गया प्रतीत नहीं होता या आश्वासनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिनके कार्यान्वयन में अपरिहार्य विलम्ब हुआ है। इस प्रकार के सभी आश्वासनों को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) *ज्ञापनों को तैयार करना* : सचिवालय समिति द्वारा विचार किये जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन तैयार करता है। ज्ञापन में मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन, आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही, आश्वासन के वास्तविक कार्यान्वयन की सीमा और क्या यह कार्यान्वयन प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय में किया गया है, इसका संक्षेप में उल्लेख होता है।

(ङ) *समिति की बैठकें इत्यादि:* जब समिति की बैठक की तारीख और समय निश्चित कर दिया जाता है, तब समिति के सदस्यों को बैठक की तारीख से पहले उनके स्थानीय और स्थायी दोनों पतों पर कार्यसूची के साथ-साथ तत्संबंधी नोटिस परिचालित किया जाता है।

यदि आवश्यक समझा जाए, तो आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है। कतिपय मामलों में समिति का अध्यक्ष मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से अपने मंत्रालयों से संबंधित आश्वासन को कार्यान्वित करने में की गई प्रगति या उन्हें दरपेश मुश्किलों को स्पष्ट करने के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

समिति आश्वासन के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए मौके पर अध्ययन भी करती है।

प्रतिवेदन

समिति का अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आश्वासनों के कुछ विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त, प्रतिवेदन में सामान्यत: ऐसे मामले अंतर्विष्ट होते हैं जिसमें सरकार ने आश्वासनों के कार्यान्वयन में काफी समय लिया है, आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, वे आश्वासन जिन्हें पूर्णत: या संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया गया प्रतीत नहीं होता, लंबित आश्वासनों की समीक्षा और आश्वासनों को छोड़ने की सिफारिश अंतर्विष्ट होती हैं। चूंकि समिति इन सभी पहलुओं का अध्ययन करती है, इसलिए आश्वासन के संबंध में कोई मुद्दा जैसेकि विलम्ब इत्यादि को सदन में सामान्यत: उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।[314]

> एक बार जब सदन के पटल पर आश्वासन संबंधी विवरण को रखने में हुए विलम्ब के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाना चाहा गया, तब उपसभापति ने निर्णय दिया कि समिति इसे देखेगी और इस मामले पर सदन का समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।[315]

कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें

(1) मंत्रियों द्वारा सदन में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने की बात सुनिश्चित करने के लिए समिति ने सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीन महीनों की

समय-सीमा निर्धारित की है क्योंकि किसी तरह का असाधारण विलम्ब हो जाने पर कुछ आश्वासनों इत्यादि के अप्रचलित हो जाने की सम्भावना होती है और कार्यान्वयन में विलम्ब हो जाने पर उनका पूरा महत्व समाप्त हो जाता है।[316]

(2) जहां तक कतिपय ऐसे विवरणों को आश्वासन मानने का संबंध है जबकि वे आश्वासन बनने वाली अभिव्यक्तियों की मानक सूची के अनुरूप नहीं होते, समिति ने स्पष्ट किया है कि सूची सर्वांगीण नहीं है, बल्कि निदर्शी है और सूची की अभिव्यक्ति के पर्यायवाची या उसके सदृश होने या किसी अन्य अभिव्यक्ति की आश्वासन के साथ थोड़ी-सी सादृश्यता होने पर, उस अभिव्यक्ति को आश्वासन माना जाता है। इस संबंध में समिति का विशिष्ट न्यायाधिकार है कि वह इस संबंध में निर्णय करे कि क्या कोई विशेष उत्तर आश्वासन बनता है कि नहीं और संबंधित मंत्रालय/विभाग इस प्रकार के निर्णय पर प्रश्न-चिन्ह लगाने में सक्षम नहीं है।[317]

(3) मंत्रालयों को कार्यान्वयन संबंधी विवरण तैयार करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आश्वासनों में सम्मिलित सभी तरह के मुद्दों को शामिल किया जा सके और प्रश्न में मांगी गई जानकारी की मुख्य बात को टाला न जा सके।[317क]

(4) संसदीय कार्य मंत्रालय, जिसका प्रमुख दायित्व होता है, को मंत्रालय-वार त्रैमासिक समीक्षायें करनी चाहिए और कार्यान्वयन के लंबित रहने तक मंत्रालय के आश्वासनों पर मंत्रालय-वार स्थिति संबंधी त्रैमासिक नोट सदन को प्रस्तुत करने चाहिए।[317ख]

समिति ने आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में यह टिप्पणी की है कि:

(क) इस मामले में मंत्रालय इस तर्क के आधार पर समिति के पास न जाए कि जांच में काफी समय लगेगा या यह अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है कि एक आश्वासन को पूरा करने में कितना समय लगेगा।[318]

(ख) समिति को मात्र यह सूचना देना कि आश्वासन को पूरा करने के लिए तीव्र कार्यवाही की जा रही है, यह आश्वासन को पूरा करने के लिए ठोस आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता का कोई विकल्प नहीं है।[319]

(ग) आश्वासन को परिसमाप्त करने या छोड़ने हेतु आवश्यक सूचना को न देने के लिए जन-हित का सर्वव्यापी तर्क देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।[320]

(घ) जहां तक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस आधार पर आश्वासन छोड़ने का अनुरोध करने का संबंध है कि मंत्री जी प्रश्न पर आश्वासन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने तो प्रश्न का उत्तर देते समय सिर्फ उपलब्ध वास्तविक स्थिति को बताया था, समिति ने टिप्पणी की है कि ''किसी मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को जानकारी देने के समय के सन्दर्भ में देखा जाता है तथा उसकी ऐसी जानकारी हासिल करने की मंशा से तुलना की जाती है। किसी मंत्री द्वारा की गई किसी टिप्पणी की जांच करते समय यदि यह पाया जाता है कि सदस्य द्वारा चाही गयी जानकारी समय पर उपलब्ध न होने के कारण नहीं दी जा सकी, तो आवश्यक जानकारी को बाद में उपलब्ध करा दिये जाने की मंशा सुस्पष्ट है, ऐसी मंशा के इस प्रकार के अभिव्यक्तिकरण को संबंधित मंत्रालय से सुस्पष्ट करा लेना समिति का कर्त्तव्य बन जाता है।''[321]

(ङ) मंत्रालयों/विभागों को तुच्छ आधारों पर किसी आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध नहीं करना चाहिए विशेषत: उन मामलों के संबंध में जिन पर पहले ही विचार कर लिया गया हो और समिति उन पर सहमत न हुई हो। आश्वासनों को छोड़ देने के अनुरोध केवल वास्तविक मामलों में ही किए जाने चाहिए जहां उन्हें व्यवहार्यत: पूरा करना संभव न हो। ऐसा केवल एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम।[322]

(च) यदि तीन मास की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आश्वासनों को पूरा करने में कोई वास्तविक और व्यावहारिक कठिनाइयां हों तो मंत्रालयों/विभागों को विलंब के विशेष कारणों तथा आश्वासन को पूरा करने हेतु अपेक्षित संभाव्य समय का उल्लेख करते हुए समिति के पास सीधे जाना चाहिए तथा इसकी एक प्रति संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजनी चाहिए। मंत्रालयों/विभागों को समय-सीमा को बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय से सीधे अनुरोध नहीं करना चाहिए।[323]

(छ) मंत्रालयों को भारत के संविधान द्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और इस आधार पर किसी बेलातीत चरण में आश्वासन छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध नहीं करना चाहिए कि मामला राज्य विषय से संबंध रखता है।

सरकार और समिति के बीच असहमति

आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में समिति और सरकार के बीच किसी गंभीर स्वरूप की अन्तिम असहमति हो जाने की स्थिति में समिति मामले की रिपोर्ट सभा को देगी।

> मेडिकल कॉलिजों में नामांकन हेतु आरक्षित स्थानों में प्रवेश के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 200 का उत्तर राज्य सभा में 21 जुलाई, 1982 को दिया गया। इसके उत्तर में संबद्ध मंत्री ने कहा था कि 1982-83 सत्र के लिए स्थानों का आवंटन अभी किया जाना है। यह सूचना कार्यान्वयन विवरण में दी गई थी जिसे 25 फरवरी, 1983 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। तथापि, 1982 में सरकार द्वारा नामित उम्मीदवारों के नाम, उनके माता-पिता के नाम, व्यवसाय और पदनाम के बारे में विशिष्ट सूचना जैसाकि प्रश्न के भाग (ग) में मांगी गई थी, कार्यान्वयन विवरण में नहीं दी गई थी। समिति ने इस मामले को सरकार के साथ उठाया तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को भी सुना। समिति को बताया गया कि सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। समिति ने तद्नुसार रिपोर्ट दी।[324] समिति ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रिया विषयक नियमों में विशिष्ट उपबंध करने हेतु वांछनीयता का पता लगाने के लिए इस मामले को नियम समिति को सौंप दिया। तथापि, नियम समिति इस सुझाव से सहमत नहीं हुई। उसका यह विचार था कि इस प्रकार के मामलों में समिति सभा को रिपोर्ट कर सकती है और तत्पश्चात् यह प्रश्न सभा के विनिश्चय हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए।[325]

आश्वासनों की अभिव्यक्तियों की मानक सूची

समिति ने उन अभिव्यक्तियों की निम्नलिखित मानक सूची को अनुमोदित किया है जिन्हें आश्वासन के रूप में समझा जाता है:

मामला विचाराधीन है; मैं इसकी जांच करूंगा; जांच की जा रही है; मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा; यह मूलत: राज्य सरकार का मामला है किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा; मैं राज्य सरकारों को लिखूंगा; मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्य के सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा; मैं अपने दौरे के दौरान मौके पर जाकर स्थितियों का अध्ययन करूंगा; मैं मामले पर विचार करूंगा; मैं इस पर विचार करूंगा; मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगा; हम मामले को संकल्प का रूप देंगे; मैं देखूंगा कि इस

बारे में क्या किया जा सकता है; कुछ बोलने से पूर्व मैं मामले की जांच करूंगा; सुझाव पर विचार किया जायेगा; ...को होने वाले सम्मेलन में मामले पर विचार किया जायेगा; मामले की अभी जांच की जा रही है और यदि कुछ करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से किया जायेगा; मामले को .... सरकार के समक्ष उठाया जायेगा; मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं मामले की जांच हेतु तैयार हूं; आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं; नियम बनाते समय सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा; यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं और अनुदेश दे सकता हूं; प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के बाद इसकी एक प्रति को संसद् ग्रंथागार में रख दिया जायेगा; मैं इसे माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा; मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है; यदि माननीय सदस्य का आरोप सच है, तो मैं निश्चय ही मामले की जांच कराऊंगा; हमें इसका पता करना होगा; मैं, ...सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा जोकि, मुझे आशा है, इस दिशा में पर्याप्त कदम उठायेगी; यह सुझाव कार्यवाही हेतु है जिस पर विचार किया जायेगा; (रेल बजट पर चर्चा) विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार किया जायेगा और सभी सदस्यों को उसके परिणाम से अवगत करा दिया जायेगा; सूचना एकत्र की जा रही है और इसे राज्य सभा के पटल पर रख दिया जायेगा; और मैं स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त, सभापति, उपसभापति अथवा उपसभाध्यक्ष द्वारा मंत्रियों से संबंधित कार्यवाही की बाबत निर्देश और ऐसे सभी और विशिष्ट विषय, जिन पर सूचना मांगी गई और वादा किया गया है, भी आश्वासनों, आदि की श्रेणी में आते हैं।[326]

आश्वासनों का कम्प्यूटरीकरण

आश्वासनों से संबंधित सभी संगत ब्यौरों, उदाहरणार्थ आश्वासन सं॰; प्रश्न सं॰ और तिथि; विषय; जिस सीमा तक आश्वासन कार्यान्वित किया गया; विलम्बित होने के कारण; तिथि सहित विस्तार सं॰; खोज सुविधा; कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने की तिथि और आश्वासनों को छोड़ने की तिथि इत्यादि को दर्शाने वाला वेब समर्थकृत आउटपुट से सज्जित एक क्लाइन्ट सरवर-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिससे आश्वासनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा सके और इसे http:1/172.16.11.99/cga/main.htm. पर देखा जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

प्रस्तावना

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) संविधान के उपबंधों के अधीन रखे जाने वाले प्रतिवेदन अथवा अधिसूचनाएं, संसद् के अधिनियमों तथा सभा अथवा पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसरण में रखे गए नियम, विनियम, संकल्प/आदेश अथवा पत्र;

(2) संसद् के विशेष अधिनियमों द्वारा अधिष्ठापित अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदन;

(3) सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित समितियों अथवा सहकारी समितियों अथवा उन निकायों के प्रतिवेदन जिनका वित्त-पोषण सरकार द्वारा किया जाता है अथवा जिनके लिए सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिया जाता है;

(4) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों के प्रतिवेदन;

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) के अधीन सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदन;

(6) सभा में पूर्वत: दिए गए अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों में सुधार करने वाले विवरण; और

(7) सभा के पटल पर रखा जाने वाला कोई अन्य पत्र।

सभा पटल पर लगभग हर बैठक में रखे जाने वाले पत्रों के विशद् परिमाणों और प्रकारों तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र सदस्यों के अग्रिम संवीक्षणार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं, सदस्यों के लिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों के सभी पक्षों के मामलों में सतर्कता बरतना सर्वदा संभव नहीं है। स्वयं सभा भी सभा पटल पर रखे गए प्रत्येक प्रलेख की गहन संवीक्षा करने की स्थिति में नहीं होती है। इसी पृष्ठभूमि में समिति के गठन की आवश्यकता अनुभव की गई।

उत्पत्ति

नियम समिति ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति की स्थापना के संबंध में राज्य सभा के एक सदस्य से प्राप्त एक सुझाव पर विचार किया। उक्त सुझाव के समर्थन में यह उल्लेख किया गया कि अधिकांश पत्रों को सभा पटल पर एक वर्ष के उपरांत ही रखा गया और यह एक सामान्य परिपाटी हो गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा संघ लोक सेवा आयोग के दो से तीन वर्षों तक के प्रतिवेदनों को एक साथ चर्चा के लिए उठाया गया।[327] तथापि, इन सुझावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, नियम समिति ने निदेश दिया कि इन्हें राज्य सभा में विभिन्न दलों/वर्गों के नेताओं के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दिया जाए।[328] नेताओं की सहमति के अनुसार, समिति ने संस्तुति की कि राज्य सभा में भी लोक सभा में इसी प्रकार की समिति के आधार पर एक समिति होनी चाहिए।[329]

नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समिति की उक्त संस्तुति समाहित है, राज्य सभा में 22 मई, 1979 को प्रस्तुत किया गया। लगभग दो वर्षों तक यह प्रतिवेदन सभा में लम्बित रहा; कार्यसूची[330] में समिति के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव को दो बार शामिल किया गया किंतु एकाधिक कारणों से इस प्रतिवेदन को विचारण एवं स्वीकृति के लिए नहीं लिया जा सका।

एक सरकारी कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन के सबंध में एक सदस्य (श्री इरा सेज़ियन, जो संयोगवश उस समय लोक सभा में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रथम अध्यक्ष थे और बाद में राज्य सभा की इसी समिति के प्रथम अध्यक्ष भी बने) द्वारा उठाए गए एक औचित्य प्रश्न के संदर्भ में समिति की विनिर्दिष्ट सिफारिश का 22 अप्रैल, 1981 को सदन में उल्लेख हुआ। यद्यपि यह वार्षिक प्रतिवेदन था परन्तु इसमें केवल छ: महीने की अवधि का ही लेखा-जोखा था और कम्पनी के लेखाओं के परीक्षण के संबंध में विलम्ब हुआ था। एक अन्य सदस्य ने उसमें इस विसंगति का उल्लेख किया था कि प्रतिवेदन के अंग्रेजी रूप में तो अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक की अवधि का उल्लेख किया गया था, जबकि उसके हिन्दी अनुवाद में अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि का उल्लेख किया गया था। इस मुद्दे पर सदन में काफी गर्मागर्मी हुई। राज्य सभा के एक सदस्य और पूर्व महासचिव, श्री बी॰ एन॰ बैनर्जी ने यह सुझाव दिया था कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इन मुद्दों की जांच करे। सदन के नेता ने राज्य सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करने का वायदा किया।[331]

नियम समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा 24 दिसम्बर, 1981 को (राज्य सभा के 120वें सत्र के अंतिम दिन) उस दिन सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने से पूर्व म॰ प॰ 9.00 बजे स्वीकार किया

गया था। नियमों में किए गए संशोधनों को 15 जनवरी, 1982 से लागू किया गया।[332] पहली बार समिति का गठन 3 मार्च, 1982 को किया गया। [333]

गठन

समिति[334] में दस सदस्य होते हैं जिन्हें सभापति द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है।[335] यह समिति किसी नई समिति के नामनिर्देशित होने तक कार्य करती है।[336] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा नामनिर्देशन के जरिए की जाती है।[337] समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच होती है।[338]

समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।[339] परन्तु यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।[340] यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त करता है।[341] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।[342] समिति का अध्यक्ष प्रथमत: मत नहीं दे सकता, परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका मत निर्णायक होता है।[343]

कृत्य

मंत्री द्वारा पत्र राज्य सभा के समक्ष रख दिए जाने के पश्चात् समिति निम्नलिखित बातों पर विचार करती है:

(क) क्या संविधान के उन उपबंधों या संसद् के उस अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि, नियम या विनियम का अनुपालन हुआ है जिसके अनुसरण में पत्र को इस प्रकार रखा गया है;

(ख) क्या पत्र को सदन के समक्ष रखने में कोई अनुचित विलम्ब हुआ है, और यदि हां, तो (1) क्या इस प्रकार के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी पत्र के साथ-साथ सदन के समक्ष रखा गया है और (2) क्या वे कारण संतोषजनक हैं; और

(ग) क्या पत्र को सदन के समक्ष अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में रखा गया है, और यदि नहीं, तो (1) क्या पत्र को हिन्दी में न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी पत्र के साथ-साथ राज्य सभा के समक्ष रखा गया है, और (2) क्या वे कारण संतोषजनक हैं।[344]

समिति सभा पटल पर रखे गए पत्रों के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करती है जो इसे सभापति द्वारा समय-समय पर सौंपे जाते हैं।[345]

> 25 फरवरी, 1987 को, जब सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से संबंधित अनेक अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखा जा रहा था तो उन्हें बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व जारी करने के औचित्य के बारे में सदन में प्रश्न उठाया गया था। सभापति ने उनके संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए समिति को निदेश दिया। तद्नुसार समिति ने मामले पर विचार किया और 9 अक्तूबर, 1987 को सभापति के समक्ष एक (विशेष) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभापति ने समिति के निष्कर्ष के आधार पर 28 मार्च, 1988 को अपना निर्णय दिया।[346]
>
> 23 अगस्त, 1994 को, जब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री 1993-94 के वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने वाले थे, तब कतिपय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने के प्रति मुख्यत: इस आधार पर आपत्ति की थी कि बैंक की वार्षिक आम बैठक उचित ढंग से नहीं हुई

थी और प्रतिवेदन आदि विधिवत् ढंग से स्वीकार नहीं किए गए थे। उपसभापति ने प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति देते हुए इस मामले को विस्तृत जांच और प्रतिवेदन हेतु समिति के पास भेज दिया।[347]

शक्तियां

समिति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जिन व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा जिन पत्रों अथवा अभिलेखों को प्रस्तुत कराना वह आवश्यक समझे, तो वह ऐसा कर सकती है।[348] तथापि, सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इन्कार कर सकती है कि उसे प्रकट करना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।[349] इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकता है और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए आवश्यक समझे जाएं।[350] यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह अपने समक्ष दिए गए किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।[351]

समिति का कार्यकरण

समिति सभा पटल पर रखे गए पत्रों की जांच से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करती है।[352] तद्नुसार, समिति ने अपने आन्तरिक कार्यकरण के लिए कुछ नियम बनाये हैं। सभा पटल पर रखे गए प्रत्येक पत्र और उस संबंध में किसी सदस्य से प्राप्त सुझाव या सभा अथवा सभापति से प्राप्त किसी निदेश के संबंध में सबसे पहले सचिवालय द्वारा कार्रवाई की जाती है, और यदि आवश्यक हो, तो उस संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया जाता है। समिति के अध्यक्ष द्वारा इसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् इस ज्ञापन को संबंधित मंत्रालय से प्राप्त पत्र संबंधी तथ्यों या टिप्पणियों और पृष्ठभूमि टिप्पणों सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात् समिति की बैठक की सूचना सहित संबद्ध पत्र सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। इस प्रकार परिचालित किए गए पत्रों को गोपनीय समझा जाता है।

समिति उस संगठन या प्राधिकरण का अध्ययन-दौरा भी करती है जिसके पत्र समिति के विचाराधीन होते हैं।

प्रतिवेदन

समिति का प्रतिवेदन सभा में समिति के अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।[353]

रखे गए पत्रों के बारे में सदन में मामले उठाने पर प्रतिबंध

समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले को उठाने के इच्छुक सदस्य को उसके बारे में समिति से सम्पर्क करना चाहिए और उसे सीधे सदन में नहीं उठाना चाहिए।[354]

सामान्य सिफारिशें

पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के लिए समिति ने जो मुख्य दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं, वे इस प्रकार हैं:

संसद् के अधिनियमों द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रमों अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित कंपनियों अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों अथवा किसी अन्य संगठन/बोर्ड जिनके वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि संसद् के सदनों के पटल पर रखे जाते हैं,

के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, उन पर जब कभी आवश्यक होने पर लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन/समीक्षा/टिप्पणियों सहित और सरकार के प्रतिवेदन/समीक्षा लेखे बंद होने के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखे जाने चाहिए।[355]

विलम्ब होने पर प्रलेखों के साथ-साथ सभा पटल पर विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी रखा जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में विलम्ब होने की संभावना हो तो प्रशासनिक मंत्रालय को समय बढ़वाने के लिए कारण बताते हुए पर्याप्त समय पूर्व ऐसा करने हेतु समिति से सम्पर्क करना चाहिए। पत्रों को रखे जाने के समय समिति द्वारा दी गई समय वृद्धि का उल्लेख किया जाना चाहिए।[356]

सरकारी उपक्रमों/कंपनियों/समितियों (सोसाइटियों) इत्यादि के, सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रतिवेदनों में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए:

(1) वार्षिक प्रतिवेदन; (2) लेखापरीक्षित लेखे; (3)नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियां जब भी दी गई हों; (4)नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा जब भी दी गई हो; (5) लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और समीक्षा का उत्तर; (6) सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रतिवेदन और उन अन्य संस्थाओं की समीक्षा जिनका प्रतिवेदन सरकार द्वारा रखा जाता है और (7) संसद् में प्रस्तुत किया जाने वाला सरकारी कंपनी/संगठन का वार्षिक बजट।[357]

जब भी कुछ अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो सरकारी टिप्पण में अन्य अपेक्षाओं के पूरा न किये जाने की बात को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसके पश्चात् जब भी शेष भाग सभा पटल पर रखे जाते हैं तो उस समय भी अन्य भागों को पहले पूरा कर दिये जाने संबंधी ब्यौरों का उल्लेख किया जाना चाहिए।[358]

सभा पटल पर रखे गये सभी प्रलेखों/विवरणों पर स्थान, तिथि तथा हस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पदनाम भी लिखा होना चाहिए।[359]

दिये गये वक्तव्यों तथा सभा पटल पर रखे गये पत्रों में दी गयी जानकारी को संगत रूप से यथार्थपूर्ण तथा पर्याप्त होना चाहिए और इन्हें संविधान/संविधियों/अधिनियमों/नियमों/विनियमों/संकल्पों/आदेशों/निर्देशों के उपबंधों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं की जाती है, तो समिति किसी भी पत्र को अपूर्ण मानती है।[360]

सामान्यतया प्रतिवेदनों/प्रलेखों के अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों रूपान्तर सभा पटल पर एक साथ रखे जाते है। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां दोनों रूपान्तरणों का एक साथ रखा जाना सम्भव न हो अथवा जहां सभापति ने किसी विशिष्ट अनुरोध पर और विशेष कारणों से अनुमति दे दी हो, तो मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि किसी एक रूपान्तरण को सभा पटल पर रखते समय उन्हें दूसरा रूपान्तरण न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण तथा दूसरे रूपान्तरण को प्रस्तुत करने में लगने वाले समय का संकेत करने वाला एक विवरण निरपवाद रूप से सभा पटल पर रखना चाहिए। ऐसे मामलों में, दूसरा रूपान्तरण या तो उसी सत्र में या अधिक से अधिक अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है और उसके साथ इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए एक विवरण भी रखना होता है कि पहला रूपान्तरण अंग्रेजी या हिन्दी में अमुक तिथि को सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।[361-362]

विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण में कालानुक्रम से जानकारी दी जानी चाहिए जिसमें लेखाओं को संकलित किये जाने, उन्हें लेखापरीक्षा के लिए भेजने, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप प्राप्त होने, लेखापरीक्षा संबंधी उठाई गई आपत्तियों के उत्तर देने, अंतिम रूप से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने, लेखाओं का अनुवाद और मुद्रण तथा सभा पटल पर रखने के लिए उन्हें मंत्रालयों को भेजे जाने की तारीखों का उल्लेख किया गया हो ताकि सभा विलम्ब होने की प्रावस्था तथा विलंब के कारणों के साथ-साथ इस बात का भी पता लगा सके कि वास्तव में कितना विलंब हुआ है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारी उपायों का सुझाव भी दे सके।[363]

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे पुनरीक्षा विवरणों तथा विलम्ब के कारणों वाले विवरणों सहित, यदि कोई हों तो, साथ-साथ सभा पटल पर रखे जाने चाहिए ताकि दिए गए समय पर संगठन के कार्यकरण के संबंध में संसद् के समक्ष एक पूर्ण तथा सही स्थिति स्पष्ट हो सके।[364]

सभा पटल पर प्रतिवेदन के विलम्ब से रखे जाने की सभी विवशतापूर्ण परिस्थितियों में समय बढ़वाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अपरिहार्य रूप से समिति से संपर्क करना चाहिए। किन्तु, समय बढ़वाने को एक नियमित प्रथा नहीं बनाया जाना चाहिए और इससे यथासंभव बचा जाना चाहिए।[365]

आवास समिति

गठन

आवास समिति उन चार समितियों में से एक है जिनका गठन पहली बार 1952 में किया गया था। वर्ष 1986 तक नियम पुस्तिका में इसके लिए कोई उपबंध नहीं था। नियम समिति ने नोट किया कि आवास समिति, जोकि राज्य सभा के प्रारंभ से ही अस्तित्व में रही है, के लिए मुख्य नियमों में उपबंध नहीं किया गया था। समिति को आवास समिति को नियमों में कोई स्थान न दिए जाने के पीछे कोई कारण नजर नहीं आया। तद्नुसार, नियम समिति ने चौथे प्रतिवेदन (1986) में प्रक्रिया विषयक नियमों में आवास समिति के संबंध में एक नया अध्याय सम्मिलित करने की सिफारिश की।[366]

समिति[367] में दस सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं।[368] समिति कोई नई समिति नामनिर्देशित किए जाने तक कार्य करती है।[369] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा नामनिर्देशन के माध्यम से की जाती है।[370] समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति तीन है।[371]

समिति का अध्यक्ष सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है।[372] यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।[373] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित है तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।[374] समिति का अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता है परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका मत निर्णायक होता है।[375]

कृत्य

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं: (1) सदस्यों के निवास स्थानों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्यवाही करना; (2) सदस्यों को दी गई आवास, टेलीफोन, खाद्य पदार्थ तथा चिकित्सीय सहायता जैसी

अन्य सुविधाओं की देख-रेख करना और (3) सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देने के बारे में विचार करना और उन्हें प्रदान करना, जिन्हें समय-समय पर आवश्यक समझा जाए।[376]

शक्तियां

यदि समिति अपने कर्त्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति प्राप्त है।[377] परन्तु सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार कर सकती है कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल है।[378] इसके अध्यधीन महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकता है और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।[379] यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने सामने दिए गए किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।[380]

समिति का कार्यकरण

यह समिति सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं से जुड़े सभी मामलों के विषय में अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करती है।[381]

सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित सभी प्रस्तावों, सुझावों, इत्यादि पर जहां कहीं आवश्यक होता है, सचिवालय कार्यकारी प्राधिकारियों के परामर्श से विचार करता है। समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मदों की संख्या पर्याप्त हो जाने पर समिति के अध्यक्ष के आदेश के अधीन समिति की बैठक की तारीख और समय निश्चित किए जाते हैं। बैठक में संबंधित कार्यकारी प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि वे समिति के विचाराधीन प्रस्तावों के निहितार्थों से समिति को अवगत करा सकें और समिति द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी अपलब्ध करा सकें।

समिति सदस्यों के लिए रिहायशी सुविधा और अन्य सुविधाओं से जुड़े किन्हीं विशिष्ट मुद्दों की जांच करने के लिए एक या कई उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।[382]

दोनों सदनों के सदस्यों के साझे हित से संबंध रखने वाले प्रस्तावों, सुझावों आदि पर दोनों सदनों की आवास समितियों के अध्यक्ष विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं।

प्रतिवेदन

समिति का प्रतिवेदन इसके अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में, समिति के किसी सदस्य द्वारा सदन में उपस्थित किया जाता है।[383] तथापि, सामान्यत: समिति नियमित रूप से अपना कोई प्रतिवेदन सदन में उपस्थित नहीं करती। अपनी स्थापना से लेकर अब तक समिति ने केवल ग्यारह प्रतिवेदन सदन में उपस्थित किए हैं।[384] समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समिति के सदस्यों में परिचालित किए जाते हैं और उनके प्रासंगिक अंश उपयुक्त प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिए जाते हैं। समिति को अपनी सिफारिशों या निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति की समय-समय पर सूचना दी जाती है। समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा सामान्यत: कार्यान्वित कर दी जाती हैं। यदि सरकार वैसा करने में असमर्थ हो तो, समिति सरकार की आपत्तियों पर विचार करती है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों में संशोधन कर सकती है।

नियम समिति

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संसद् का प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया और कार्य-संचालन को नियंत्रित करने के लिए, संविधान के उपबंधों के अध्यधीन, नियम बना सकता है।[385]

जब तक ऐसे नियम नहीं बने तब तक संसद् के विषय में, ऐसे परिवर्द्धनों और अनुकूलनों के अध्यधीन जोकि सभापति ने उनमें किए, वही प्रक्रिया-विषयक नियम और स्थायी आदेश लागू रहे जो भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने से तुरन्त पहले भारत राज्य के विधान-मंडल के मामले में लागू थे।[386] अन्य शब्दों में, 13 मई, 1952 को जब राज्य सभा की पहली बैठक हुई तब इसके अपने कोई प्रक्रिया-विषयक नियम नहीं थे। राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से राज्य सभा के सभापति ने संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संविधान के प्रवृत्त होने से तुरंत पहले लागू संविधान सभा (विधायी) प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन विषयक नियमों को संशोधित और अंगीकृत किया और इन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 16 मई, 1952 में प्रकाशित किया गया।

> सभापति ने सभा में घोषणा की कि संविधान प्रवृत्त होने से तुरन्त पहले लागू प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन विषयक नियमों में उन्होंने परिवर्द्धन किया है और उन्हें इस सत्र को शासित करने वाले नियमों के रूप में अपनाया है।[387]

नियम समिति का सबसे पहला नामनिर्देशन 22 मई, 1952 को हुआ था। इसके चौदह सदस्य थे। नियम समिति ने यथा-संशोधित और यथा-अंगीकृत नियमों में संशोधनों के सुझाव प्राप्त किए और उन पर विचार किया। समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन सभापति को 10 जुलाई, 1952 को प्रस्तुत किया। सभापति ने संशोधनों को अपनी स्वीकृति दी और इन्हें राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई, 1952 में प्रकाशित किया गया। (ये संशोधन प्रश्नों के विषय में थे और इनमें आधे घंटे की चर्चा का उपबंध था।)[388]

समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभापति को 2 अगस्त, 1952 को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सभापति ने स्वीकृति दे दी और ये राजपत्र में 4 अगस्त, 1952 को प्रकाशित किये गए। (इन संशोधनों में कार्य मंत्रणा समिति का उपबंध किया गया था।)[389]

समिति का तीसरा प्रतिवेदन सभापति को 14 अगस्त, 1952 को प्रस्तुत किया गया। सभापति द्वारा सुझाए गए संशोधन 12 सितम्बर, 1952 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए। (ये संशोधन उपसभापति के निर्वाचन से संबंधित नियमों के बारे में और विधेयकों के बारे मे थे।)[390]

समिति का चौथा प्रतिवेदन सभापति को 24 दिसम्बर, 1952 को प्रस्तुत किया गया। सभापति द्वारा स्वीकृत संशोधन 23 जनवरी, 1953 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए। (ये संशोधन विधेयक संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन और धन विधेयक पर विचार के विषय में थे।)[391]

सभापति को 23 जनवरी, 1954 को प्रस्तुत किया गया पांचवां प्रतिवेदन दोनों सदनों की संयुक्त समितियों के गठन के बारे में था। समिति के सुझाव को लोक सभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया ताकि उस सदन के नियमों में तद्नुरूप संशोधन अंतर्विष्ट किए जा सकें। किन्तु, इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।[392]

इस प्रकार, जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, सभापति द्वारा यथा-संशोधित और यथा-स्वीकृत पुराने नियम ही राज्य सभा के संचालन और प्रक्रिया को तब तक शासित करते रहे जब तक कि 1964 में उनके स्थान पर नए नियम नहीं बना दिये गये।

नये नियम

7 सितम्बर, 1962 को श्रीमती वायलट आल्वा ने एक संकल्प उपस्थित किया कि संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए राज्य सभा की एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति संकल्प में उल्लिखित पन्द्रह सदस्यों से मिलकर बनी थी। यह संकल्प उसी दिन स्वीकृत हो गया। बाद में संकल्प के अनंतिम पैराग्राफ में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए सभापति ने इस समिति में अन्य बारह सदस्य सम्मिलित कर दिए।[393] इस समिति का प्रतिवेदन सभा में 29 नवम्बर, 1963 को उपस्थित किया गया।

27 मई, 1964 को समिति के सदस्य, श्री मुल्क गोविंद रेड्डी ने दो प्रस्ताव उपस्थित किये कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए और इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 118 (1) के अधीन सदन की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन विषयक नियमों के रूप में स्वीकृत किया जाए। ये प्रारूप नियम 2 जून, 1964 को स्वीकृत किए गए। इन नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, दिनांक 1 जुलाई, 1964 में प्रकाशित किया गया। सभापति ने 1 जुलाई, 1964 की तारीख को इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया।[394]

नियमों में, **अन्य बातों के साथ-साथ**, पहली बार ध्यान दिलाने और अल्पावधि चर्चा के लिए प्रक्रियायें पुर:स्थापित की गयीं। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का भी गठन किया गया और याचिका समिति का प्रविषय विस्तृत कर दिया गया।

गठन

नियम समिति राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित की जाती है और उसमें राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति सहित सोलह सदस्य शामिल होते हैं।[395] राज्य सभा का सभापति समिति का अध्यक्ष होता है।[396] समिति नई समिति के नामनिर्देशित होने तक कार्य करती है।[397] समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान सभापति द्वारा भरे जाते हैं।[398]

यदि सभापति किसी कारण से समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो उपसभापति उसके स्थान पर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।[399] यदि सभापति अथवा उपसभापति, दोनों ही किसी कारण से किसी बैठक का सभापतित्व करने में असमर्थ हों, तो समिति उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु किसी अन्य सदस्य को चुन सकती है।[400]

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।[401] समिति का अध्यक्ष प्रथमत: मत नहीं देगा, किन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका मत निर्णायक मत होगा।[402]

कृत्य

समिति का कार्य सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के विषयों पर विचार करना और इन नियमों में ऐसे संशोधनों अथवा अभिवर्द्धन की सिफारिश करना है जो आवश्यक समझे जायेंगे।[403] नियमों में संशोधन अथवा अभिवर्द्धन के लिए सुझाव मंत्री सहित सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अथवा समिति द्वारा स्वयं अथवा सचिवालय द्वारा दिये जा सकते हैं।[404] सचिवालय सदस्यों के पास नियमों में संशोधन के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करते हुए परिपत्र भी जारी करता है।[405]

समिति का कार्यकरण

नियमों में संशोधन और अभिवर्धन के लिए सभी सुझावों और प्रस्तावों की पहले सचिवालय द्वारा जांच

की जाती है और उन्हें ज्ञापनों के रूप में समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें प्रत्येक प्रस्ताव की अर्थापत्तियां बताई जाती हैं। ये ज्ञापन समिति के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं।

सत्रह विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के गठन के संबंध में 11 मार्च, 1993 को दोनों सदनों की नियम समितियों की संयुक्त बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता राज्य सभा के सभापति ने की थी।[406]

प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशों का प्रतिवेदन, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सहित, उपसभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है।[407]

समिति का सातवां प्रतिवेदन उपसभापति द्वारा सभापीठ से प्रस्तुत किया गया था।[408]

प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ समिति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों और उनसे संबद्ध कारणों तथा सुविचारित सुझावों, परंतु जिन पर समिति की सहमति नहीं है, के बारे में उल्लेख है।

प्रतिवेदन पर विचार

प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद, उपसभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।[409] कोई सदस्य प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना उस रूप में दे सकेगा, जैसे सभापति उपयुक्त समझे।[410] प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, उपसभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि राज्य सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है, अथवा संशोधन सहित सहमत है।[411] नियमों के संशोधन जिस रूप में वे राज्य सभा द्वारा अनुमोदित हों, सभापति द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होते हैं।[412] उसके बाद संशोधन राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और सदस्यों की सूचना के लिए संसदीय समाचार जारी किया जाता है।

तथापि, राज्य सभा में सभापति द्वारा की गयी घोषणा के द्वारा पूर्व पदनाम 'सचिव' को बदलकर नया पदनाम 'महासचिव' कर दिया गया। सभा इस बात पर सहमत थी कि संगत नियमों में तद्नुसार संशोधन किया जाये।[413]

नियमों के संशोधनों संबंधी सिफारिशों का सार

जुलाई, 1972 में, नियम समिति द्वारा 10 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमों में संशोधन किये गये थे। संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्यों में विस्तार से संबंधित थे जिससे उसे संविधान के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की संवीक्षा करने की शक्ति प्रदान की जा सके। नियमों में सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नयी समिति का भी प्रावधान किया गया था।[414]

नियम समिति द्वारा 2 मई, 1979 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये अपने दूसरे प्रतिवेदन में नियमों में और संशोधन करने के लिए सिफारिश की गई थी। जिन संशोधनों की सिफारिश की गयी थी उनमें से कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों, अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाने और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा पद के त्याग करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में थे। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि राज्य सभा की 'सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति' होनी चाहिए और सदस्यों को सदन में कोई आरोप लगाने से पूर्व सभापति और संबद्ध मंत्री को सूचना देनी आवश्यक होनी चाहिए।

समिति ने 2 दिसंबर, 1981 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये अपने तीसरे प्रतिवेदन में नियमों में और संशोधन की सिफारिश की थी। उनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थीं कि उपसभापति को कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए; यदि शुक्रवार को कोई बैठक न हो तो गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य सप्ताह के किसी अन्य दिन निपटाया जाना चाहिए; कार्य मंत्रणा समिति को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए भी समय आवंटित करना चाहिए, जैसाकि वह सरकारी कार्य के मामले में किया करती है; गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प सदन द्वारा व्यक्त की जाने वाली राय की घोषणा से भिन्न रूप में होना चाहिए। विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को विचारार्थ सौंपने के प्रस्ताव को जैसाकि पहले किया जाता था सदन के नेता के बजाय प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा अथवा किसी अन्य सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाना चाहिए। समिति ने, अपने सदस्यों की गिरफ्तारी, उन्हें, निरुद्ध किये जाने और रिहा किये जाने आदि से संबंधित नियमों के सैट का भी सुझाव दिया जिनमें राज्य सभा के सभापति को सूचना देने के प्राधिकारों की आवश्यकता बताई गई थी।

राज्य सभा ने 24 दिसंबर, 1981 को हुई अपनी बैठक में सभापति द्वारा समिति के नामनिर्देशित किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर उल्लिखित दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर सहमति प्रकट की थी, ऐसा करते हुए सदन ने समिति की कतिपय सिफारिशों में परिवर्तन किया और नियमों में संशोधन किए। सदन द्वारा अंतिम रूप से सहमत संशोधनों को सभापति द्वारा 15 जनवरी, 1982 को प्रवृत्त किया गया।[415]

समिति ने राज्य सभा में 19 मार्च, 1986 को प्रस्तुत अपने चौथे प्रतिवेदन में नियमों में अन्य संशोधनों की सिफारिश की थी। समिति ने नियम 25 के उप-नियम (3) में संशोधन की सिफारिश की थी जिससे कि विधेयकों पर बैलट करने के बजाय, उन व्यक्तियों के नामों का बैलट किया जायेगा जो उन विधेयकों के प्रभारी हैं और बैलट में पहले दस स्थान प्राप्त करने वाले सदस्यों को अपने विधेयक चुनने के लिए कहा जायेगा। यह भी उपबंध किया गया था कि कोई भी सदस्य उसी सत्र में विचार के लिए एक से अधिक विधेयक का चयन नहीं कर सकेगा। समिति द्वारा नियम 28 के उप-नियम (2) में समुचित संशोधन की भी सिफारिश की गयी थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि किसी ऐसे विधेयक पर जिस पर वाद-विवाद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था मतदान (बैलट) की प्रक्रिया करना आवश्यक नहीं है और इसकी बजाय ऐसे विधेयक को अन्य विधेयकों से अग्रता प्राप्त होनी चाहिए। नियम 29 के उप-नियम (4) के संबंध में जिस संशोधन की सिफारिश की गयी थी वह पारिणामिक स्वरूप का था। समिति ने प्रक्रिया संबंधी नियमों में आवास समिति से संबंधित एक नये अध्याय अर्थात् नियम 212त से 212ब वाले अध्याय XVII ग को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी जोकि राज्य सभा के बनाए जाने के समय प्रारंभ से ही विद्यमान थे परन्तु उन्हें नियमों के मुख्य समूह में स्थान नहीं दिया गया था। सदन ने संशोधनों पर 14 मई, 1986 को सहमति प्रकट की थी और उन्हें सभापति द्वारा 1 जुलाई, 1986 से प्रवृत्त किया गया था।[416]

समिति ने 19 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए अपने पांचवें प्रतिवेदन में (1) मानव संसाधन विकास, (2) उद्योग और (3) श्रम पर तीन समितियों के गठन की सिफारिश की। राज्य सभा ने अगले दिन, अर्थात् 20 अगस्त, 1992 को प्रतिवेदन स्वीकार किया।

तदुपरान्त, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति, दोनों ने 23 फरवरी, 1993 को सम्पूर्ण मामले पर दुबारा विचार किया। इस विषय पर, दोनों सदनों की नियम-समितियों ने 11 मार्च, 1993 को एक संयुक्त बैठक में आगे भी चर्चा की। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, समिति ने प्रत्येक सभा में पहले गठित की गई तीन समितियों के स्थान पर सत्रह विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के गठन की सिफारिश की। इस संबंध में समिति का छठवां प्रतिवेदन सभा में 24 मार्च, 1993 को प्रस्तुत किया गया और सभा द्वारा उसमें कुछेक संशोधनों के साथ उसे 29 मार्च, 1993 को स्वीकार कर लिया गया। उसी दिन से नियमों को लागू कर दिया गया था।[417]

समिति का सातवां प्रतिवेदन 14 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नों की नोटिस-अवधि को 10 से 15 स्पष्ट दिवसों तक बढ़ाए जाने से संबंधित संस्तुतियों के साथ-साथ प्रश्नों की स्वीकार्यता की कुछेक शर्तें, प्रश्नों की संख्या-सीमा, तारांकित तथा अतारांकित तथा किसी सदस्य की विसम्मति के कार्यवृत्त का प्रतिवेदन एक प्रवर समिति को देने की संस्तुति की। कुछ संशोधनों के साथ 30 मई, 1995 को सभा द्वारा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। सभा द्वारा अनुमोदित संशोधनों को 15 जून, 1995 से लागू कर दिया गया।[418]

समिति का आठवां प्रतिवेदन 12 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत किया गया तथा इसे 15 मई, 2000 को स्वीकृत किया गया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें कीं: (i) प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के संग्रह में विशेष उल्लेख को अंतर्विष्ट करना और इस प्रयोजनार्थ 180(क) से लेकर 180(ङ) तक नये नियमों का

सुझाव दिया; (ii) नियम 168 के तहत सूचना (प्रस्ताव की सूचना) के प्रारूप में संशोधन करना ताकि इसे अधिक सुस्पष्ट बनाया जा सके; (iii) नियम 168 के अंतर्गत दी गई प्रस्ताव की सूचनाओं की जांच/स्वीकृति-हेतु मानदंडों को सशक्त बनाने की दृष्टि से नियम 169 में नए उप-खंडों का जोड़ा जाना; नियमों के स्थगन हेतु प्रस्ताव से संबंधित नियम 267 में संशोधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह नियम सभा के समक्ष उस दिन की कार्यावलि के प्रासंगिक हैं; और (iv) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के संग्रह में सामान्य प्रयोजन समिति को अंतर्विष्ट करना और सामान्य प्रयोजन समिति के संचालन हेतु नए नियमों 278–285 का सुझाव दिया। सभा द्वारा अनुमोदित संशोधनों को 1 जुलाई, 2000 से लागू किया गया। 20 जुलाई, 2004 को सभा में समिति का नौवां और दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसी दिन ये स्वीकृत हो गए। नौवें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के संग्रह में आचार समिति से संबंधित नियमों को शामिल करने की सिफारिश की गई। दसवें प्रतिवेदन में, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सात नई विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के गठन का सुझाव दिया।

सामान्य प्रयोजन समिति

राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में सामान्य प्रयोजन समिति का प्रावधान नहीं है। तथापि, सभापति द्वारा प्रतिवर्ष इसका गठन किया जाता है ताकि सभा से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार किया जा सके जो समय-समय पर सभापति द्वारा इसके पास भेजे जाएं और उनके बारे में परामर्श लिया जा सके। राज्य सभा के नियमों संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिश जैसाकि इसके आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट है, के अनुसरण में एक नए अध्याय XXIII को शामिल करके 1 जुलाई, 2000 से नियमों के संग्रह में सामान्य प्रयोजन समिति का उपबंध किया गया था। इस समिति में, सभापति, उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्य, सभी स्थायी संसदीय समितियों के अध्यक्ष, राज्य सभा में मान्यता-प्राप्त दलों और समूहों के नेतागण और सभापति द्वारा नामित अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अत: सामान्य प्रयोजन समिति की सदस्यता के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। सभापति इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

पहली समिति का गठन 22 मई, 1957 को किया गया था और उसमें सोलह सदस्य थे; 12 अगस्त, 1976 को गठित की गई समिति में इक्कीस सदस्य थे; 7 अगस्त, 1995 तथा 31 जुलाई, 1996 को गठित की गई समितियों के सदस्यों की संख्या क्रमश: पच्चीस और इक्कीस थी। कुछेक अवसरों को छोड़कर, जबकि समिति का पुनर्गठन अन्य समितियों की भांति नहीं किया गया, इस समिति का गठन 1957 से किया जाता रहा है।

इस समिति का कार्य है: सभा से संबंधित मामलों पर विचार करना और उनके बारे में सभापति को परामर्श देना और उन सदस्यों से संबंधित मामलों पर विचार करके सभापति को परामर्श देना जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार-क्षेत्र में न आते हों।

एक अवसर पर, समिति ने सांसदों के एयरकंडीशनरों के किराए आदि तथा अतिरिक्त आवासीय स्थान से संबंधित मामले पर विचार नहीं किया क्योंकि यह मामला आवास समिति के कार्य क्षेत्र में आता है।[419]

अब तक समिति ने प्रक्रिया संबंधी, समारोह संबंधी तथा कार्यनिष्पादन संबंधी अनेक मामलों पर विचार किया है। समिति के गठन को देखें तो यह समिति, अन्य संसदीय समितियों की तुलना में अधिक सादृश्य-मूलक वाली है और इसलिए सामान्य रुचि के महत्वपूर्ण मामले सदैव इस समिति के समक्ष उपस्थित किए जाते हैं। इस समिति द्वारा जिन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(क) प्रक्रिया संबंधी: वर्तमान सदस्यों की मृत्यु आदि पर सभा का स्थगन;[420] मई-दिवस पर बैठक न बुलाना;[421] संसदीय समितियों के दिल्ली से बाहर दौरे पर जाने संबंधी मार्ग निदेश;[422] 1974 के विशेषोल्लेख सं॰ 1 में उच्चतम न्यायालय को उत्तर न देना (राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में);[423] प्रश्नों के बैलट किए जाने की प्रक्रिया;[424] ध्यानाकर्षण प्रक्रिया;[425] राज्य सभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अनर्हता) नियम, 1985 के प्रारूप का अनुमोदन;[426] विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन;[427] सभापति के कक्ष में नए चुने गए राज्य सभा के सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान;[428] प्रश्न-प्रक्रिया।[429]

(ख) समारोह संबंधी: बंगलादेश राहत कोष के लिए संसद्-सदस्यों का अंशदान;[430] मई, 1977 में राज्य सभा की पच्चीसवीं जयंती और 100वें सत्र का समारोह;[431] राज्य सभा के प्रथम सभापति डा॰ एस॰ राधाकृष्णन् की सौवीं वर्षगांठ का समारोह;[432] राष्ट्र-गान/वन्देमातरम् के साथ सत्र का आरम्भ/समापन;[433] दिसम्बर, 2003 में राज्य सभा के 200वें सत्र का समारोह।[433क]

(ग) कार्य-निष्पादन अथवा सुविधाएं: राज्य सभा कक्ष में ध्वनि-प्रणाली;[434] राज्य सभा की दर्शक-दीर्घा में प्रवेश-स्थान पर ''मेटल डिटेक्टर'' का लगाया जाना;[435] संसद्-सदस्यों के अतिथियों/परिवार के सदस्यों के लिए उसी दिन प्रवेश-पत्र को जारी करना;[436] हिंदी में राज्य सभा के वाद-विवाद को प्रकाशित करना;[437] महिला-दर्शकों की तलाशी;[438] संसद्-सदस्यों को ब्रीफकेसों का वितरण;[439] कक्ष में सीटों का नवीकरण;[440] राज्य सभा के सदस्यों का परिचय – पैटर्न व प्रिंटिंग;[441] सदस्य-परिचय का प्रकाशन;[442] राज्य सभा क्षेत्र में सीसीटीवी (क्लोज सर्किट टीवी) का लगाया जाना;[443] सचिवालय में म॰पू॰ 10 से म॰प॰ 6 बजे तक कार्य-घंटों का निर्धारण और पांच दिन के सप्ताह का आरम्भ;[444] संसद्-सदस्यों के रक्त-ग्रुप की पहचान;[445] कक्ष में एवीआर/एसआई/मास्टर क्लॉक/ध्वनि प्रणाली का प्रतिस्थापन;[446] संसदीय समितियों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अतिरिक्त दूरभाष सुविधा;[447] जल-पान सेवा में सुधार;[448] केंद्रीय-कक्ष की शीत-व्यवस्था में सुधार;[449] संसद्-सदस्यों के लिए अधिचिन्ह;[450] संसद्-सदस्यों के लिए परिवहन और चिकित्सा सुविधाएं;[451] सचिवालय में अनुसंधान सुविधाओं को पुष्ट करना;[452] संसद्-सदस्यों को कम्प्यूटरों की आपूर्ति और उनके लिए कम्प्यूटर-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन;[453] संसद् की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाना;[454] संसद्-सदस्यों के लिए सामान्य फैक्स सुविधाएं;[455] ई-मेल के जरिये प्रश्नों की सूचनाओं की प्राप्ति, राज्य सभा के सदस्य-परिचय का आरूप, संसद् भवन के प्रांगण में सुरक्षा उपाय, संसदीय समितियों के समक्ष राज्य सरकारों के अधिकारियों के साक्ष्य संबंधी प्रक्रिया;[455क] राज्य सभा के वाद-विवादों के आकार को रॉयल अठपेजी (रॉयल 8 वी॰ओ॰) से बदलकर ए-4 अथवा ए-5 आकार का करना, विशेष उल्लेखों के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमों में विशिष्ट उपबंध करना, प्रस्तावों से संबंधित नियमों का संशोधन।[455ख]

समिति कुछ मामलों में विस्तार से विचार करने के लिए उप-समितियां बना सकती है।

> समिति ने, राज्य सभा में ध्वनि-प्रणाली की जांच के लिए एक विशेषज्ञ-समिति का गठन किया।[456]
>
> समिति ने मई, 1977 में राज्य सभा की 25वीं वर्षगांठ तथा 100वां सत्र मनाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूप-रेखा बनाने के संबंध में सभापति को एक उप-समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया था।[457]
>
> सभापति ने संसद् पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म के निर्माण के संबंध में लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति की उप-समिति में शामिल करने के लिए सदस्यों को नामनिर्देशित किया।[458]
>
> समिति ने 5 सितम्बर, 1988 को डा॰ एस॰ राधाकृष्णन् की जन्म-शताब्दी के कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की।[459]
>
> समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि राज्य सभा और लोक सभा की नियम समितियों के सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया जाये ताकि लोक सभा की नियम समिति के प्रारूप दूसरे प्रतिवेदन में यथा-अनुशंसित संसद् की स्थायी समितियों के गठन से संबंधित मामले पर विचार किया जा सके।[460]
>
> विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी और केन्द्रीय लोक निर्माण विभागों के विशेषज्ञों की समिति को निदेश दिया गया कि वह राज्य सभा के लिए समुचित ए॰वी॰आर॰/एस॰आई॰/ध्वनि व्यवस्था का तकनीकी रूप से मूल्यांकन और पहचान करे।[461]

समिति ने संसदीय समितियों के बीच आधिकारिक अतिव्याप्ति के मुद्दे की जांच करने के लिए सभापति को एक उप-समिति गठित करने हेतु प्राधिकृत किया और सभापति ने इस प्रयोजनार्थ एक पांच सदस्यीय उप-समिति को नामनिर्देशित किया,[461क] जिसने कई बार बैठकें कीं और इस मुद्दे पर विचार किया। तत्पश्चात्, राज्य सभा के सभापति द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके इस मामले की जांच करने

के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया;[461ख] और इस उप-समिति के सदस्यों को संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किया गया। समिति ने पहले सभा में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, 1 जुलाई, 2000 से नियमों के संग्रह में समिति का उपबंध किए जाने के फलस्वरूप नियम 283 के तहत समिति के लिए यह उपबंध है कि यदि वह उपयुक्त समझे तो किसी ऐसे मामले पर जोकि इसके कार्य के दौरान प्रकाश में आया अथवा उत्पन्न हुआ हो और जिसे यह सभापति अथवा सभा के ध्यान में लाना आवश्यक समझती हो, एक विशेष प्रतिवेदन तैयार कर सकती है, इसके बावजूद कि यह मामला इसके विचारार्थ विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता अथवा तत्संबंधी नहीं है। तथापि, समिति के निर्णयों को सम्मिलित करने वाले समिति के कार्यवृत्तों को रखा जाता है और उन्हें समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है। कार्यवृत्त के उद्धरणों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है।

राज्य सभा के सदस्यों हेतु कंप्यूटरों के प्रावधान संबंधी समिति

यह समिति 18 मार्च, 1997 को राज्य सभा के सभापति द्वारा गठित की गई थी। राज्य सभा के उप-सभापति इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति राज्य सभा के सदस्यों हेतु कम्प्यूटरों की आपूर्ति से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करती है। साथ ही यह सदस्यों की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं की भी समीक्षा करती है।[461ग]

संसद्-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

चूंकि संसद्-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰) योजना के अंतर्गत सदस्यों की विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित न किए जाने संबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इस योजना के अंतर्गत, किसी सदस्य को उनके द्वारा चयनित जिलों में विकास कार्यों/परियोजनाओं की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है जिसे संबंधित जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। यह महसूस किया गया कि एक प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिए ताकि एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰ योजना के तहत परियोजनाओं का समुचित रूप से और तीव्र क्रियान्वयन किया जा सके। इसके दृष्टिगत, 5 सितम्बर, 1998 को राज्य सभा में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। राज्य सभा के उपसभापति इस समिति के अध्यक्ष हैं।[461घ]

एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰एस॰ संबंधी समिति ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं:—

वर्ष	की गई बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3
1998	2	—
1999	3	प्रथम प्रतिवेदन 23 दिसम्बर, 1999 को प्रस्तुत किया गया
2000	6	—
2001	7	दूसरा प्रतिवेदन 11 दिसम्बर, 2001 को प्रस्तुत किया गया तीसरा प्रतिवेदन 18 दिसम्बर, 2001 को प्रस्तुत किया गया

1	2	3
2002	8	चौथा प्रतिवेदन 17 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत किया गया
2003	4	–
2004	7	पांचवां प्रतिवेदन 7 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया[461ङ]

III. विधेयकों संबंधी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां

प्रस्ताव उपस्थित करने और सभा द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् विधेयक समय-समय पर प्रवर समितियों को सौंपे जाते हैं जिसके संबंध में सदस्यों के नाम प्रस्ताव में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किए जाते हैं। इसी तरह से विधेयक लोक सभा की सहमति से संयुक्त समितियों को सौंपे जा सकते हैं, जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। ऐसी प्रवर/संयुक्त समितियां **तद्‌र्थ** समितियां होती हैं क्योंकि उन्हें केवल उनको सौंपे गए विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है और ये समितियां सभा(ओं) को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद **पदकार्य निवृत्त** हो जाती हैं।

ये समितियां सभा में किसी विधेयक के द्वितीय पाठन के प्रथम चरण पर नियुक्त की जाती हैं। इस चरण में, विधेयक का प्रभारी सदस्य स्वयं ही यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति अथवा लोक सभा की सहमति से सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए। तथापि, यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि विधेयक पर विचार किया जाए, तो कोई अन्य सदस्य यह संशोधन उपस्थित कर सकता है कि विधेयक को प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए।[462] प्रस्ताव अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार कर लेने पर विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, और यदि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना हो तो ऐसा सहमति प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर और लोक सभा द्वारा समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर लेने पर किया जाता है।

गठन

किसी विधेयक संबंधी प्रवर समिति के सदस्य, सभा द्वारा तभी नियुक्त किए जाते हैं जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए।[463] विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव में समिति में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सभा के सदस्यों की संख्या और नाम दिए जाते हैं और लोक सभा द्वारा उस समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या भी दी जाती है। किसी संयुक्त समिति में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों का अनुपात 1:2 है। प्रवर/संयुक्त समिति की सदस्यता की वास्तविक संख्या निर्धारित नहीं है; यह प्रत्येक समिति में अलग-अलग होती है।

यदि कोई सदस्य प्रवर समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे उस समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता। प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित सदस्य समिति में काम करने के लिए राजी है।[464]

विधेयक के प्रभारी सदस्य अथवा मंत्री को सामान्यत: समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। किसी प्रवर/संयुक्त समिति का गठन सभा(ओं) में विभिन्न पार्टियों/दलों की सदस्य-संख्या को दर्शाता है।

जब संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने की सहमति का प्रस्ताव किया गया तो कुछ पार्टियों के सदस्यों को उसमें शामिल न किए जाने पर आपत्ति प्रकट की गई थी। प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा था।[465]

सामान्य नियम के रूप में केवल एक ही विधेयक प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपा जाता है परन्तु यदि किसी मामले में एक ही विषय पर दो विधेयक हों, तो उन्हें एक ही प्रस्ताव अथवा दो अलग-अलग प्रस्तावों द्वारा एक ही प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है।

दो मंत्रियों ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 को संयुक्त समितियों को भेजने और दोनों समितियों में सदस्यों के नामों के साथ सहमति के लिए पृथक् प्रस्ताव उपस्थित किए। उपसभापति द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दोनों विधेयकों पर एक ही समिति कार्य करेगी। विधि मंत्री इस विचार से सहमत थे।[466]

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

संयुक्त समिति द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई नियम नहीं है। अत: इस प्रयोजन के लिए सभा में एक स्वत: पूर्ण प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। प्रस्ताव में संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, समिति के लिए लागू होने वाली प्रक्रिया के नियम, समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लगने वाले समय और अंत में समिति में शामिल होने के लिए दूसरी सभा द्वारा सहमति के सम्बन्ध में अनुरोध और समिति में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए इसके सदस्यों के नामों की सूचना देने के बारे में, निर्धारण किया जाता है। सामान्यत: उस सभा के विधेयकों संबंधी प्रवर समिति, जिसमें प्रस्ताव शुरू किया जाता है, से संबंधित नियम, संयुक्त समिति पर भी लागू होते हैं। स्वीकार हो जाने पर प्रस्ताव को सहमति के लिए तथा समिति में काम करने के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए दूसरी सभा में भेजा जाता है।

जैसा पहले ही कहा गया है,[467] लोक सभा के विघटन पर संयुक्त समिति भी विघटित समझी जाती है। यदि विधेयक को इसके पास भेजना होता है तो संयुक्त समिति का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाता है।

जिस सभा में संयुक्त समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव शुरू किया जाता है वह समिति की प्रभारी होती है तथा समिति उस सभा के पीठासीन अधिकारी के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करती है।[468] समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय की बढ़ोत्तरी की अनुमति, यदि अपेक्षित हो, उसी सभा से मांगी जाती है। जब ऐसी समयवृद्धि की अनुमति दी जाती है तब दूसरे सदन को औपचारिक संदेश द्वारा सूचित किया जाता है।

आकस्मिक रिक्तियां

प्रवर समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति राज्य सभा में किये गये एक प्रस्ताव पर नियुक्ति द्वारा की जाती है।[469] संयुक्त समिति के मामले में जिसकी पहल राज्य सभा द्वारा की गई हो, यदि राज्य सभा की सदस्यता में रिक्ति है तो राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए सुझाये गये सदस्य का नाम बताने वाला एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है और सदन द्वारा इसे स्वीकार करने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय को एक पत्र द्वारा इस तथ्य की सूचना दी जाती है। यदि रिक्ति लोक सभा की सदस्यता में है तो वह रिक्ति उस सदन द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गयी सिफारिश पर भरी जाती है। प्रस्ताव को राज्य सभा में स्वीकार करने के पश्चात् सहमति के लिए तथा रिक्ति को भरने के लिए उस सदन के किसी सदस्य के नामनिर्देशन के लिए लोक सभा को भेजा जाता है। लोक सभा से प्रस्ताव पर सहमति का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सभा को

दी जाती है। लोक सभा में बनने वाली इसी संयुक्त समिति के मामले में यही प्रक्रिया उल्टे क्रम से अपनाई जाती है।

समिति का अध्यक्ष

समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परन्तु जहां उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।[470] यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।[471] यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुन सकती है।[472] किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में समिति का अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाला अन्य व्यक्ति दूसरा या निर्णायक मत देता है।[473]

गणपूर्ति

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति की समस्त सदस्य संख्या के एक-तिहाई से होती है।[474] यदि समिति की किसी बैठक के लिए निश्चित समय पर या ऐसी किसी बैठक के दौरान किसी समय गणपूर्ति न हो, तो समिति के अध्यक्ष को उस बैठक को गणपूर्ति होने तक या तो निलम्बित रखना पड़ता है अथवा उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है।[475] यदि समिति की बैठक गणपूर्ति के अभाव में उस समिति की बैठक के लिए निश्चित दो तिथियों के लिए लगातार स्थगित की जा चुकी हो तो, समिति के अध्यक्ष को इस बात की सूचना सभा को देनी पड़ती है।[476]

> पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1989 संबंधी संयुक्त समिति के अध्यक्ष (श्री बी॰ए॰ मासोदकर) ने 28 जुलाई, 1989 को सभा को सूचना दी कि समिति की अनेक बैठकों को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर देना पड़ा था। राज्य सभा में ऐसा पहली बार हुआ था कि नियम 74(3) के अधीन ऐसी कोई सूचना दी गई थी।[477]

अनुपस्थित सदस्यों को सेवामुक्त किया जाना

यदि कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना समिति की लगातार दो या दो से अधिक बैठकों से अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से सेवामुक्त करने के लिए सदन में प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है।[478] यह केवल सामर्थ्यकारी उपबंध है और इसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है।

समिति के सदस्यों से भिन्न सदस्य किसी बैठक में उपस्थित रह सकते हैं

जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य न हों, वे समिति के विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे न तो समिति को सम्बोधित कर सकते हैं और न ही समिति के सदस्यों में बैठ सकते हैं।[479] तथापि, कोई मंत्री समिति के अध्यक्ष की अनुमति से उस समिति को सम्बोधित कर सकेगा जिसका वह सदस्य न हो।[480]

उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति

समिति विधेयक से संबंधित किन्हीं विशेष बातों की जांच करने के लिए उप-समिति या अध्ययन दल नियुक्त कर सकती है। ऐसी उप-समिति को निर्देश के आदेश में जांच-पड़ताल की बात या बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सारी समिति द्वारा विचार किया जाता है।[481]

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954 संबंधी संयुक्त समिति ने सहदायिकी सम्पत्ति में किसी महिला संबंधी को हिस्सा दिए जाने संबंधी एक संशोधन पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी।[482]

जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति ने तीन अध्ययन दल नियुक्त किए थे;[483] अवक्रय विधेयक, 1968 संबंधी संयुक्त समिति ने अवक्रेताओं के हितों पर विचार करने के लिए तीन उप-समितियां नियुक्त की थीं;[484] बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समिति ने तीन अध्ययन दल नियुक्त किए थे।[485]

कार्य

विधेयक संबंधी किसी प्रवर/संयुक्त समिति का कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के पाठ की खंडश: जांच करना है कि विधेयक में किए जाने वाले उपाय का इरादा स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है और प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य यथेष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

समिति इस प्रयोजन के लिए विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों अथवा व्यक्तियों और संगठनों से ज्ञापन आमंत्रित कर सकती है अथवा उनका मौखिक साक्ष्य ले सकती है। समिति सरकारी अधिकारियों से विधेयक के विभिन्न उपबंधों के पीछे अंतर्निहित नीति को स्पष्ट करने तथा उनसे समिति द्वारा अपेक्षित जानकारी और पृष्ठभूमि सामग्री उसे मुहैया कराने को भी कह सकती है। समिति साक्ष्य सुनने के बाद विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विचार करती है और अपना निष्कर्ष देती है तथा इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए विधेयक के खण्डों आदि में संशोधन कर सकती है। समिति के विचार-विमर्श में उसकी सहायता करने के लिए संबंधित मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी तथा विधायी परामर्शी (प्रारूपकार) भी समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

समिति विधेयक से संबद्ध किसी मामले का मौके पर अध्ययन करने के लिए संगठनों और संस्थाओं आदि का भी दौरा कर सकती है उदाहरणत: खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समिति ने प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए संस्थाओं का दौरा किया था।[486]

बैठकें

समिति की बैठकें ऐसे दिनों में होती हैं जिन्हें समिति का अध्यक्ष निश्चित करे।[487] परन्तु यदि समिति का अध्यक्ष तत्काल न मिल सके तो महासचिव उस मंत्री के परामर्श से जिसके मंत्रालय का सम्बन्ध विधेयक से हो, बैठक की तिथि और समय निश्चित कर सकता है।[488]

जिस समय राज्य सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकती है, परन्तु राज्य सभा में विभाजन की मांग किये जाने पर समिति का अध्यक्ष समिति की कार्यवाही ऐसे समय तक के लिए निलम्बित कर देगा जिसके भीतर, उसकी राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकते हैं।[489]

समिति की बैठक संसद् भवन की परिसीमा के भीतर की जाती है।[490] परंतु यदि किसी अवस्था में संसद् भवन की परिसीमा के बाहर ऐसी बैठक करना आवश्यक समझा जाये तो इस विषय का निर्देश सभापति द्वारा किया जायेगा। जिसका निर्णय समिति को संसद् भवन के बाहर या अन्यत्र बैठक करने की अनुमति देने के लिए अन्तिम होता है।[491] अनेक अवसरों पर समितियों को दिल्ली के बाहर बैठकें करने की अनुमति दी गयी है। ऐसे भी दृष्टांत हैं जब राज्य सभा के सभापति ने समिति की[492] अथवा उसके अध्ययन दलों अथवा उप-समितियों[493] की दिल्ली से बाहर बैठकें करने के समिति के अनुरोध को नहीं माना।

साक्ष्य

सामान्यत: समिति पहली बैठक में यह निर्णय लेती है कि वह विधेयक के संबंध में उसके द्वारा किए उपायों से प्रभावित विभिन्न संबंधित व्यक्तियों से साक्ष्य लेगी या नहीं अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य आवश्यक अथवा उपयोगी होंगे या नहीं। यदि समिति साक्ष्य लेने का निर्णय करती है तो सामान्यत: व्यक्तियों, संघों अथवा संगठनों से विधेयक के संबंध में ज्ञापन मांगते हुए एक प्रेस नोट जारी किया जाता है और ऐसा ज्ञापन प्राप्त करने के लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है।

तथापि, भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 1963 संबंधी प्रवर समिति ने इस बात के मद्देनजर प्रेस विज्ञप्ति जारी न करने का निर्णय किया था कि विधेयक को पहले ही उस पर सार्वजनिक राय प्राप्त करने के लिए परिचालित किया जा चुका था।[494] समिति ने विशेषज्ञ साक्षियों को सुना।

कुछ मामलों में, समितियों ने विधेयकों के विभिन्न उपबंधों के संबंध में प्रश्नावलियां भी जारी की हैं। उदाहरणत: भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 और केन्द्रीय एवं अन्य सोसायटी (विनियमन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समितियों ने भी प्रश्नावलियां जारी की थीं।[495]

समिति के अध्यक्ष को ज्ञापन का अध्ययन करने के पश्चात् यह निर्णय करने का प्राधिकार है कि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए किसे आमंत्रित किया जाये इस प्रयोजन के लिए, केवल उन्हीं संघों अथवा व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध किया हो। समिति का अध्यक्ष इस बारे में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार करता है।

कोई प्रवर/संयुक्त समिति ऐसे किसी सदस्य को अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुला सकती है जोकि समिति का सदस्य नहीं हो।

कई बार ऐसा हुआ है जब विधेयकों संबंधी संयुक्त/प्रवर समितियों द्वारा संसद् सदस्यों को या तो प्रतिनिधि होने की हैसियत से अथवा समिति द्वारा विचार किये जा रहे मामलों के संबंध में विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उदाहरणार्थ, श्री एम॰सी॰ सीतलवाड, श्री ए॰एन॰ मुल्ला और श्री जी॰एस॰ पाठक, जो कि संसद् सदस्य थे, राज्य सभा की भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे;[496] श्री सीतलवाड, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष भी उपस्थित हुए थे;[497] श्री इन्द्रदीप सिन्हा, संसद् सदस्य अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे;[498] श्री एस॰एन॰ मिश्र, संसद् सदस्य, किराना समिति, दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे।[499]

एक मामले में, जल प्रदूषण निवारण विधेयक 1969 संबंधी संयुक्त समिति का एक सदस्य साक्षी के रूप में समिति के समक्ष उपस्थित हुआ था।[500] पुन:, जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई॰ के॰ गुजराल) साक्षी के रूप में उपस्थित हुए थे।[501]

यदि समिति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा कागज़ात या अभिलेखों की प्रस्तुति आवश्यक समझती है तो उसे यह आवश्यकता पूरी करने की शक्ति प्राप्त है।[502] यदि इस आशय का कोई प्रश्न उठता है कि क्या समिति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य अथवा किसी प्रलेख की प्रस्तुति संगत है तो वह प्रश्न सभापति को भेजा जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।[503]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विधेयक, 1963 संबंधी संयुक्त समिति ने वित्त मंत्रालय से उन गैर-सरकारी कंपनियों के नाम के संबंध में जानकारी मांगी थी जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण दिया गया था और जिनमें बैंक के निदेशकों की दिलचस्पी थी। वित्त मंत्रालय ने यह तर्क दिया कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के अधीन इस प्रकार की जानकारी प्रकट किए जाने पर प्रतिबंध लगाए

जाने के कारण यह जानकारी नहीं दी जा सकती। कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद इस प्रकार की जानकारी से किसी संसद्‌ीय समिति को वंचित नहीं रखा जा सकता। तथापि, कुछ सदस्यों का यह विचार था कि वित्त मंत्रालय का तर्क न्यायोचित है। इस मतभेद के कारण अंततः यह मामला निदेश हेतु सभापति के समक्ष भेज दिया गया। सभापति ने यह व्यवस्था दी:

> भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के अभिव्यक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक से यह नहीं कहा जा सकता कि वह उनमें से प्रत्येक कंपनी का नाम, जिनमें बैंक के निदेशकों की दिलचस्पी थी, तथा उन्हें दिए गए ऋण की राशि और उसके लिए लिए गए ब्याज की दर संयुक्त समिति के समक्ष प्रकट करे। सभापति ने आगे कहा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंध सभी पर लागू होते हैं और इस संबंध में संसद् अथवा इसकी समितियों के पक्ष में अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया जा सकता तथा यदि संसद् यह उचित समझती है कि संसद् अथवा उसकी समितियों को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के उपबंधों से छूट प्रदान की जानी चाहिए तो उक्त धारा में संशोधन करना आवश्यक होगा। इन परिस्थितियों में सभापति ने यह निर्णय किया कि वह सरकार को यह निदेश दे पाने की स्थिति में नहीं है कि वह संयुक्त समिति को उन गैर-सरकारी कंपनियों के नाम तथा ब्यौरा उपलब्ध कराए जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दी गई थी और जिनमें निदेशकों की दिलचस्पी थी।[504]

तथापि, सरकार इस आधार पर कोई प्रलेख प्रस्तुत करने से मना कर सकती है कि उसका प्रकट करना राष्ट्र की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।[505] इसके नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकता है और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हों।[506]

समिति विशेषज्ञ साक्ष्य और इसके किसी उपाय से प्रभावित विशेष हित वाले लोगों के प्रतिनिधियों की सुनवाई कर सकती है।[507]

> राज्य सभा द्वारा बनाई गई संयुक्त समितियों के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उन्होंने विदेशों के विशेषज्ञ साक्षियों की सुनवाई भी की है।
>
> उदाहरण के लिए, प्रतिलिप्याधिकार विधेयक, 1955 संबंधी संयुक्त समिति ने इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑथर्स एंड कंपोजर्स, पेरिस, परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, लंदन और ब्रिटिश जॉइंट कॉपीराइट काउंसिल, लंदन के प्रतिनिधियों की सुनवाई भी की थी। उनकी सुनवाई के बारे में एक प्रतिनिधि ने तो यह कहा: ''जब मैं तीस देशों के लेखक समाजों में अपनी रिपोर्ट दूंगा तो मैं इस बात का उल्लेख अवश्य करुंगा कि आपने मेरी बात बहुत धैर्य से और काफी देर तक सुनी।''[508]
>
> पुनः, जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति ने पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य के संबंध में नौ विदेशी विशेषज्ञों की बात सुनी थी।[509] समिति के समक्ष उपस्थित हुए एक विदेशी वैज्ञानिक के शब्दों में, ''यह हमारे देश, जो भारत से 10,000 मील दूर है, के किसी नागरिक के लिए असाधारण सौभाग्य की बात है कि उसे विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र, भारत की संसद् को संबोधित करने का अवसर मिला।''[510]

समिति को दिया गया कोई भी दस्तावेज समिति की जानकारी और सहमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता अथवा बदला नहीं जा सकता।[511]

साक्षी को जांच के लिए बुलाए जाने से पूर्व समिति प्रक्रिया के तरीके तथा साक्ष्य से पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के स्वरूप के बारे में निर्णय करती है।[512] प्रारंभ में साक्षी को इस बात की अनुमति दी जाती है कि वह समिति को पहले ही दिए गए अपने ज्ञापन को पूरा करने के लिए समिति के समक्ष मौखिक टिप्पण करे। यदि साक्षी ने ज्ञापन नहीं दिया है तो उसे समिति के समक्ष विषय वस्तु के बारे में अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। तत्पश्चात्, अध्यक्ष तथा सदस्य साक्ष्य से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन्हें वे विधेयक की विषय वस्तु या उससे सम्बद्ध किसी विषय के संबंध में आवश्यक समझते हों।[513] किसी

भी साक्षी से यह कहा जा सकता है कि वह समिति के समक्ष कोई अन्य संगत मुद्दे रखे जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और जिन्हें साक्ष्य समिति के समक्ष रखना अनिवार्य समझता है।[514]

जब कभी साक्षी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है तो समिति की कार्यवाही का शब्दश: अभिलेख रखा जाता है।[515] समिति के समक्ष रखे गए साक्ष्य को समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है।[516] साक्ष्य की एक प्रति पुष्टि के लिए साक्षी को भेजी जाती है और उसे यह सलाह दी जाती है कि वह इसे सभा पटल पर रखे जाने तक गुप्त रखे।

समिति यह निर्णय करती है कि क्या इसके समक्ष दिये गये साक्ष्य का पूर्ण रिकार्ड ही सभा पटल पर रखा जाए अथवा आंशिक रूप से या सारांश रूप में सभा पटल पर रखा जाए।[517] और क्या समिति को दिया गया लिखित ज्ञापन साक्ष्य के परिशिष्ट के रूप में मुद्रित किया जाना चाहिये अथवा सभा पटल पर रखा जाना चाहिये या सदस्यों द्वारा संदर्भ के लिए पुस्तकालय में रखा जाना चाहिये।

> बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया था कि समिति के समक्ष दिया गया पूर्ण साक्ष्य सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। तथापि, मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य को मुद्रित करवाने की आवश्यकता नहीं है और साक्ष्य को सभा पटल पर रखे जाने के बाद उसके दो सेट संसद् के पुस्तकालय में रखे जाने चाहिये।[518]
>
> इसी प्रकार का निर्णय खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974[519] तथा केन्द्रीय और अन्य संस्थाएं (विनियमन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समितियों द्वारा किया गया था।[520]
>
> मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबंधी संयुक्त समिति ने इसके समक्ष दिये गए सम्पूर्ण साक्ष्य को सभा पटल पर रखने तथा रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद प्राप्त ज्ञापन के एक सेट को संसद् सदस्यों द्वारा संदर्भ के लिए संसद् के पुस्तकालय में रखने का निर्णय किया था।[521]
>
> एक अवसर पर, जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति का एक सदस्य समिति को दिए गए एक दस्तावेज अथवा दस्तावेजों के संबंध में संभावित विशेषाधिकार हनन जैसा एक प्रश्न समिति के ध्यान में लाना चाहता था। समिति ने एक बोर्ड के सदस्य-सचिव का साक्ष्य अभिलिखित किया था कि उसे उस बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समिति को दिए गए एक प्रतिवेदन की चक्रलिखित प्रति कैसे प्राप्त हुई और किस तरह से उसे सचिवालय द्वारा सदस्यों को परिचालित कर दिया गया था। यह साक्ष्य समिति द्वारा बंद कमरे में अभिलिखित किया गया था। साक्ष्य के दौरान विधि मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों को वहां से चले जाने के लिए कहा गया था। सचिवालय के अधिकारियों को भी वहां से चले जाने के लिए कहा गया था।[522] साक्ष्य का शब्दश: प्रतिवेदन रखा गया था परंतु समिति ने यह निर्णय किया कि बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा दिए गए साक्ष्य, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, को छोड़कर संपूर्ण साक्ष्य को सभा पटल पर रखा जाएगा।[523] [महाराष्ट्र सरकार को संदर्भाधीन प्रतिवेदन इस तरह से दे दिए जाने के संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बिना शर्त क्षमा याचना किए जाने की बात को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने यह मामला वापस ले लिया था।] [524]

लोक सभा भंग होने के परिणामस्वरूप पूर्व संयुक्त समिति के समाप्त हो जाने के कारण नए सिरे से गठित की गई संयुक्त समिति के मामले में, सामान्यत: नई समिति यह निर्णय करती है कि पूर्व संयुक्त समिति द्वारा किए गए कार्य को नई समिति के कार्य के एक अंग के रूप में समझा जाए। पूर्व समिति द्वारा अभिलिखित सभी ज्ञापनों आदि तथा मौखिक साक्ष्य को नई समिति के ज्ञापनों तथा मौखिक साक्ष्य के अंग के रूप में समझा जाता है।[525]

यदि समिति यह निर्णय करती है कि संपूर्ण साक्ष्य या इसका कुछ अंश अथवा सारांश, जो भी स्थिति हो, सभा पटल पर रखा जाना है तो उसका मुद्रण पृथक् खंड में किया जाता है। समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित ऐसे साक्ष्य की एक प्रति स्वयं उसके द्वारा अथवा समिति द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत सदस्य द्वारा सभा

पटल पर रखी जाती है। इसे सदन के समक्ष प्रतिवेदन के साथ पेश नहीं किया जाता है बल्कि पृथक् रूप से सभा पटल पर रखा जाता है। किसी संयुक्त समिति के मामले में साक्ष्य की एक प्रमाणिक प्रति लोक सभा सचिवालय को भेजी जाती है ताकि उसे राज्य सभा में पेश किए जाने के साथ ही साथ लोक सभा में भी सभा पटल पर रखा जा सके। सभा पटल पर रखे जाने के बाद साक्ष्य की प्रतियां दोनों सदनों के सदस्यों को परिचालित कर दी जाती हैं।

किसी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य समिति के किसी सदस्य द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह औपचारिक रूप से सभा पटल पर न रख दिया जाए।[526] समिति के समक्ष उपस्थित होने पर साक्षी को भी साक्ष्य संबंधी कार्यवाही शुरू होने से पूर्व समिति के अध्यक्ष द्वारा तद्नुसार सूचित कर दिया जाता है। तथापि, सभापति स्वविवेक से यह निदेश दे सकता है कि ऐसा साक्ष्य औपचारिक रूप से सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व गुप्त रूप से सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।[527]

प्रक्रिया

साक्ष्य यदि कोई है तो उसकी सुनवाई के बाद समिति विधेयक पर खंडश: विचार करती है, सदस्य अपने संशोधन, यदि कोई हैं तो, पेश करते हैं जिन्हें सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिया जाता है। समिति में संशोधन उपस्थित करने की प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ, जो चाहे रूपभेद के हों अथवा कोई अंश जोड़कर या निकाल कर किये गए हों, जिन्हें सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझे, यथासाध्य वही होगी, जिसका अनुसरण राज्य सभा में किसी विधेयक के विचार प्रक्रम में किया जाता है।[528]

केवल समिति के सदस्यों को संशोधनों की सूचना देने का अधिकार है। सामान्यत:, सभा में संशोधनों की ग्राह्यता को शासित करने वाले नियम समिति पर भी लागू होते हैं।[529] विधेयक को किसी समिति के समक्ष भेजे जाने से पूर्व सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखी गई संशोधनों की सूचनाएं भी समिति को भेज दी गई समझी जाती हैं। तथापि, जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसा संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिया जाता है जब तक कि वह समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित न किया जाए।[530] संशोधनों को सभा पटल पर रखने के अलावा, समिति का सदस्य कोई ज्ञापन अथवा टिप्पण भी दे सकता है जिसमें समिति के विचारार्थ विधेयक के संबंध में उसके विचार अन्तर्विष्ट हों। समिति के अध्यक्ष के निदेश के अधीन ऐसे ज्ञापन/टिप्पण समिति के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं।

प्रक्रिया संबंधी बातें

सभापति समय-समय पर समिति के अध्यक्ष के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जिन्हें वह समिति की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा उसके कार्य के संयोजन के लिए आवश्यक समझे।[531] यदि प्रक्रिया की किसी बात के बारे में अथवा अन्यथा कोई संदेह उत्पन्न हो तो समिति का अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, उस मुद्दे को सभापति को भेज देगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।[532]

समिति को इससे संबंधित प्रक्रिया के विषयों के बारे में संकल्प सभापति के विचारार्थ पारित करने की शक्ति प्राप्त है जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।[533]

समिति का कार्यकरण

चूंकि जब विधेयक को समिति के समक्ष भेजा जाता है तो इसे सदन द्वारा सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया जाता है, अत: समिति को पूर्ण विधेयक पर सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, ऐसे उदाहरण हैं जबकि समिति ने अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा की है।

> बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973,[534] खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, 1974[535] तथा केन्द्रीय और अन्य संस्थाएं (विनियमन) विधेयक 1974[536] संबंधी संयुक्त समितियों ने संबद्ध विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सामान्य चर्चा की थी।

इस मूल परिसीमा के अध्यधीन, किसी प्रवर/संयुक्त समिति को किसी विधेयक में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। समिति किसी भी विधेयक में संशोधन कर सकती है जिसमें उसका दीर्घ शीर्षक और लघु शीर्षक शामिल हैं।

> भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1968 संबंधी संयुक्त समिति ने विधेयक के दीर्घ और लघु शीर्षकों को बदल दिया था ताकि विधेयक को केवल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् तक ही सीमित रखा जा सके और उसे होम्योपैथी के लिए पृथक विधेयक अधिनियमित किए जाने की सिफारिश की थी।[537]
>
> इसी प्रकार, जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति ने विधेयक के लंबे शीर्षक में संशोधन किया था ताकि जल प्रदूषण के निवारण के अतिरिक्त उस पर नियंत्रण भी किया जा सके तथा उसके लघु शीर्षक में परिवर्तन करके उसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम कर दिया।[538]

इसी प्रकार समिति विधेयक में नए उपबंध शामिल कर सकती है या विधेयक का दायरा सीमित कर सकती है। यथोचित मामलों में समिति विधेयक को वापस लिए जाने की सिफारिश कर सकती है।

> एक अवसर, पर खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन)विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समिति के एक सदस्य ने समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति में एक संकल्प उपस्थित किया था ताकि समिति द्वारा यह सिफारिश की जा सके कि समिति के समक्ष उपस्थित हुए एक सरकारी साक्षी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विधेयक रखने वाला सदस्य विधेयक को वापस ले ले। तथापि, चर्चा के बाद सदस्य द्वारा संकल्प वापस ले लिया गया।[539]

संशोधनकारी एक विधेयक के मामले में, संशोधनकारी विधेयक द्वारा लिए गए मूल अधिनियम की केवल उन धाराओं का उल्लेख उसमें होना चाहिए जिनमें संशोधन किया जाना है अलावा इसके कि जहां मूल अधिनियम की किन्हीं अन्य धाराओं में विधेयक के खंडों द्वारा आवश्यक रूप से संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जिनका उनसे अत्यधिक संबंध है। तथापि, इस प्रतिबंध को देखते हुए समिति यथोचित मामलों में मूल अधिनियम के संशोधन के संबंध में अपने प्रतिवेदन में सुझाव दे सकती है।

> उदाहरण के लिए, बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समिति ने मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे।[540]
>
> खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समिति ने मूल अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन के एक परिशिष्ट में कुछ सुझाव दिए थे।[541]

किसी विधेयक में किए गए संशोधनों को समिति द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद विधायी काउंसेल द्वारा उस विधेयक में शामिल किया जाता है। यह विधायी काउंसेल समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहता है। समिति सामान्यत: विधायी काउंसेल को उस विधेयक में गौण या मौखिक अथवा प्रारूपण संबंधी या आनुषंगिक परिवर्तन करने का प्राधिकार देती है। समिति का प्रारूप-प्रतिवेदन सचिवालय द्वारा तैयार

किया जाता है और उसे विधायी काउंसेल के पास उनके सत्यापन तथा जांच के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद वह इसे वापस भेज देते हैं। उसके सुझावों को, यदि कोई हों तो, प्रारूप-प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद इसे समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है तथा उनके निदेश पर, समिति के सदस्यों, संबद्ध मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा विधायी काउंसेल को परिचालित किया जाता है।

प्रवर समिति के निर्णयों का अभिलेख रखा जाता है और समिति के अध्यक्ष के निदेशानुसार उसे समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है।[542] कार्यवृत्त को भी समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दिया जाता है तथा उसे प्रतिवेदन के एक भाग के रूप में ही सभा पटल पर रखा जाता है।

प्रतिवेदन के लिए समय का बढ़ाया जाना

समिति द्वारा किसी विधेयक पर विचार किए जाने के बाद, उसे सदन द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर उसके संबंध में अपना प्रतिवेदन देना होता है।[543] जैसाकि पहले बताया जा चुका है, विधेयक को किसी प्रवर/संयुक्त समिति के पास भेजे जाने के प्रस्ताव में ही वह समय-सीमा निश्चित कर दी जाती है जिसके भीतर समिति को प्रतिवेदन दे देना चाहिए। तथापि, जहां सदन ने प्रतिवेदन उपस्थित करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित न की हो, वहां प्रतिवेदन उस तिथि से तीन माह की समाप्ति होने से पहले-पहले उपस्थित कर दिया जाना आवश्यक होता है जिस तिथि को सभा ने समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था।[544] सभा किसी भी समय, प्रस्ताव स्वीकृत करके निदेश दे सकती है कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थित किये जाने के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।[545]

समिति समय-समय पर उस समय-सीमा के बारे में निर्णय करती है जो उसका कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक होती है तथा वह समिति के अध्यक्ष को यह प्राधिकार भी देती है कि वह सदन द्वारा मूल रूप से पहले ही निश्चित किए गए समय के समाप्त होने से पहले अथवा आरंभ में या बाद में बढ़ाई गई समय-सीमा के समाप्त होने से पूर्व ही समय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पेश कर दें। ऐसे अवसर भी आए हैं जबकि समिति के प्रतिवेदनों को उपस्थित किये जाने के लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्तावों का विरोध किया गया है; परंतु संबद्ध अध्यक्ष द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया।

> हिन्दू विवाह और संबंध विच्छेद संबंधी विधेयक, 1952 पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करने के लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया गया था कि इससे यह पता चलता है कि ''सरकार किस तरह से किसी सामाजिक विधान को विलंबित करने की दिशा में प्रयास करते हुए अपना कामकाज निपटाती है, इसके लिए कारण वह चाहे जो भी दे।'' तथापि बाद में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था।[546]
>
> जब उपर्युक्त विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करने के लिए आगामी सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक समय और बढ़ाए जाने के संबंध में विधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सी॰सी॰ बिस्वास) ने एक प्रस्ताव पेश किया तो उस समय बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। प्रस्ताव पेश किए जाने के तुंरत बाद एक सदस्य ने इसका विरोध कर दिया। तब उस बारे में प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने यह टिप्पणी की कि: ''मैं चाहूंगा कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। प्रवर समिति की बैठकें अनिश्चित काल से चल रही हैं परन्तु वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन, हम कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ाएं? समिति अब दूसरी बार और अधिक समय मांग रही है...। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए।'' तब मंत्री महोदय ने प्रस्ताव लाए जाने के कारण स्पष्ट किए। सभापति ने उनसे प्रस्ताव वापस लेने तथा इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। जब एक सदस्य ने इस बात की ओर संकेत किया कि समिति के विरुद्ध कुछ आक्षेप किया गया है, तो प्रधान मंत्री ने यह बताया कि जिस समिति की नियुक्ति पिछले सत्र के दौरान की गई थी, उसे तीन महीने तक बैठकें करने का समय दिया गया है। ''यदि वे तीन महीने तक बैठकें करने से इन्कार कर देते हैं; तो इसमें सदन की कोई गलती नहीं है। यदि वे केवल

तभी बैठकें करना चाहें जब सदनों की बैठकें न चल रही हों और यदि वे हर शनिवार या रविवार को भी बैठक न कर सकते हों क्योंकि वे भी बहुत थक चुके होते हैं, तो उस हालत में प्रवर समिति में अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए।'' जब मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि समिति की बैठक प्रतिदिन हो रही है और वह पहले ही चौदह बैठकें कर चुकी है, तो तब प्रधान मंत्री महोदय ने यह टिप्पणी की: ''यदि वे उसी गति से कार्य करते रहे जिस गति से वे अब तक करते आ रहे हैं, तो उन्हें किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लगभग बीस वर्ष लग जायेंगे।'' सभापति ने भी निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> ''अब तक दिए गए सभी भाषण पूर्णत: असंगत हो जाते हैं क्योंकि मैंने सदन में इस प्रस्ताव पर अभी तक मत नहीं लिया है। जैसे ही श्री बिस्वास ने अपना प्रस्ताव पेश किया था, वैसे ही मुझे आपके खड़े होकर बोलने से पहले इस प्रस्ताव पर मत लेना चाहिए था बेहतर यही होता कि आप प्रस्ताव वापस ले लेते और मामले पर पुनर्विचार करते...अब आप आज ही प्रवर समिति की बैठक बुलाइए, उसमें मामले पर पुनर्विचार करिए और तब कल प्रात: एक नए-नए प्रस्ताव के साथ यहां आइए। हम आपको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे देंगे।''[547]

इस घटना के तीसरे दिन एक नया प्रस्ताव लाया गया जिसमें आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक समयावधि बढ़ाने के लिए कहा गया था। विधि मंत्री ने समिति का कार्यकरण विस्तार से स्पष्ट किया। एक सदस्य ने, जो समिति का सदस्य भी था, प्रधान मंत्री की उक्त टिप्पणी के विरोधस्वरूप समिति से अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी। बाद में प्रधान मंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट की और समिति के किसी भी सदस्य को और समिति की किसी भावना को यदि ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए ''खेद'' व्यक्त किया और क्षमायाचना भी की। उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि इस मामले पर विचार कर लेने के बाद और इसकी पृष्ठभूमि तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सदन को पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए और ऐसा ही किया गया। जिस सदस्य ने त्यागपत्र दिया था, उसने भी अपना त्यागपत्र वापस ले लिया।[548]

जब एक अन्य अवसर पर, विदेशी अभिदान (विनियमन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करने के लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था, तो तब भी समय बढ़ाए जाने के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए थे। सभापति ने टिप्पणी की कि, ''गत दो सत्रों के दौरान प्राप्त करने अपने अल्प अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कुछ सदस्य कुछ स्थानों का दौरा करना चाहते हैं। प्रतिवेदन दिए जाने में विलंब का एक कारण यह भी है। यदि सदन सहमत हो, तो मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा और समिति को अनेक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दूंगा।''[549]

प्रतिवेदन

बहुत पहले से चली आ रही एक निश्चित रूपरेखा के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रारंभिक पैराओं में, विधेयक तथा समिति की कार्यवाही के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है अर्थात् विधेयक को पुर:स्थापित करने की तिथि, वह तिथि जब समिति को विधेयक सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था, उस पर चर्चा की गई तथा सदन या सदनों में, जैसी भी स्थिति हो, उसे स्वीकार किया गया; समिति द्वारा की गई बैठकों का ब्यौरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाया गया समय, यदि ऐसा हो तो, इत्यादि-इत्यादि। यदि समिति को कोई ज्ञापन, आदि प्राप्त हुए हों, अथवा समिति ने किसी का कोई साक्ष्य लिया हो या यदि कोई अध्ययन संबंधी दौरे हुए हों अथवा यदि कुछ अध्ययन दलों/उप-समितियों की नियुक्ति हुई हो, तो इन सब तथ्यों का उल्लेख भी प्रारंभिक पैराओं में किया जाता है।

प्रतिवेदन के मुख्य भाग में, समिति विधेयक के विभिन्न खंडों में इसके द्वारा किये गए परिवर्तनों पर अपनी टिप्पणी करती है। समिति सदन/सरकार के ध्यान में लाने के लिए सामान्य टिप्पणियां या सिफारिशें भी कर सकती है।

> उदाहरण के लिए, बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी संयुक्त समिति ने सदन का ध्यान बागान श्रमिकों के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित न किए जाने की ओर दिलाया।[550]

> भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1968 संबंधी संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की कि होम्योपैथी के लिए एक केन्द्रीय परिषद् का गठन किये जाने के लिए संसद् में शीघ्र ही एक पृथक् विधेयक पुर:स्थापित किया जाए।[551]

प्रतिवेदन अंततः सदन से की गई इस सामान्य सिफारिश के साथ समाप्त होता है कि विधेयक, या समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक को सदन द्वारा पारित किया जाए। जहां किसी विधेयक में परिवर्तन किये गये हों, वहां समिति, यदि ऐसा करना ठीक समझे, विधेयक के प्रभारी सदस्य से यह सिफारिश कर सकती है कि उसका अगला प्रस्ताव यह होना चाहिए कि विधेयक को जिस रूप में उसे समिति द्वारा संशोधित किया गया है परिचालित किया जाए, या, जहां विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो, वहां इसे पुनः परिचालित किया जाए।[552]

समिति द्वारा यथासंशोधित प्रतिवेदन और विधेयक पर विचार किया जाना

समिति द्वारा यथासंशोधित प्रारूप-प्रतिवेदन तथा विधेयक पर उसकी अंतिम बैठक में विचार किया जाता है। उसके बाद, यथासंशोधित विधेयक को समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् समिति प्रारूप-प्रतिवेदन को स्वीकृत करती है। इन्हें स्वीकृत करने के पश्चात्, समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदन द्वारा निर्धारित की गई तिथि के भीतर एक तिथि निश्चित करती है और समिति सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के अध्यक्ष को अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत भी करती है। किसी संयुक्त समिति के मामले में, लोक सभा के एक सदस्य का अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य के प्रतिवेदन को राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही साथ उसकी एक प्रति उस सदन के पटल पर भी रखे जाने के लिए चयन किया जाता है।

समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि समिति के अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं या वह तत्काल उपलब्ध नहीं होते, तो समिति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति की ओर से किसी अन्य सदस्य का चयन कर सकती है।[553]

समिति के किसी सदस्य द्वारा असहमति-कार्यवृत्त, यदि कोई हों, सचिवालय को भेजने के लिए समिति द्वारा एक तिथि भी निर्धारित की जाती है। असहमति संबंधी कार्यवृत्त, यदि कोई हों, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले उसके साथ संलग्न कर दिये जाते हैं।

असहमति संबंधी कार्यवृत्त

समिति का कोई भी सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी भी मामले पर अपना असहमति संबंधी कार्यवृत्त अभिलिखित कर सकता है।[554] असहमति-कार्यवृत्त समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई तिथि और समय पर या उससे पूर्व समिति के अधिकारी को देना अथवा सूचना अनुभाग को भेजना आवश्यक होता है। असहमति संबंधी कार्यवृत्त हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं और उसी प्रकार से प्रस्तुत भी किए जाते हैं। सदस्यों के लिए असहमति-कार्यवृत्त संयुक्त रूप से देने की भी अनुमति है। असहमति संबंधी कार्यवृत्त संयत एवं शालीन भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए और इसमें समिति पर कोई छींटा-कशी नहीं की जानी चाहिए। यदि सभापति की राय में असहमति-कार्यवृत्त में कुछ इस प्रकार के शब्द, वाक्यांश अथवा अभिव्यक्तियां हैं जो असंसदीय हैं या अन्यथा रूप से अनुचित हैं, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यांशों अथवा अभिव्यक्तियों को असहमति संबंधी कार्यवृत्त से निकाले जाने का आदेश दे सकता है।[555] इसी प्रकार समिति के अध्यक्ष को भी ऐसे शब्दों को किसी असहमति-कार्यवृत्त से निकाले जाने की शक्ति प्राप्त है।[556] कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर अपना टिप्पण भी दे सकता है जोकि असहमति-कार्यवृत्त से अलग होता है और वह प्रतिवेदन को सदन में उपस्थित किए जाते समय उसके साथ संलग्न किया जाता है।

प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

किसी विधेयक के संबंध में समिति का प्रतिवेदन, असहमति संबंधी कार्यवृत्त सहित, यदि कोई हो, सभा में समिति के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है।[557]

सदन में उपस्थित किए गए प्रतिवेदन में सामान्यतया समिति के सदस्यों की सूची; अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित समिति का प्रतिवेदन; असहमति संबंधी कार्यवृत्त, यदि कोई हो; समिति द्वारा यथा-सूचित विधेयक, विधेयक को किसी समिति को सौंपते समय सदन (सदनों) द्वारा स्वीकृत किया गया/किए गए प्रस्ताव (प्रस्तावों) का मूल पाठ; उप-समिति का प्रतिवेदन/अध्ययन-टिप्पण, यदि कोई हों; प्राप्त हुए ज्ञापनों के विवरण, उन साक्षियों के नामों की सूची जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया; बैठकों के कार्यवृत्त और उपाबंधों आदि के रूप में सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी अन्य महत्वपूर्ण सामग्री शामिल होती है।

किसी संयुक्त समिति के मामले में प्रतिवेदन की एक अधिप्रमाणित प्रति इसके राज्य सभा में उपस्थित करने के साथ ही लोक सभा के सभा पटल पर रखने के लिए लोक सभा सचिवालय को भेजी जाती है।

सामान्यतया समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित किया जाता है लेकिन यदि समिति ऐसे समय में अपना प्रतिवेदन पूरा कर लेती है जब सदन का सत्र नहीं होता तो समिति का अध्यक्ष इसे सभापति के सामने उपस्थित कर सकता है। ऐसे मामले में, तथ्य संसदीय समाचार में प्रकाशित होता है। प्रतिवेदन समिति अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा अगले सत्र के दौरान प्रथम सुविधाजनक अवसर पर सदन में उपस्थित किया जाता है। प्रतिवेदन उपस्थित करते समय, समिति अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाला सदस्य इस आशय का एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है कि प्रतिवेदन सभापति के समक्ष उस समय प्रस्तुत किया गया था जब सभा का सत्र नहीं था और यह कि प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश सभापति द्वारा दिए गए थे।

जहां समिति प्रतिवेदन को सभापति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद और सदन में इसके प्रस्तुत किए जाने से पहले भंग हो जाती है, प्रतिवेदन महासचिव द्वारा प्रथम सुविधाजनक अवसर पर सदन के पटल पर रखा जाना होता है। प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखते समय महासचिव को इस आशय का वक्तव्य भी देना होता है कि प्रतिवेदन समिति के भंग होने से पहले सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और सभापति ने प्रतिवेदन के मुद्रित किए जाने, प्रकाशित किए जाने एवं परिचालित किए जाने का आदेश दिया था, महासचिव को सदन को उस तथ्य का भी समाचार देना होता है।[558]

किसी अन्य मामले में, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय समिति का अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला सदस्य यदि कोई टिप्पणी करता है तो उसे तथ्य के संक्षिप्त विवरण तक ही सीमित रहना होगा, परंतु इस स्थिति में कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता।[559]

> भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1968 के संबंध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए समिति अध्यक्ष ने एक के बजाय दो केन्द्रीय परिषद् स्थापित किए जाने–एक भारतीय चिकित्सा के लिए और दूसरी होम्योपैथी के लिए–की समिति की सर्वसम्मत सिफारिश के संबंध में विचार व्यक्त किए।[560]
>
> एक अन्य अवसर पर, चिट फंड विधेयक, 1982 के संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तत्काल पश्चात् सदस्यों ने समिति अध्यक्ष को बधाई दी तथा राज्य सभा द्वारा किए गए अधिकारों के दावे का भी उल्लेख किया गया (लोक सभा द्वारा पारित एक विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपने में, जब यह लोक सभा में समिति स्तर पर सम्बद्ध नहीं हुई थी)।[561]

प्रतिवेदनों का मुद्रण एवं प्रकाशन

समिति के प्रतिवेदन को मुद्रित किया जाता है और उसकी प्रतियां सदस्यों को परिचालित की जाती हैं। समिति द्वारा सूचित प्रतिवेदन और विधेयक भी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।[562]

जब सदन का सत्र न हो तो सभापति उसके सामने उपस्थित किए गए प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन का आदेश दे सकता है। यह तथ्य संसदीय समाचार में प्रकाशित किया जाता है। इस तथ्य, कि प्रतिवेदन के मुद्रण आदि का आदेश सभापति ने दिया था, का उल्लेख सदन की दोबारा बैठक के दौरान प्रतिवेदन के उपस्थित किए जाते समय/सभा पटल पर रखे जाते समय समिति के अध्यक्ष अथवा महासचिव, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।[563]

IV. विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां

पृष्ठभूमि

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति प्रणाली अथवा अधीनस्थ समितियों की शुरुआत का विषय समय-समय पर संसद् और विभिन्न मंचों के विचाराधीन रहा। उदाहरण के लिए इस विषय पर 1978 में भुवनेश्वर में हुए 'अधिष्ठाता अधिकारी' सम्मेलन में चर्चा हुई थी जिसमें ''कमेटी सिस्टम'' के संबंध में अधिष्ठाता अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति के प्रतिवेदन पर 1985 में लखनऊ में हुए सम्मेलन में विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया। तीन समितियों, अर्थात् कृषि संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति का गठन करके लोक सभा ने शुरुआत की थी।[564] समिति में 22 सदस्य थे—15 सदस्य लोक सभा से थे और 7 सदस्य राज्य सभा से थे—जो कि सम्बद्ध अधिष्ठाता अधिकारियों द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे।[565]

राज्य सभा की नियमों संबंधी समिति ने भी इस विषय पर विचार किया था और ऊपर उल्लिखित तीन समितियों के समान मानव संसाधन विकास, उद्योग और श्रम संबंधी तीन नयी समितियां बनाने की सिफारिश की थी जिसमें संसद् के दोनों सदनों के सदस्य हों।[566] सदन ने समिति के प्रतिवेदन को 20 अगस्त, 1992 को स्वीकार किया। तत्पश्चात्, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और नियमों संबंधी समिति ने संयुक्त रूप से संपूर्ण मामले पर नये सिरे से विचार किया।[567] इस विषय पर 11 मार्च, 1993 को राज्य सभा के सभापति की अध्यक्षता में राज्य सभा और लोक सभा की नियमों संबंधी समितियों की संयुक्त बैठक में फिर विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सत्रह विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के गठन का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, नियमों संबंधी समिति ने एक प्रतिवेदन में राज्य सभा में इस प्रयोजनार्थ बनाए गए प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में नये नियमों को शामिल किए जाने की सिफारिश की।[568] समिति के प्रतिवेदन को सदन ने कुछ संशोधनों सहित 29 मार्च, 1993 को स्वीकृत किया। विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों संबंधी नये नियम (268–277) इस मामले में सभापति से निर्देश मिलने पर 29 मार्च, 1993 को लागू हुए। विभाग-संबंधित समिति प्रणाली का उद्घाटन 31 मार्च, 1993 को संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष में हुए एक समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री के॰ आर॰ नारायणन के हाथों हुआ, जिन्होंने इन समितियों में उपायों पर और अधिक विस्तृत सोच-विचार के माध्यम से सरकार की संसद् के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली को हमारी संसदीय प्रणाली के विकास में नये चरण के रूप में वर्णित किया। इसका आशय प्रशासन को

कमजोर बनाना अथवा उसकी आलोचना करना नहीं है बल्कि और अधिक सार्थक संसदीय समर्थन के द्वारा इसे और मजबूत बनाना है।[569]

तद्नुसार, निम्नलिखित सत्रह विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन 8 अप्रैल, 1993 को राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा पहली बार हुआ जिनमें कार्य करने के लिए क्रमश: राज्य सभा और लोक सभा से सदस्य नामनिर्देशित किए गए।

तत्पश्चात्, 20 जुलाई, 2004 को सात और समितियां शामिल की गईं और बाद में, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम की तीसरी अनुसूची के नियम 268 के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन किए गए। विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की वर्तमान स्थिति नीचे दिए अनुसार है:

क्रम सं॰	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
	भाग-I	
1.	वणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला और बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम (2) लघु उद्योग (3) कृषि और ग्रामीण उद्योग
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) महासागर विकास (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण और वन
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पर्यटन और संस्कृति
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

1	2	3
		भाग–II
9.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि (2) खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग
10.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (2) सूचना और प्रसारण
11.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
12.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (2) विद्युत
13.	विदेशी कार्य संबंधी समिति	(1) विदेश (2) प्रवासी भारतीय कार्य
14.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त (2) कंपनी कार्य (3) योजना (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16.	श्रम संबंधी समिति	(1) श्रम और रोजगार (2) वस्त्र
17.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति	रेल
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	(1) शहरी विकास (2) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन
20.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल संसाधन
21.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक
22.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) ग्रामीण विकास (2) पंचायती राज
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1) कोयला (2) खान (3) इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2) जनजातीय कार्य (3) अल्पसंख्यक कार्य

ये समितियां प्रक्रिया के नियमों की एक अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं।[570] सभापति और अध्यक्ष को समय-समय पर एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करके अनुसूची में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है।[571]

संरचना

किसी भी समिति में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते—10 सदस्य सभापति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 21 सदस्य अध्यक्ष द्वारा संबद्ध सदनों के सदस्यों में से नामनिर्देशित किए जाते हैं। तथापि, मंत्री के रूप में नियुक्त सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाता अथवा वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं रह सकता।[572]

इन समितियों की संरचना/पुनर्संरचना के लिए अपनाया गया सामान्य तरीका यह है कि सभी 24 समितियों में आवंटन के लिए स्थानों का हिसाब-किताब राज्य सभा में विभिन्न पार्टियों/समूहों की क्रमशः संख्या के आधार पर किया जाता है। चूंकि समितियों में राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक स्थान हैं और चूंकि मंत्री समितियों के सदस्य नहीं रह सकते, अतः कभी-कभी सभी समितियों में सभी स्थान नहीं भी भर पाते। इसके मद्देनजर ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब एक सदस्य को एक से अधिक समितियों में नामनिर्देशित किया जाता है। पार्टियों को उपलब्ध सम्पूर्ण स्लाट्स का पता लगाने के बाद विभिन्न समितियों में पार्टियों के लिए एक दूसरे के मुकाबले स्थानों के आवंटन की गणना की जाती है और पार्टियों के नेताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे स्थानों के आवंटन के अनुसार विभिन्न स्थायी समितियों में नामनिर्देशन के लिए अपने सदस्यों के बारे में सूचित करें।[573]

उपरोक्त भाग-I में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष सभापति द्वारा संबंधित समितियों के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, और भाग-II में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।[574] समितियों की सदस्यता की तरह ही उनकी अध्यक्षता भी सत्ताधारी दल और प्रमुख विपक्षी दलों के बीच बंटी होती है। अप्रैल, 1993 में पहली बार गठित की गई समितियों में से गृह कार्य संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति की अध्यक्षता सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के पास थी और वाणिज्य, उद्योग और परिवहन और पर्यटन संबंधी समितियों की अध्यक्षता विपक्ष के सदस्यों के पास थी। मानव संसाधन विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र (असम्बद्ध) सदस्य के पास थी। समिति के किसी भी सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।[575]

कार्य

समितियों का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना तथा उन पर अपना प्रतिवेदन देना है तथापि, समितियां कटौती प्रस्ताव की तरह का कोई सुझाव नहीं दे सकतीं।[576] इस संबंध में समितियों द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया यह है कि सदन में बजट पर सामान्य चर्चा के समाप्त हो जाने के बाद सदनों को एक निर्धारित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करती हैं और निर्धारित अवधि में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में अलग-अलग प्रतिवेदन होता है।[577]

1993 में, समितियों के गठन के बाद 31 मार्च को दोनों सदनों की बैठक स्थगित हो गई; 19 अप्रैल को लोक सभा की बैठक पुनः समवेत हुई और राज्य सभा की बैठक उसके एक सप्ताह पश्चात् समवेत हुई (अलग सत्र) इस तरह, समितियों में अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए तीन सप्ताह का समय लगाया गया।

1994 में, सदनों की बैठक 18 अप्रैल को पुन: समवेत होने के लिए 18 मार्च को स्थगित हुई और 1995 में, समितियों में अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए सदनों की बैठक 31 मार्च को, 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित हुई।

1996 में, आम चुनावों के बाद 22 जुलाई, 1996 को बजट रखा गया था। अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए 2 अगस्त, 1996 से 26 अगस्त, 1996 तक के लिए सदन को स्थगित किया गया।

समितियां सभापति अथवा लोक सभा अध्यक्ष द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उसे सौंपे गए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध विधेयकों की भी जांच करती है और उन पर अपना प्रतिवेदन देती हैं।[578] सामान्यतया, समितियां किसी भी सदन में पुर:स्थापित किए गए केवल ऐसे विधेयकों की जांच करती हैं जो उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सौंपे जाते हैं।[579] तथापि, ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब समितियों को विधेयक पुर:स्थापन की अवस्था से पहले भी भेजे गए हैं।[580] विधेयक पीठासीन अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के साथ मंत्रणा करके संबंधित समितियों को भेजे जाते हैं। जब भी कोई विधेयक इनमें से किसी समिति के पास भेजा जाता है सदस्यों को संसदीय समाचार में एक पैराग्राफ के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है।[581]

समितियां उन्हें भेजे गए विधेयक के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती हैं और उन पर सभापति/अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।[582]

दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995, जिस रूप में वह राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, गृह कार्य संबंधी समिति को भेजा गया था। ऐसा करते समय सभापति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि समिति को अपना प्रतिवेदन दो दिन के भीतर दे देना चाहिए।[583]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1995, भी जिस रूप में वह राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, गृह कार्य संबंधी समिति को भेजा गया था। सभापति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि समिति का अपना प्रतिवेदन यथासम्भव प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि विधेयक को संसद् के उस सत्र के दौरान पारित किया जा सके।[584]

तथापि, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब समितियों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें भेजे गये विधेयक पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव न हो। ऐसे अवसरों पर, समितियां विधेयक पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़वाने हेतु सभापति से संपर्क करती हैं।

लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998, जिस रूप में इसे 27 मई, 1998 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, को 10 जून, 1998 को गृह समिति के पास भेजा गया था। ऐसा करते समय राज्य सभा के सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि समिति को 3 जुलाई, 1998 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए।[584क] तथापि, समिति ने महसूस किया कि निर्धारित अवधि के भीतर विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अत: इसने राज्य सभा के सभापति से समय बढ़ाये जाने की मांग की और उन्होंने 6 जुलाई, 1998 तक अवधि बढ़ा दी।[584ख]

लोक पाल विधेयक, 1998, जिस रूप में इसे 3 अगस्त, 1998 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, को 7 दिसम्बर, 1998 को गृह कार्य संबंधी समिति के पास भेजा गया था। ऐसा करते समय, राज्य सभा के सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि समिति को 11 दिसम्बर, 1998 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए।[584ग] तथापि, समिति ने महसूस किया कि निर्धारित समयावधि के भीतर विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अत:, इसने राज्य सभा के सभापति से समय बढ़ाये जाने की मांग की और उन्होंने वर्ष 1999 के बजट सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इसकी समयावधि बढ़ा दी।[584घ]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998, जिस रूप में इसे 7 दिसम्बर, 1998 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, को 10 दिसम्बर, 1998 को गृह समिति के पास भेजा गया था। ऐसा करते समय, राज्य सभा के सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि समिति को 16 दिसम्बर, 1998 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।[584ङ]

तथापि, समिति ने महसूस किया कि निर्धारित अवधि के भीतर विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अत:, उसने राज्य सभा के सभापति से समय बढ़ाये जाने की मांग की और उन्होंने वर्ष 1999 के बजट सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इसकी समयावधि बढ़ा दी।[584च]

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने कार्यकरण के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करते हैं। इन्हें सचिवालय द्वारा सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि अनुदान मांगों/विनियोग विधेयकों संबंधी चर्चा में उन्हें मदद मिल सके। समितियों का कार्य मंत्रालयों/विभागों के इन वार्षिक प्रतिवेदनों पर भी विचार करना तथा उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी है।[585] सामान्यतया, समितियां गहन अध्ययन के लिए वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित मुद्दों/विषयों का चयन करती हैं और उनपर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।

समिति का कार्य सदनों में उपस्थित किए गए राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना तथा उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी है,[586] यदि ये दस्तावेज सभापति अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उसे भेजे जायें।[587]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नयी प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में प्रारूप पत्र की एक प्रति इस निवेदन के साथ सभापति को भेजी कि वह इसे विचार के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति को भेजें। मंत्री को नियम 270(घ) का अनुपालन करने और दस्तावेज को पहले सभा पटल पर रखने की सलाह दी गयी। इस मामले में आगे और कोई सुनवाई नहीं हुई।[588]

वे मामले जिन पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाता

नियमों में समिति के कार्यों पर निम्नलिखित दो प्रतिबंध लगाये गये हैं:

(1) समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दैनिक प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करेगी;[589] और

(2) समिति सामान्यतया ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेगी जो किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में हों।[590]

एक अवसर पर, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान तथा विकास पहलू को लेना चाहती थी, सभापति ने फाइल में यह निर्णय दिया कि चूंकि अन्य स्थायी समिति (ऊर्जा संबंधी) परमाणु ऊर्जा के कार्य को देख रही है उसी विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति में चर्चा करना परेशानी की बात होगी।[591]

प्रतिवेदन

समितियों के प्रतिवेदन विस्तृत सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं।[592] तथापि, इन समितियों का कोई सदस्य समिति के प्रतिवेदन के संबंध में असहमति-कार्यवृत्त अभिलिखित करा सकता है।[593] समितियों के प्रतिवेदन, असहमति-कार्यवृत्तों सहित, यदि कोई हों, सदनों में उपस्थित किए जाते हैं।[594] यदि सदन का सत्र न हो तो इन समितियों के प्रतिवेदन सभापति को भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और बाद में जब सदन की बैठक हो तो समिति अध्यक्ष/महासचिव द्वारा सदन में उपस्थित किए जा सकते हैं।[595]

परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री प्रमोद महाजन) ने महापत्तनों के गैर-सरकारीकरण नीति संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन 25 जनवरी, 1996 को सभापति को उपस्थित किया क्योंकि सदन का सत्र नहीं चल रहा था।[596] तत्पश्चात्, 27 फरवरी, 1996 को प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर रख दिया गया और अगले दिन राज्य सभा में वह प्रस्तुत किया गया।[597]

इसी तरह, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री पी॰ उपेन्द्र) ने गैर-सरकारी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1955 के संबंध में 26 मार्च, 1996 को समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन सभापति को प्रस्तुत किया जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। प्रतिवेदन को नवगठित समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था।[598]

गृह कार्य संबंधी समिति का उनतीसवां, तीसवां और इकतीसवां प्रतिवेदन, सदन/सभापति को प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि समिति का कार्यकाल 7 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गया। सभापति ने यह निर्देश दिया कि जब राज्य सभा की दोबारा बैठक हो तो प्रतिवेदन (महासचिव द्वारा) सभा पटल पर रखे जायें, तद्नुसार कार्यवाही की गई थी।[599]

समितियों के प्रतिवेदन प्रत्ययकारी महत्व के होते हैं और इन्हें समितियों द्वारा दी गयी विचारित सलाह समझा जाता है।[600] इसके बावजूद भी समितियां अन्य स्थायी समितियों की तरह अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही करती हैं।

उदाहरणार्थ, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति ने समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के लिए तीन महीने का समय पर्याप्त होगा।[601]

प्रवर समिति के नियमों की उपयुक्तता

विभाग-संबंधित संसद्‌ीय स्थायी समितियों से संबंधित नियम सर्वांगीण नहीं हैं। अत:, दूसरे रूप में राज्य सभा में विधेयकों के संबंध में प्रवर समितियों संबंधी नियम आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य सभा के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने वाली स्थायी समितियों पर लागू होते हैं। जहां तक लोक सभा के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने वाली समितियों का संबंध है लोक सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम विभाग-संबंधित समितियों पर भी लागू होते हैं।[602]

''जब तक कि सभापति इसकी अनुमति न दें, राज्य सभा की बैठक प्रारम्भ होने के पश्चात् और जब से राज्य सभा की बैठक चल रही हो, उसके 1500 घंटे पूर्व समिति की कोई बैठक नहीं की जाएगी।''[602क]

V. वित्तीय तथा अन्य समितियां जिनमें राज्य सभा का प्रतिनिधित्व रहता है

ऐसी समितियां भी हैं जिनकी शुरुआत लोक सभा द्वारा की गई है और जिनके संबंध में लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में प्रावधान है। तथापि, राज्य सभा के सदस्य भी इन समितियों से सम्बद्ध हैं। इन समितियों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है।

(क) *लोक लेखा समिति*

समिति में अधिक से अधिक पन्द्रह सदस्य लोक सभा से और सात सदस्य राज्य सभा से समिति से सम्बद्ध होने के लिए होंगे।[603] इन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा सम्बद्ध सदन द्वारा प्रति वर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है; तथापि, किसी विशेष मामले में दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

लोक लेखा समिति की अवधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, चूंकि समिति का कार्यकाल उसी वर्ष 31 मार्च को समाप्त होना था। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया। एक संशोधन द्वारा उन सदस्यों को निकाल दिया गया जिनका कार्यकाल उस वर्ष 2 अप्रैल को समाप्त होना था।[604]

पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व प्रतिवर्ष एक नई समिति निर्वाचित की जाती है परन्तु वह पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर ही कार्य आरम्भ करती है। सामान्यत: समिति की स्थापना प्रतिवर्ष मई में की जाती है और इसकी अवधि अगले वर्ष की 30 अप्रैल को समाप्त होती है। राज्य सभा को समिति में शामिल होने और सात सदस्यों को समिति से सम्बद्ध होने के लिए नामनिर्देशित करने का अनुरोध करते हुए लोक सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। लोक सभा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सदन को इसके संबंध में महासचिव द्वारा सूचित किया जाता है।[605] तत्पश्चात्, संसदीय कार्य मंत्री सात सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है।[606] तत्पश्चात्, सात सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उसे संसद्‌ीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है।[607] निर्वाचन का परिणाम संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है[608] तथा समिति में काम करने के लिए निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के नाम प्रेषित करते हुए एक संदेश लोक सभा को भेज दिया जाता है।

समिति की आकस्मिक रिक्तियां राज्य सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित करके भरी जाती हैं। समिति में कार्यरत किसी राज्य सभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर इस प्रकार की निवृत्ति से समिति में उत्पन्न होने वाली रिक्ति को राज्य सभा के एक अन्य सदस्य को नामनिर्देशित करके भरा जाता है। ऐसे मामले में समिति की अवशिष्ट अवधि के लिए राज्य सभा से एक अन्य सदस्य नाम निर्देशित करने की सिफारिश करते हुए लोक सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है।

समिति का मुख्य कार्य विनियोजन लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों तथा संसद् के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखों की जांच करना है जिनकी जांच समिति उचित समझती है। समिति निगमों, स्वायत्त एवं अर्ध-स्वायत्त निगमों के लेखा विवरणों की जांच भी करती है (उन सरकारी उपक्रमों को छोड़कर जिन्हें सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को आवंटित किया गया है)।[609]

समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। सामान्यत: समिति के प्रतिवेदनों पर तब तक चर्चा नहीं की जाती जब तक कि गंभीर प्रकृति का कोई विशिष्ट मुद्दा न हो।

> 27 अगस्त, 1966 को, यह प्रस्ताव (जिसे पहले अनियत दिन वाले प्रस्ताव के नाम से रखा गया था)[610] उपस्थित किया गया कि ''लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 में अन्तर्विष्ट समिति के अवलोकनों के संदर्भ में लोक लेखा समिति के पचपनवें प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।'' इस प्रस्ताव के बारे में दो संशोधन उपस्थित किए गए। चर्चा के पश्चात्, संशोधन वापस ले लिए गए और चर्चा समाप्त हो गई।[611]
>
> इससे पूर्व उपरोक्त प्रतिवेदन के संबंध में, समिति के एक सदस्य ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहयोग मंत्री द्वारा दिए गए साक्ष्य को समाविष्ट करते हुए 1 अगस्त, 1966 को 17.30 बजे हुई लोक लेखा समिति की 28वीं बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति सभा पटल पर रखी।[612] (वह प्रतिवेदन पचासवें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 के संबंध में 18 मई, 1966 को लोक सभा में दिए गए मंत्री जी के वक्तव्य से उद्‌भूत हुआ।)

ऐसे अवसर भी आए हैं जबकि मंत्रियों ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में किए गए अवलोकनों पर सभा में वक्तव्य दिये हैं।

> राजस्व तथा सिविल व्यय मंत्री ने समिति द्वारा लंदन में कतिपय जीपों के लिए और 1948 में महाद्वीप में रक्षा सेवाओं हेतु कतिपय रक्षा भण्डारों के लिए दिए गए आर्डरों के संबंध में उसके नौवें प्रतिवेदन में किए गए कतिपय अवलोकनों के संबंध में वक्तव्य दिया।[613]

वित्त मंत्री ने आयरन एंड स्टील कंट्रोलर के साथ और उनके द्वारा किए गए कतिपय वस्तु-विनिमय वाले सौदों के संबंध में समिति के पचासवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कतिपय अवलोकनों के संदर्भ में एक वक्तव्य दिया।[614]

(ख) *सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति*

समिति में लोक सभा के पन्द्रह सदस्य और राज्य सभा के सात सदस्य समिति से सहबद्ध रहने के लिए होते हैं।[615] इस संदर्भ में प्रक्रिया वही है जैसीकि लोक लेखा समिति के मामले में अपनाई जाती है।[616] समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष है; तथापि, इसे किसी विशेष मामले में सभा द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करके बढ़ाया जा सकता है।[617]

समिति का कार्य लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जांच करना है। समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ ही राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है।[618]

एक अवसर पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के एक प्रतिवेदन में (साथ ही प्राक्कलन समिति के एक प्रतिवेदन में) दर्ज सिफारिशों के संबंध में सरकार के उन उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे गए जो समिति (समितियों) के प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) में समाविष्ट करने हेतु सरकार द्वारा समय पर नहीं प्रस्तुत किए गए थे।[619]

24 नवम्बर, 1961 को राज्य उपक्रमों के संबंध में एक संयुक्त समिति के गठन हेतु लोक सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। समिति में राज्य सभा के सदस्यों को शामिल किए जाने पर आपत्ति करते हुए औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। विधि मंत्री ने औचित्य के प्रश्न का विरोध किया। प्रस्ताव पर आगे बहस नहीं हुई। लोक सभा के भंग होने से वह मुद्दा समाप्त हो गया। 28 अगस्त, 1962 की लोक सभा की कार्यावलि में इस विषय पर दो प्रस्ताव भी शामिल थे। पहला प्रस्ताव एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन के लिए था और दूसरा यह कि जब समिति वे कृत्य निष्पादित करेगी जोकि प्राक्कलन समिति की परिसीमा के अंतर्गत आते हैं, तो वह केवल लोक सभा सदस्यों के साथ ही कार्य करेगी।

यह मामला 27 अगस्त, 1962 को राज्य सभा में उठाया गया। इस प्रस्ताव पर लोक सभा में और आगे चर्चा नहीं हुई। 21 सितम्बर, 1963 को इन प्रस्तावों से आपत्तिजनक अंशों को हटाते हुए लोक सभा में दो नए प्रस्ताव उपस्थित किए गए और उन पर चर्चा हुई। लोक सभा द्वारा 20 नवम्बर, 1963 को यथासंशोधित प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। राज्य सभा ने 26, 27 और 28 नवम्बर, 1963 को प्रस्ताव पर बहस की और 2 दिसम्बर, 1963 को इसे स्वीकार कर लिया तथा समिति में शामिल होना प्रारंभ कर दिया।

समिति ने संसद् के समक्ष अपने अध्ययन दौरों के दौरान प्रकाश में आयी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण से संबंधित खामियों को सामने लाने तथा पता चली इन खामियों को दूर करने तथा संबंधित उपक्रमों के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सरकार को टिप्पणियां/सिफारिशें देने की आवश्यकता प्रायः महसूस की थी। इसके परिणामस्वरूप, इस मामले पर समिति द्वारा 7 सितम्बर, 2000 को हुई इसकी बैठक में विस्तृत विचार किया गया और संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर अपने अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन तैयार करने तथा रखने के लिए 'लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों' के नियम 281 के अंतर्गत एक संकल्प पारित किया गया और इसे अध्यक्ष के विचारार्थ व आदेशों हेतु प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष ने 20 नवम्बर, 2000 को इस मामले में अपनी स्वीकृति प्रदान की और तबसे, समिति लोक सभा में अपने प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ राज्य सभा के सभा पटल पर अपने अध्ययन दौरों का प्रतिवेदन रखती आ रही है।

(ग) *रेलवे अभिसमय समिति*

रेलवे अभिसमय समिति एक तदर्थ समिति है जो रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए और सामान्य वित्त के साथ-साथ रेल वित्त के संबंध में अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए और इस बारे में अपनी सिफारिशें करने के लिए गठित की गई है।

तथापि, पिछले कुछ वर्षों से समिति रेलवे के कार्यकरण के साथ-साथ रेल वित्त के विभिन्न पहलुओं की भी जांच कर रही है। लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में समिति के कार्यकरण के संबंध में कोई अलग से नियम नहीं बनाये गये हैं। अत:, यह समिति लगभग उसी ढंग से कार्य करती है जैसे कि लोक सभा की अन्य वित्त समितियां कार्य करती हैं जिनके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं।

समिति का गठन समय-समय पर लोक सभा में सरकार द्वारा उपस्थित किए गए तथा राज्य सभा द्वारा सहमति प्रदान किए गए संकल्प द्वारा किया जाता है।[620] इसमें अठारह सदस्य होते हैं जिनमें से लोक सभा के बारह सदस्य अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा और राज्य सभा के छ: सदस्य सभापति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। वित्त मंत्री तथा रेल मंत्री सामान्यत: समिति में नामनिर्देशित किए गए सदस्यों में शामिल होते हैं। एक बार गठित कर ली गई समिति लोक सभा के भंग होने तक कार्य करती रहती है और उसी के साथ ही भार-मुक्त होती है बशर्ते कि यह अपना अंतिम प्रतिवेदन उससे पहले ही प्रस्तुत न कर दे।[621]

उक्त समिति समय-समय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है सदन में प्रतिवेदन पर चर्चा एक संकल्प के रूप में की जाती है जिसे रेल मंत्री द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्निहित सुझावों का अनुमोदन करते हुए उपस्थित किया जाता है और यह चर्चा रेल बजट पर होने वाली सामान्य चर्चा के साथ-साथ की जाती है।[622]

> एक अवसर ऐसा भी आया जब राज्य सभा ने यह संकल्प पारित किया कि सदन द्वारा 21 दिसम्बर, 1954 को एक संकल्प स्वीकृत करके अनुमोदित की गई रेलवे अभिसमय समिति, 1954 की सिफारिशों के प्रवृत्त बने रहने की अवधि एक वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 1961 तक बढ़ा दी जाए।[623]

(घ) *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति*

इस समिति में तीस सदस्य होते हैं–बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से–जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संबद्ध सदनों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है।[624]

समिति के कार्यों में ये कार्य शामिल हैं:–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा संविधान के अनुच्छेद् 338(2) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की जांच करना और संसद् को यह सूचित करना कि संघ सरकार को क्या-क्या उपाय करने चाहिएं तथा समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों की बाबत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है; सेवाओं इत्यादि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यकरण के विषय में सूचित करना।[625]

समिति का पुनर्गठन सामान्यत: एक वर्ष के लिए किया जाता है जो 1 मई को प्रारंभ होता है और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल को समाप्त होता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सभा से समिति के दस सदस्यों को नामनिर्देशित करने की सिफारिश करने वाला एक प्रस्ताव लोक सभा में उपस्थित किया जाता है और उसे स्वीकृत भी किया जाता है। इस प्रस्ताव के संबंध में लोक सभा से प्राप्त संदेश की सूचना संबंधित सदन को महासचिव द्वारा दी जाती है। समिति के लिए निर्वाचित किए गए राज्य सभा के सदस्यों के नामों की सूचना महासचिव द्वारा एक संदेश के माध्यम से लोक सभा को प्रेषित की जाती है।

(ङ) *लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति*

समिति का गठन लोक सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने और राज्य सभा में उसे सहमति प्रदान किए जाने के पश्चात् किया जाता है। इस समिति में पन्द्रह सदस्य होते हैं–दस लोक सभा से और पांच राज्य सभा से–जो संबद्ध सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व

पद्धति के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। समिति का गठन प्रत्येक लोक सभा के कार्यकाल तक के लिए किया जाता है।

समिति का कार्य सामान्यत: सरकारी समितियों के गठन एवं स्वरूप की जांच करना और उनके संबंध में यह सिफारिश करना है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत निर्वाचित सांसद लाभ के किन-किन पदों के कारण पद-धारण के अयोग्य हो जाते हैं। समिति संसद् (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में समय-समय पर किए जाने वाले किन्हीं संशोधनों की भी सिफारिश करती है। समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ राज्य सभा के सभा पटल पर भी रखा जाता है।[626]

(च) *पुस्तकालय समिति*

पुस्तकालय समिति का गठन संसद्‌ीय पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करने और परामर्श देने के लिए तथा संसद्-सदस्यों को पुस्तकालय-सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग करने में सहायता देने के लिए किया गया है। इस समिति में उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा मनोनीत लोक सभा के पांच अन्य सदस्य तथा सभापति द्वारा मनोनीत राज्य सभा के तीन सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।[627]

(छ) *महिला सशक्तीकरण समिति*

संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किए गए संकल्पों के अनुसरण में, नियम समिति (11वीं लोक सभा) ने 6 मार्च, 1997 को लोक सभा में रखे गये अपने दूसरे प्रतिवेदन में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु समिति के गठन की सिफारिश की थी। 29 अप्रैल, 1997 को पहली बार महिला सशक्तीकरण समिति का गठन किया गया था।

समिति में अधिक से अधिक तीस सदस्य होते हैं जिसमें लोक सभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित बीस सदस्य और राज्य सभा के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित दस सदस्य होते हैं।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। महिला सशक्तीकरण समिति के कार्य निम्नलिखित हैं:[627क]

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर विचार करना और संघ-शासित प्रदेशों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा में सुधार लाने हेतु संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर प्रतिवेदन देना;

(ii) सभी मामलों में महिला समानता, दर्जा और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(iii) विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने और उनकी व्यापक शिक्षा हेतु संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(iv) महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन देना;

(v) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों और संघ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रतिवेदन देना; और

(vi) सभा अथवा अध्यक्ष और राज्य सभा अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा समिति को विशिष्टतया प्रेषित किए गए अथवा ऐसे अन्य मामले जिन्हें समिति उपयुक्त समझे, की जांच करना।

लोक सभा में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और इसके साथ ही इसकी एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी जाती है।

VI. सांविधिक संयुक्त समिति

(क) *संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति*

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति एक सांविधिक समिति है जो संसद्-सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए गठित की गई है।[628] इसमें राज्य सभा के पांच सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और दस सदस्य लोक सभा के होते हैं जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाते हैं। इस संयुक्त समिति का सदस्य अपने मनोनयन की तारीख से एक वर्ष तक पदासीन रहता है और संयुक्त समिति में उत्पन्न होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के नामनिर्देशन द्वारा भरा जाता है।[629] संयुक्त समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है।[630] समिति को इसकी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है।[631] यह समिति कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करती।

समिति का कार्य केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् चिकित्सा, आवास, टेलीफोन सुविधाओं इत्यादि जैसे मामलों का प्रावधान करने के लिए और सामान्यत: उन विभिन्न भत्तों के भुगतान का विनियमन करने के लिए नियम बनाना है जिनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत संसद्-सदस्य हकदार हैं।[632] समिति द्वारा बनाए जाने वाले नियम तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उन्हें दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित करके उनकी पुष्टि न कर दी जाए तथा जब तक वे राजपत्र में प्रकाशित न हो जाएं।[633]

(ख) *राजभाषा संबंधी संयुक्त संसदीय समिति*

राजभाषा समिति का गठन 1975 में संसद् के दोनों सदनों में एक संकल्प स्वीकृत करके किया गया है।[634] समिति में तीस सदस्य होते हैं —बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से —जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं। समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और इस संबंध में सिफारिशें करके अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।[635] समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव 22 जनवरी, 1976 को स्वीकृत किया गया था और राज्य सभा के सदस्यों को समिति में कार्य करने के लिए 29 जनवरी, 1976 को निर्वाचित किया गया था।[636]

(ग) *न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 संबंधी तदर्थ संयुक्त समिति*

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत नियम बनाने के लिए संसद् के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। इसमें लोक सभा के दस सदस्य और राज्य सभा के पांच सदस्य हैं जिन्हें संबद्ध पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है।[637]

(घ) *राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियमों के अधीन गठित तदर्थ परामर्शदात्री समितियां*

जब कभी भी संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा के अंतर्गत कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की जाती है, तब संसद् इस प्रयोजन के लिए राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम अधिनियमित करती है। उस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब भी ऐसा करना व्यवहार्य समझे, संबद्ध पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले संसद् सदस्यों की किसी समिति से विचार-विमर्श कर सकता है। इस प्रकार की समितियां अनेक बार गठित की गई हैं।[638]

VII. तदर्थ समितियां

ऊपर उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों या विषयों की जांच करने या उनके बारे में सूचित करने के लिए भी तदर्थ आधार पर समितियां स्थापित की जा सकती हैं। ऐसी समितियां या तो (1) सदन द्वारा एक प्रस्ताव उपस्थित और स्वीकृत करके, अथवा (2) सभा की इच्छा अथवा सभा में सहमति के आधार पर सभापति द्वारा, अथवा (3) किसी एक सदन में उपस्थित किए गए और दूसरे सदन में सहमति प्रदान कर स्वीकृत किए गए प्रस्ताव पर दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से, अथवा (4) दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा स्थापित की जा सकती है। इन्हें तदर्थ समितियां कहा जाता है क्योंकि किसी प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के बाद अथवा समनुदेशित कार्य के समापन या फिर समय बीत जाने के साथ ये पदकार्य निवृत्त हो जाती हैं। तदर्थ समितियां समय-समय पर इन सब पद्धतियों से गठित की गई हैं जैसाकि नीचे दिए गए उदाहरणों से देखा जा सकता है।

(1) ***राज्य सभा द्वारा गठित समिति:*** राज्य सभा ने, राज्य सभा सदस्य (सुब्रह्मण्यम स्वामी का मामला) के आचरण एवं क्रियाकलापों की जांच करने के लिए दस सदस्यों वाली एक समिति नियुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया एक प्रस्ताव स्वीकार किया।[639]

(2) ***सभापति द्वारा नियुक्त समिति:*** सभापति ने एक मामले पर उठाए गए प्रश्न पर प्रति-प्रश्नों के दौरान सदन की इच्छानुसार रेलवे वैगनों की आपूर्ति से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक रेलवे वैगन समिति नियुक्त की। उन्होंने कपास उत्पादकों की समस्याओं, जिनके बारे में 26 जुलाई, 1996 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, से संबंधित एक अन्य समिति नियुक्त की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वक्फ बोर्डों के कार्यकरण, जिसके बारे में 9 सितम्बर, 1996 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, से संबंधित एक और समिति भी नियुक्त की।[640]

(3) ***प्रस्तावों द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त समितियां:*** इस शीर्षक के अंतर्गत स्थापित की गई कुछ समितियां निम्नलिखित हैं:

(1) दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956) की प्रारूप संबंधी समितियां लोक सभा द्वारा 11 मई, 1956 को स्वीकृत किए गए और राज्य सभा द्वारा 14 मई, 1956 को सहमति प्रदान किए गए प्रस्ताव के अनुसार गठित की गई थीं।[641]

(2) राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने तथा इस संबंध में अनुच्छेद 344 (5) के अधीन राष्ट्रपति को अपनी राय सूचित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अधीन एक सरकारी प्रस्ताव के संबंध में राजभाषा संबंधी एक संसदीय समिति का गठन किया गया था।[642]

(3) लोक सभा द्वारा 22 जून, 1971 को स्वीकृत किए गए और राज्य सभा द्वारा 25 जून, 1971 को सहमति प्रदान किए गए प्रस्ताव के अनुपालन में निर्वाचन विधि (1971) में संशोधन करने के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी।[643]

(4) लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1980 को स्वीकृत किये गये और राज्य सभा द्वारा 24 दिसम्बर, 1980 को सहमति प्रदान किये गये प्रस्ताव के अनुपालन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1980) के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की गई थी।[644]

(5) लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1987 को स्वीकृत किए गए और राज्य सभा द्वारा 12 अगस्त, 1987 को सहमति प्रदान किए गए एक प्रस्ताव के अनुपालन में बोफोर्स ठेके (1987) की जांच करने के लिए तीस सदस्यों वाली–बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से–एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी।[645]

इस समिति के प्रतिवेदन पर 11 और 12 मई, 1988 को अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से सभा में बहस की गई। जब इस तरह के प्रतिवेदन पर बहस के स्वरूप के संबंध में मुद्दे उठाए गए तो उपसभापति ने यह विचार व्यक्त किया कि:

> यह संसदीय समिति का प्रतिवेदन है। इस तरह के प्रतिवेदन सामान्यत: सभा के समक्ष रखे जाते हैं और उन पर चर्चा नहीं होती है। तथापि इस विषयवस्तु के महत्व पर विचार करते हुए अपवादस्वरूप, हम इस प्रतिवेदन को चर्चा हेतु ले रहे हैं और एक प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा करने की अपेक्षा अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से इस पर बहस करना अधिक उपयुक्त समझा गया।[646]

(6) लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1992 को स्वीकृत किए गए और राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 1992 को सहमति प्रदान किए गए प्रस्ताव का अनुपालन करते हुए प्रतिभूति घोटालों के संबंध में तीस सदस्यों–बीस सदस्य लोक सभा से और दस राज्य सभा से–की एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई।[647] इस समिति के प्रतिवेदन पर भी 29 और 30 दिसम्बर, 1993 को अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से बहस की गई थी।

(4) ***पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियुक्त संयुक्त समितियां:*** पीठासीन अधिकारियों द्वारा परस्पर परामर्श करके समय-समय पर निम्नलिखित समितियां नियुक्त की गई थीं।

(1) संसद् भवन में अभिलेख संबंधी समिति।[648]

(2) संसदीय, विधिक और प्रशासनिक शब्दों के लिए समकक्ष हिन्दी शब्द निर्धारित करने संबंधी समिति।[649]

(3) तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप संबंधी समितियां।[650]

(4) संसद् भवन में चित्र और प्रतिमाएं तथा अतिरिक्त संसदीय इमारत के निर्माण संबंधी समितियां।[651]

(5) संसद् भवन में खान-पान संस्थापनाओं के कार्यकरण की जांच करने संबंधी समिति।[652]

(6) निरंकारियों तथा अकालियों के बीच समझौता कराने के लिए संसद्-सदस्यों की समिति(1983)।

26 अगस्त, 1983 को लोकसभा में की गई घोषणा के अनुसार मूलत: अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली समिति में नौ सदस्य होने थे। बाद में इस समिति को विस्तृत करने तथा इसे बाईस सदस्यों की संयुक्त समिति बनाने का निर्णय किया गया जिसमें पन्द्रह सदस्य लोक सभा से और सात सदस्य राज्य सभा से लेने का निर्णय हुआ। इस समिति को राज्य सभा के नियमों के अधीन कार्य करना था। समिति के अध्यक्ष का चुनाव स्वयं समिति द्वारा ही किया जाना था।[653] यह समिति लोक सभा के भंग होने पर समाप्त हो गई।

(7) संसद् परिसर में खान-पान संबंधी संसदीय समिति (1993)।[654]

(8) संसद् परिसर में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र/प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना संबंधी संसदीय समिति (फरवरी, 1993) दोनों सदनों के महासचिवों को समिति का सदस्य होने के लिए विशेष रूप से मनोनीत किया गया और समिति परामर्श हेतु लोक सभा या राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने के लिए सक्षम थी। लोक सभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष थे।[655]

(9) संसद्-सदस्यों के लिए सुविधाओं तथा पारिश्रमिक के लिए सुझाव देने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (1993)। समिति को ये शक्तियां प्राप्त थीं, (1) सूचना मंगाना; (2) साक्षियों से पूछताछ करना; (3) विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त करना; और (4) और कोई उपाय करना। समिति को यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया और इसे अन्य संसदीय समितियों जैसी प्रतिष्ठा और सुविधायें प्रदान की गईं।[656] समिति ने 23 दिसम्बर, 1993 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।[657]

(10) पंजाबी सूबे की मांग की जांच करने और इस प्रश्न के एक संतोषजनक हल पर पहुंचने में मंत्रिमंडल की एक समिति की सहायता करने के लिए लोक सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दोनों सदनों की एक तदर्थ संसदीय समिति गठित की गई थी।[658] समिति का प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत किया गया था।[659]

(11) अलग-अलग फैक्टरियों के लिए उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का प्रतिरक्षण मूल्य निर्धारित करने वाले तंत्र की समीक्षा करने के लिए तथा उर्वरक उद्योग के कामकाज का सामान्य अध्ययन करने के लिए ग्यारह सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, जिसमें सात सदस्य लोक सभा से थे और चार सदस्य राज्य सभा से।[660]

(12) लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू वेतन और भत्तों आदि के ढांचे में वांछनीय परिवर्तनों के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को सलाह देने के लिए दो बार संसदीय समितियां गठित की गईं।[661]

(13) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 (अनुच्छेद 330क और 332क का अंत:स्थापन), जो लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, एक संयुक्त समिति को सौंपा गया जिसमें कुल इकतीस सदस्य थे—दस सदस्य राज्य सभा से और इक्कीस सदस्य लोक सभा से। समिति का गठन लोक सभाध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा परस्पर परामर्श करके समिति के सदस्यों को नामनिर्देशित करके किया गया।[662]

VIII. परामर्शदात्री समितियां

विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध संसद् सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां 1969 से कार्य कर रही हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर तथा उनके कार्यान्वयन के तरीके पर सरकार और संसद्-सदस्यों के बीच अनौपचारिक सलाह किया जाना है। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है और इसे सदस्यों और उनकी पार्टियों के नेताओं की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। एक समिति में

सदस्यों की अधिकतम संख्या चालीस तक हो सकती है। तथापि, कोई न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इन समितियों की अध्यक्षता समितियों से संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है।

इन समितियों की बैठकें संसद् के सत्र और अन्तरसत्रावधि, दोनों के दौरान ही आयोजित की जाती हैं। समिति की कार्यसूची चर्चा हेतु सदस्यों से प्राप्त हुए मुद्दों और सम्बद्ध मंत्रालय के सुझावों के आधार पर तैयार की जाती है। इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता। परामर्शदात्री समिति द्वारा एकमत से की गई सिफारिश को सरकार स्वीकार कर सकती है। इन बैठकों में होने वाली चर्चा के अनौपचारिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सदस्यों और साथ ही साथ सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वे इन समितियों में घटित किसी भी घटना का उल्लेख सदन में न करें।[663]

IX. सरकारी समितियां

सरकार द्वारा संसद् के किसी अधिनियम अथवा किसी संकल्प के अनुसरण में अनेक समितियां, परिषदें, बोर्ड आदि (इसके बाद जिनका उल्लेख सरकारी समिति के रूप में किया गया है) गठित किए गए हैं अथवा स्थापित किए जाते हैं जिनमें संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।[664] मोटे तौर पर इन समितियों का कार्य कतिपय मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। प्रतिनिधित्व का तरीका जो चाहे सदस्यों में से चुनाव द्वारा हो अथवा सभापति द्वारा नामनिर्देशन द्वारा और चुने गए/नामनिर्देशित सदस्य के कार्यकाल का उल्लेख उसी अधिनियम/संकल्प में होता है जिसके अधीन समिति गठित की जाती है। साधारणतया सदस्यों को संबंधित मंत्री के अनुरोध पर सभापति द्वारा समिति में नामनिर्देशित किया जाता है। जब ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो सचिवालय सदन में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं से सभापति के विचारार्थ एक नाम-सूची का सुझाव देने के लिए कहता है। सभापति द्वारा किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर दिए जाने के बाद उसका नाम संसदीय समाचार में प्रकाशित किया जाता है और सम्बद्ध मंत्रालय को बता दिया जाता है।

सांविधिक स्तर रखने वाली अनेक सरकारी समितियां हैं जिनमें सदन द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।[665] ऐसे मामलों में इस उद्देश्य के लिए सभा में प्रस्ताव उपस्थित किए जाते हैं और सभापति चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करता है जिसमें नामांकन, नाम वापस लेने और चुनाव आदि की तिथियां शामिल होती हैं। कार्यक्रम की घोषणा संसदीय समाचार के माध्यम से की जाती है। चुनाव का परिणाम भी संसदीय समाचार में प्रकाशित किया जाता है। तथापि, पिछले दो दशकों से राज्य सभा में एक परिपाटी बन गयी है कि जिस दल/समूह को इन निकायों के लिए सदस्यता दी जानी होती है उसका निर्णय संसदीय कार्य मंत्री, जो कि सरकार का मुख्य सचेतक भी होता है, द्वारा अन्य दलों के सचेतकों के परामर्श से किया जाता है। इस प्रकार चुनाव को टाला जाता है। आजकल केवल बहुत विरले ही चुनाव होता है।

> पिछले दो दशकों से भी अधिक समय के दौरान केवल एक अवसर ऐसा आया जब चुनाव हुआ। तम्बाकू बोर्ड में नामनिर्देशित किए जाने हेतु एक रिक्त स्थान के लिए दो नाम प्राप्त हुए जिससे 7 अगस्त, 1991 को चुनाव कराना आवश्यक हो गया।[666] विधिवत् चुने गए सदस्य का नाम संसदीय समाचार में अधिसूचित किया गया।[667]

जब कभी मंत्रालय किसी विषय पर सलाहकार स्वरूप की विभागीय समितियां गठित करते हैं और उसमें किसी सदस्य को नामनिर्देशित करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो इसकी अनुमति के लिए वे राज्य सभा के सभापति से अनुरोध करते हैं। यह प्रथा अथवा परिपाटी सचिवालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति की सदस्यता उस सदस्य को लाभ के पद का धारक न बनाये, और मंत्रालय/सदस्य को तद्नुसार सलाह देने के लिए समिति के स्वरूप की जांच करने का अधिकार देती है।[668]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. संसदीय समाचार (2), 30.10.1986
2. –वही– 25.5.1987
3. –वही– 16.11.1992
4. –वही– 26.7.1993
5. –वही– 6.6.1994
6. –वही– 7.8.1995; 31.7.1996
7. फाइल सं॰ 3/93–टी
8. नियम 30(2)
9. नियम 217(2)
10. नियम 30(1)
11. नियम 30(2)
12. नियम 30(3)
13. नियम 30(4)
14. नियम 30(5)
15. नियम 31
16. नियम 32
17. **उदाहरणार्थ**, कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 1.6.1995
18. नियम 33(1)
19. नियम 33(3)
20. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 27.4.1995 (पैरा 3)
21. नियम 14
22. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 22.2.1965; 25.8.1965 और 1.8.1966
23. –वही– 17.12.1992
24. –वही– 7.8.1995
25. –वही– 31.7.1995 और 26.2.1996
26. –वही– 23.3.1995
27. –वही– 30.3.1992; 11.8.1994 भी **देखिये**
28. –वही– 7.8.1995; 16.8.1995 और 7.12.1995

29. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 14.3.1995; 23.3.1995; 27.4.1995 और 29.2.1996
30. –वही– 18.5.1995
31. –वही– 16.8.1995
32. –वही–
33. –वही– 27.4.1995
34. –वही– 28.9.1964; 7.12.1964; 8.11.1965; 1.8.1966; 8.12.1967; 21.2.1968 और 25.11.1968
35. –वही– 21.9.1964; 12.3.1965; 25.8.1965; 8.11.1965; 23.8.1966; 10.11.1966 और 26.7.1968
36. –वही– 30.3.1995
37. –वही– 26.2.1996
38. –वही– 1.6.1995
39. –वही– 19.12.1991
40. –वही– 14.8.1956; 16.11.1962; 2.6.1964; 3.12.1965; 6.5.1966; 5.8.1969; 13.3.1970 और 20.7.1971
41. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.3.1968, कालम 3871–82
42. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 17.3.1986
43. –वही– 14.3.1995 (पैरा 5)
44. –वही– 26.2.1996
45. –वही– 20.3.1970; 24.4.1970; 16.6.1971; 2.4.1985 और 20.4.1987
46. –वही– 9.8.1985
47. –वही– 1.8.1986
48. –वही– 25.7.1991; 1.8.1991 और 12.8.1993
49. –वही– 10.7.1992
50. –वही– 13.10.1982 और 16.7.1991
51. –वही– 10.7.1992 और 19.8.1993
52. –वही– 5.5.1993
53. –वही– 6.8.1992
54. –वही– 13.6.1977
55. –वही– 20.11.1991
56. –वही– 10.7.1992
57. –वही– 18.8.1994

58. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 7.12.1994

59. –वही– 5.8.1993

60. –वही– 12.8.1993 और 19.8.1993

61. –वही– 7.12.1994

62. –वही– 12.3.1981

63. –वही– 25.3.1985

64. नियम 34

65. नियम 35

66. नियम 36

67. नियम 37

68. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 6.8.1952

69. राज्य सभा वाद–विवाद, 7.8.1952, कालम 3284–85

70. –वही– 14.4.1955, कालम 4719–20

71. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 23.8.1955 (21.9.1955 भी **देखिये**)। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को संसदीय समाचार (2), 27.11.1959 द्वारा नवम्बर, 1959 से संसदीय समाचार (2) में अधिसूचित किया जा रहा है

72. राज्य सभा वाद–विवाद, 29.8.1966, कालम 4586–98

73. –वही– 8.3.1968 कालम 3871–79

74. –वही– 25.11.1966, कालम 2900–17

75. –वही– 24.3.1971, कालम 9–19

76. –वही– 16.8.1974, कालम 91

77. –वही– 8.12.1978, कालम 211–30

78. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 15.12.1978

79. नियम समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 10–11, कार्यवृत्त, 21.5.1971

80. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 24.8.1966

81. –वही– 15.12.1978

82. राज्य सभा वाद–विवाद, 9.5.1958, कालम 2129–33

83. अनुच्छेद 350

84. नियम 137 से 153

85. नियम 137

86. नियम 138(i)

87. नियम 138(ii)

88. नियम 138(iii)

89. नियम 138(iii) (क) से (घ)

90. नियम 139(1)

91. नियम 143

92. नियम 139(2) और (3)

93. विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन (28.11.1955)

94. नियम 140

95. नियम 141

96. नियम 142

97. नियम 144

98. संसदीय समाचार (1), 5.12.1973; विशेषाधिकार समिति का 41वां प्रतिवेदन

99. नियम 146

100. नियम 145

101. संसदीय समाचार (1), 20.9.1954, 27.9.1954, 26.11.1954, 30.11,1954, 3.12.1954, विशेषाधिकार समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (क्रमशः 30.9.1954 और 6.12.1954 को प्रस्तुत किए गए)

102. संसदीय समाचार (1), 27.9.1954, विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (30.9.1954 को प्रस्तुत किया गया)

103. संसदीय समाचार (1), 28.2.1955, विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (18.3.1955 को प्रस्तुत किया गया)

104. संसदीय समाचार (1), 19.4.1955, विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन (19.4.1955 को प्रस्तुत किया गया)

105. संसदीय समाचार (1), 28.11.1955, विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन (28.11.1955 को प्रस्तुत किया गया)

106. संसदीय समाचार (1), 7.5.1956, 30.7.1956, 22.8.1956 और 24.8.1956, विशेषाधिकार समिति का 7वां, 8वां 9वां, 10वां और 11वां प्रतिवेदन (क्रमशः 4.5.1956, 9.5.1956, 2.8.1956, 24.8.1956 और 25.8.1956 को प्रस्तुत किए गए)

107. संसदीय समाचार (1), 10.8.1959, विशेषाधिकार समिति का 12वां प्रतिवेदन (10.8.1959 को प्रस्तुत किया गया)

108. संसदीय समाचार (1), 20.4.1960, विशेषाधिकार समिति का 13वां प्रतिवेदन (22.4.1960 को प्रस्तुत किया गया)

109. संसदीय समाचार (1), 29.4.1963, विशेषाधिकार समिति का 14वां प्रतिवेदन (30.4.1963 को प्रस्तुत किया गया)

110. संसदीय समाचार (1), 9.9.1966, विशेषाधिकार समिति का 17वां प्रतिवेदन (7.11.1966 को प्रस्तुत किया गया)

111. संसदीय समाचार (1), 23.2.1953 और 27.4.1953

112. नियम 150

113. नियम 147(1)

114. प्रारूप प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

115. नियम 149

116. नियम 147(2)

117. नियम 147(3)

118. नियम 148

119. विशेषाधिकार समिति का पहला, दूसरा, तीसरा और 17वां प्रतिवेदन

120. विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन

121. प्रारूप प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

122. नियम 151(1)

123. नियम 152(2)

124. विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन (19.4.1955)

125. विशेषाधिकार समिति का 7वां प्रतिवेदन (4.5.1956)

126. विशेषाधिकार समिति का 8वां प्रतिवेदन (9.5.1956)

126क. राज्य सभा के सभापति का निर्देश, 20.1.1999, संसदीय समाचार (2) 21.1.1999 में प्रकाशित किया गया

127. याचिका समिति, राज्य सभा सचिवालय से संबंधित नियमों तथा निर्देशों संबंधी पॉम्फलेट (जून, 1996), प्रस्तावना, पृष्ठ 3

128. याचिका समिति, राज्य सभा सचिवालय से संबंधित नियमों तथा निर्देशों संबंधी पॉम्फलेट (जून, 1996), पृष्ठ 15-17

129. नियम 153

130. नियम 152(1)

131. विशेषाधिकार समिति का 10वां प्रतिवेदन (24.8.1956)

132. विशेषाधिकार समिति का 11वां प्रतिवेदन (25.8.1956)

133. विशेषाधिकार समिति का 14वां प्रतिवेदन (30.4.1963)

134. नियम 152(2)

135. विशेषाधिकार समिति का 7वां प्रतिवेदन (4.5.1956) और 8वां प्रतिवेदन (9.5.1956)

136. नियम समिति का पहला प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 21.5.1971

137. -वही- 11.11.1971

138. फाइल सं॰ 5(12)/91- समिति-II; फाइल सं॰ 5(37)/94-समिति-II और 5 (45क)/91-समिति-II

139. नियम 192(1)

140. नियम 193(1)

141. नियम 193(2)

142. नियम 192(3)

143. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.5.1952, कालम 588

144. -वही- 16.5.1953, कालम 6119; 15.5.1954, कालम 6538 और 4.5.1955, कालम 6784

145. -वही- 22.5.1957, कालम 1103

146. -वही- 22.4.1958, कालम 49

147. -वही- 19.5.1969, कालम 3720

148. नियम 192(3)

149. नियम 192(2)

150. नियम 194

151. नियम 191

152. नियम 203

153. नियम 195(1)

154. याचिका समिति का 19वां प्रतिवेदन

155. नियम 195(2)

156. लोक सभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति की संयुक्त बैठक संबंधी प्रतिवेदन (1954)

157. याचिका समिति का 25वां प्रतिवेदन (पैरा 4)

158. याचिका समिति का 27वां प्रतिवेदन (पैरा 3)

159. याचिका समिति का 33वां प्रतिवेदन

160. याचिका समिति का 26वां प्रतिवेदन (पैरा 2)

161. राज्य सभा वाद-विवाद, 10.5.1979, कालम 142-143 और फाइल सं॰ 35/27/78-एल

162. राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 का नियम 2(ख) और 7(4)

163. नियम 196(1)

164. नियम 196(1),पहला परन्तुक

165. नियम 196(1), दूसरा परन्तुक

166. नियम 196(2)

167. नियम 196(3)

168. नियम 197(1)

169. उदाहरणार्थ, **देखिए** याचिका समिति का 29वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 9

170. याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 4

171. याचिका समिति का 12वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 15

172. याचिका समिति का 27वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 10

173. याचिका समिति का तीसरा, 15वां, 18वां, और 21वां प्रतिवेदन

174. याचिका समिति का 30वां प्रतिवेदन (पृष्ठ 5) और याचिका समिति का 34वां प्रतिवेदन (पैरा 7)

175. याचिका समिति का 16वां प्रतिवेदन

176. याचिका समिति का 23वां, 24वां, 26वां, 28वां, 31वां और 35वां प्रतिवेदन

177. याचिका समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

178. याचिका समिति का 8वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 10

179. याचिका समिति का 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 16-17

180. याचिका समिति का 27वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट-II

181. याचिका समिति का 25वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट-IV

182. राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 का नियम 7(7)

183. नियम 197(1)

184. याचिका समिति का 11वां प्रतिवेदन

185. याचिका समिति का 13वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट-IV

186. याचिका समिति का 14वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट-III

187. नियम 197(1), पहला परन्तुक

188. नियम 197(1), दूसरा परन्तुक

189. याचिका समिति का 5वां प्रतिवेदन

190. याचिका समिति का 8वां प्रतिवेदन

191. याचिका समिति का 11वां प्रतिवेदन

192. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1970, कालम 123-26

193. -वही- 7.4.1971, कालम 84-85

194. याचिका समिति का 13वां प्रतिवेदन

195. याचिका समिति का 7वां प्रतिवेदन (7.12.1966 को प्रस्तुत किया गया)

196. याचिका समिति का 10वां प्रतिवेदन (14.8.1967 को प्रस्तुत किया गया)

197. याचिका समिति का 15वां प्रतिवेदन

198. याचिका समिति का 18वां प्रतिवेदन

199. नियम 197(3)

200. नियम 197(3), परन्तुक

201. याचिका समिति का 11वां, 21वां, 25वां, 28 से 32वां, 34 से 36वां प्रतिवेदन

202. याचिका समिति का 8वां प्रतिवेदन, पैरा 6

203. याचिका समिति का 16वां प्रतिवेदन, पैरा 7

204. याचिका समिति का 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 8-11

205. नियम 198

206. नियम 199

207. नियम 200

208. नियम 200, परन्तुक

209. नियम 201

210. याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन, 2.5.1958 को स्वीकृत किया गया

211. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.12.1954, कालम 866-67

212. -वही- 20.12.1968, कालम 5032–75

213. डाइजेस्ट, पृष्ठ 218-219

214. -वही- पृष्ठ 421–25

215. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.3.1993, कालम 300–09

216. याचिका समिति का 11वां, 14वां, 32वां प्रतिवेदन

217. याचिका समिति का छठा, 17वां, 26वां प्रतिवेदन

218. याचिका समिति का 22वां, 24वां, 25वां प्रतिवेदन

219. याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन (आर्गेनाइजर केस),डाइजेस्ट, पृष्ठ 598-599; याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन (थॉट केस)-डाइजेस्ट, पृष्ठ 416; याचिका समिति का छठा प्रतिवेदन (आईना केस)-डाइजेस्ट, पृष्ठ 601-602; याचिका समिति का 7वां प्रतिवेदन (राम गोपाल गुप्ता केस)-डाइजेस्ट, पृष्ठ 604; याचिका समिति का 8वां प्रतिवेदन (ठाकरसे केस)-डाइजेस्ट, पृष्ठ 600

220. याचिका समिति का 9वां, 18वां, 28वां, 29वां, 31वां और 35वां प्रतिवेदन

221. याचिका समिति का दूसरा और 7वां प्रतिवेदन

222. याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन

223. याचिका समिति का 15वां प्रतिवेदन

224. याचिका समिति का 27वां प्रतिवेदन

225. याचिका समिति का 10वां और 22वां प्रतिवेदन

226. नियम 202

227. याचिका समिति का 23वां प्रतिवेदन, पैरा 3

228. याचिका समिति का 27वां प्रतिवेदन, पैरा 3

228क फाइल सं॰ 46/89–टी (खण्ड IV)

228ख. आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (8.12.1998 को प्रस्तुत किया गया, 5.12.1999 को स्वीकृत किया गया)

228ग. संसदीय समाचार (2), 5.3.1997; 20.7.2004 से आचार समिति के नियम लागू किए गए।

228घ. नियम 287

228ङ. नियम 288 और नियम 289

228च. नियम 290

228छ. नियम 303

228ज. नियम 295

228झ. नियम 296

228ञ. नियम 297

228ट. नियम 302

228ठ. संसदीय समाचार (2), 23.12.2005

228ड. आचार समिति का 8वां प्रतिवेदन (24.2.2006 को प्रस्तुत किया गया), पृष्ठ 20

228ढ. आचार समिति का आठवां प्रतिवेदन (24.2.2008 को प्रस्तुत किया गया), पृष्ठ 29

228ण. संसदीय समाचार (2), 21.3.2006

229. नियम 204

230. संसदीय समाचार (2), 30.9.1964

231. नियम 205(1)

232. नियम 205(2)

233. नियम 205(3)

234. नियम 206(1)

235. नियम 206(1), परन्तुक

236. नियम 206(2)

237. नियम 206(3)

238. नियम 207(1)

239. नियम 207(2)

240. नियम 208(1),

241. नियम 208(1), परन्तुक

242. नियम 208(2)

243. नियम 208(3)

244. नियम 209

245. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 5

246. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 22वां प्रतिवेदन, पैरा 17

247. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 17वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 15-16

248. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 13वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 11; और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 102वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 9; अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 23 वां प्रतिवेदन, पैरा 9 और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 29वां प्रतिवेदन, पैरा 17

249. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 8वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 7

250. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 32

251. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पैरा 101; 16वां प्रतिवेदन, पैरा 32; 22वें प्रतिवेदन के पैरा 49-50; 26वें प्रतिवेदन के पैरा 20–22; 39वें प्रतिवेदन के पैरा 56–72 को भी **देखिए**

252. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 4

253. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 10वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 1–5

254. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 28

255. **उदाहरणार्थ, देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 10वां, 14वां, 23वां, 24वां, 39वां, 41वां, 44वां, 57वां, 59वां, 72वां और 73वां प्रतिवेदन

256. **उदाहरणार्थ, देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला, दूसरा और चौथा प्रतिवेदन

257. **उदाहरणार्थ, देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां और 102वां प्रतिवेदन

258. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 14, 39 और 16वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 9

259. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 9 और 16वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 4

260. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 7; और 20वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 8-9; 96वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 13; 27वां प्रतिवेदन, पैरा 10

261. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 11

262. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 18वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 3 और 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 28

263. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 23

264. **उदाहरणार्थ, देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 20वां, 26वां और 27वां प्रतिवेदन

265. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 1

266. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 1; संसदीय समाचार (2), 10.4.1984 को भी **देखिए**

267. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 5वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 2

268. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 5वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 3–6

269. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 41वां प्रतिवेदन, पैरा 5–11

270. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 97वां प्रतिवेदन

271. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 109वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 9–11

271क. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 41वां प्रतिवेदन, पैरा 11

272. 64वां प्रतिवेदन, पैरा 2 से 2.18

273. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 6–7

274. **उदाहरणार्थ,** केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965, धारा 3

275. नियम 212

276. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 28.11.1964

277. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 101वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 16–24; 104वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 26–27; 106वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 5; 81 से 83वें प्रतिवेदन, 87वें प्रतिवेदन और 45वें प्रतिवेदन को भी **देखिए**

278. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 50वां प्रतिवेदन

278क. फाइल सं॰ 5(9)/99-समिति-I

279. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 10वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 1–5 और 21वां प्रतिवेदन, पैरा 12–15

280. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 16वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 1; 19वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 2–4

281. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 107वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट I-IV और 108वां प्रतिवेदन, परिशिष्ट I और II

282 नियम 210(1)

283. नियम 210(2)

283क. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की बैठक का कार्यवृत्त, 11.12.2000

284. नियम 211

285. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 13वां प्रतिवेदन, पैरा 31 और 32

286. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 9वां प्रतिवेदन, पैरा 48; 60वां प्रतिवेदन, पैरा 7.1 और 102वां प्रतिवेदन, पैरा 201

287. **उदाहरणार्थ, देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 9वां, 26–28वां, 30वां, 39वां, 45–47वां और 49वां प्रतिवेदन

288. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन, पैरा 8

289. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, पैरा 22–23

290. –वही– पैरा 30–32

291. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 39वां प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय का परिपत्र, दिनांक 24.1.1980

291क. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 131वां प्रतिवेदन, पैरा 7

292. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन, पैरा 19

293. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 10वां प्रतिवेदन, पैरा 57; पृष्ठ भूमि के लिए **देखिए,** अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन, पैरा 20–25; 9वां प्रतिवेदन, पैरा 34–39

294. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 82वां प्रतिवेदन, पैरा 4.31

295. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन, पैरा 101

295क. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 81वां प्रतिवेदन, पैरा 4.12

295ख. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 86वां प्रतिवेदन, पैरा 2.21

295ग. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 88वां प्रतिवेदन, पैरा 2.12

296. राज्य सभा वाद–विवाद, 5.8.1952, कालम 2947

297. नियम समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 2

298. नियम 212ख(1)

299. नियम 212ख(2)

300. नियम 212ख(3)

301. नियम 212घ(1)

302. नियम 212ग(1)

303. नियम 212ग(1), परन्तुक

304. नियम 212ग(2)

305. नियम 212ग(3)

306. नियम 212घ(3)

307. नियम 212क

308. नियम 212ङ(1)

309. –वही– परन्तुक

310. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 41वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 10

311. नियम 212ङ(2)

312. नियम 212ङ(3)

313. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, परिशिष्ट–I

314. नियम 212(0)

315. राज्य सभा वाद–विवाद, 18.3.1981, कालम 205–08

316. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, पैरा 6 और दूसरा प्रतिवेदन, पैरा 3.1

317. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 31वां प्रतिवेदन, पैरा 7

317क. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 52वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 4

317ख. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 52वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 10-11

318. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 26वां प्रतिवेदन, पैरा 9

319. -वही-

320. -वही- पैरा 11

321. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 25वां प्रतिवेदन, पैरा 10 और 31वां प्रतिवेदन, पैरा 6

322. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 40वां प्रतिवेदन, पैरा 4

323. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन, पैरा 4 और 5वां प्रतिवेदन, पैरा 4.11

323क. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 52वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 10

324. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 27वां प्रतिवेदन, पृष्ठ 2-3 (15.3.1985 को प्रस्तुत किया गया)

325. नियम समिति की दिनांक 27.1.1986 और 23.8.89 की बैठकों का कार्यवृत्त

326. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन, परिशिष्ट-IV

327. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 3

328. -वही- कार्यवृत्त, 13.9.1978, पृष्ठ 23

329. -वही- कार्यवृत्त, 24.1.1979, पृष्ठ 25

330. 31.3.1980 और 11.12.1980 की कार्यावलि

331. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.4.1981, कालम 192

332. संसदीय समाचार (2), 15.1.1982

333. -वही- 3.3.1982

334. नियम 212ज(1)

335. नियम 212झ(1)

336. नियम 212झ(2)

337. नियम 212झ(3)

338. नियम 212ट(1)

339. नियम 212ञ(1)

340. नियम 212ञ(1), परन्तुक

341. नियम 212ञ(2),

342. नियम 212ञ(3)

343. नियम 212ट(2)

344. नियम 212ज(2)

345. नियम 212ज(3)

346. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.3.1988, कालम 254–57

347. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का 54वां प्रतिवेदन (11.3.1996 को प्रस्तुत किया गया)

348. नियम 212ठ(1)

349. नियम 212ठ(1), परन्तुक

350. नियम 212ठ(2)

351. नियम 212ठ(3)

352. नियम 212ढ़

353. नियम 212ड

354. नियम 212(ण)

355. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन, पैरा 26

356. -वही- पैरा 27

357. -वही- पैरा 28

358. -वही- पैरा 32

359. -वही- पैरा 33

360. -वही- पैरा 34

361. -वही- पैरा 35

362. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का कार्यवृत्त, 15.2.1984

363. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का 22वां प्रतिवेदन, पैरा 3.17

364. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का 21वां प्रतिवेदन, पैरा 3.17

365. सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का 51वां प्रतिवेदन, पैरा 5.30

366. नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन, पृष्ठ 2

367. नियम 212त

368. नियम 212थ(1)

369. नियम 212थ(2)

370. नियम 212थ(3)

371. नियम 212ध(1)

372. नियम 212द(1)

373. नियम 212द(2)

374. नियम 212द(3)

375. नियम 212ध(2)

376. नियम 212प

377. नियम 212न(1)

378. नियम 212न(1), परन्तुक

379. नियम 212न(2)

380. नियम 212न(3)

381. नियम 212ब

382. आवास समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 1

383. नियम 212फ

384. आवास समिति का पहला प्रतिवेदन (7.8.1986 को प्रस्तुत किया गया); दूसरा प्रतिवेदन (29.12.1993 को प्रस्तुत किया गया); तीसरा प्रतिवेदन (22.12.1995 को प्रस्तुत किया गया); चौथा प्रतिवेदन (14.3.1997 को प्रस्तुत किया गया); पांचवां प्रतिवेदन (7.3.2000 को प्रस्तुत किया गया); छठा प्रतिवेदन (22.5.2002 को प्रस्तुत किया गया); सातवां प्रतिवेदन (20.2.2002 को प्रस्तुत किया गया); आठवां प्रतिवेदन (12.8.2002 को प्रस्तुत किया गया); नौवां प्रतिवेदन (18.8.2003 को प्रस्तुत किया गया); दसवां प्रतिवेदन (18.8.2003 को प्रस्तुत किया गया); और 11वां प्रतिवेदन (18.12.2003 को प्रस्तुत किया गया)।

385. अनुच्छेद 118(1)

386. अनुच्छेद 118(2)

387. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.5.1952, कालम 44-45; अधिसूचना सं॰ II-सी॰ एस॰/52, 16.5.1952 और भारत का राजपत्र, भाग I, खण्ड 1, पृष्ठ 1347–49

388. अधिसूचना सं॰ सी॰एस॰/3/52-एल, 11.7.1952; भारत का राजपत्र, भाग I, खण्ड 1, पृष्ठ 1761-62

389. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.8.1952, कालम 2888-89 और अधिसूचना सं॰ सी॰एस॰/3/62-एल; भारत का राजपत्र, भाग I, खण्ड 1, पृष्ठ 1849

390. अधिसूचना सं॰ सी॰एस॰/3/52-एल, 12.9.1952, और भारत का राजपत्र; भाग I, खण्ड 1, पृष्ठ 436

391. अधिसूचना सं॰ सी॰एस॰/3/53-एल, 23.1.1953, (संदर्भ संसदीय समाचार (2), 12.2.1953) और भारत का राजपत्र, भाग I, खण्ड 1, पृष्ठ 36

392. फाइल सं॰ सी॰एस॰/3/1/54-एल

393. प्रारूप प्रक्रिया नियमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, पैरा 1, परिशिष्ट-II

394. अधिसूचना सं॰ आर॰एस॰ 13/1/63-एल (2), 1.7.1964, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित और संसद्‌ीय समाचार (2), 1.7.1964

395. नियम 217(1)

396. नियम 217(2)

397. नियम 217(3)

398. नियम 217(4)

399. नियम 217(5)

400. नियम 217(6)

401. नियम 218(1)

402. नियम 218(2)

403. नियम 216

404. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 1

405. नियम समिति का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (सभी का पैरा 1)

406. नियम समिति का छठा प्रतिवेदन, पैरा 2

407. नियम 219

408. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.2.1995, कालम 436

409. नियम 220(1)

410. नियम 220(2)

411. नियम 220(3)

412. नियम 220(4)

413. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.11.1973, कालम 153-54

414. संसदीय समाचार (2), 1.7.1972

415. -वही- 15.1.1982

416. -वही- 1.7.1986

417. -वही- 30.3.1993

418. संसदीय सभाचार (2), 12.6.1995

419. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 7.3.1989

420. -वही- 1.9.1972

421. -वही-

422. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 24.8.1973

423. –वही– 8.5.1974

424. –वही–

425. –वही– 21.3.1975

426. –वही– 12.8.1985, 26.8.1985, 29.8.1985 और 12.12.1985

427. –वही– 17.8.1992 और 23.2.1993

428. –वही– 17.3.1994

429. –वही– 18.3.1994

430. –वही– 28.7.1971

431. –वही– 2.9.1976

432. –वही– 5.5.1988 और 11.8.1988

433. –वही– 23.11.1992

433क. 18.10.2003 को राज्य सभा के सभापति द्वारा 200वें सत्र समारोह की तैयारियों का समन्वय व पर्यवेक्षण करने हेतु सामान्य प्रयोजन समिति की उप-समिति गठित की गई।

434. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 1.9.1972

435. –वही– 21.3.1975

436. –वही–

437. –वही– 22.12.1978

438. –वही– 24.2.1981

439. –वही– 26.8.1981 और 5.5.1982

440. –वही– 5.5.1982

441. –वही–

442. –वही– 7.3.1989

443. –वही– 23.1.1985

444. –वही– 24.7.1985 और संसदीय समाचार (2), 25.7.1985

445. –वही–

446. –वही– 30.4.1986

447. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 11.8.1989

448. –वही–

449. –वही–

450. –वही– 7.3.1989 और 11.8.1989

451. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 7.3.1989

452. –वही– 7.3.1989 और 11.8.1989

453. –वही– 7.3.1989, 14.2.1995 और 4.5.1995

454. –वही– 26.11.1991

455. –वही– 14.2.1995

455क. –वही– 9.12.1998

455ख. –वही– 28.7.1999

456. –वही– 1.9.1972

457. –वही– 2.9.1976 और 2.5.1977

458. –वही– 23.1.1985

459. –वही– 5.5.1988

460. –वही– 23.2.1993

461. –वही–

461क. संसदीय समाचार (2), 9.3.1999

461ख. –वही– 6.12.2000

461ग. राज्य सभा में समिति प्रणाली—एक परिचय, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, जैन, 2003, पृष्ठ 14

461घ. –वही– पृष्ठ 14–15

461ङ. संसदीय समाचार (1), 17.12.2004

462. नियम 70, 71

463. नियम 72(1)

464. नियम 72(2)

465. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.8.1993, कालम 304–12

466. –वही– 5.8.1993, कालम 289–92

467. **देखिए**, अध्याय-6

468. नियम 87

469. नियम 72(3)

470. नियम 73(1)

471. नियम 73(2)

472. नियम 73(3)

473. नियम 77

474. नियम 74(1)

475. नियम 74(2)

476. नियम 74(3)

477. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1989, कालम 307

478. नियम 75

479. नियम 76

480. -वही- परन्तुक

481. नियम 78

482. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 8

483. -वही- पैरा 7

484. -वही- पैरा 10

485. -वही- पैरा 9

486. -वही- पैरा 8

487. नियम 79

488. -वही- परन्तुक

489. नियम 80

490. नियम 81

491. -वही- परन्तुक। दौरों के सम्बन्ध में संसदीय समाचार (2), 16.4.1987 भी **देखिये**, जिसमें सभापति का निर्देश दिया गया है

492. **उदाहरणार्थ**, भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और 24.3.1975 का कार्यवृत्त; खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और 29.4.1975 का कार्यवृत्त

493. **उदाहरणार्थ**, बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और 7.10.1974 का कार्यवृत्त

494. प्रवर समिति का प्रतिवेदन, पैरा 4

495. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 9, और संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 21.11.1974

496. प्रवर समिति का प्रतिवेदन, परिशिष्ट-II

497. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 25.10.1969

498. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 27.9.1974

499. -वही- 5.11.1974

500. -वही- 12.10.1972

501. -वही- 22.9.1972

502. नियम 84(1)

503. नियम 84(1), पहला परन्तुक

504. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 17.9.1968 (पृष्ठ 79-80)

505. नियम 84(1), दूसरा परन्तुक

506. नियम 84(2)

507. नियम 84(3)

508. भगवान गुजर द्वारा लिखित पुस्तक ''इम्पैक्ट ऑफ कमेटीज़ ऑन लैजिस्लेटिव प्रोसैस इन दि राज्य सभा'' *इन दि सैकेंड चैम्बर,* नई दिल्ली (नेशनल पब्लिशिंग हाउस द्वारा राज्य सभा सचिवालय के लिए प्रकाशित), पृष्ठ 389

509. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 14.9.1971 और 15.9.1971

510. संयुक्त समिति साक्ष्य, खंड 1, पृष्ठ 46

511. नियम 84(4)

512. नियम 85(1)

513. नियम 85(2) और (3)

514. नियम 85(4)

515. नियम 85(5)

516. नियम 86(1)

517. नियम 86(2)

518. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 20.2.1975

519. -वही- 26.9.1975

520. -वही- 17.9.1975

521. -वही- पैरा 23

522. -वही- कार्यवृत्त, 30.10.1972

523. -वही- कार्यवृत्त, 10.11.1972

524. -वही-

525. मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 15; जल प्रदूषण (निवारण) विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 8

526. नियम 86(3)

527. नियम 86(3), परन्तुक

528. नियम 82(2)

529. **देखिए,** अध्याय-21

530. नियम 83

531. नियम 87(1)

532. नियम 87(2)

533. नियम 88

534. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 30.10.1974; 1.11.1974 और 2.11.1974

535. –वही– 7.2.1975; 10.2.1975 और 11.2.1975

536. –वही– 4.10.1975; 6.10.1975; 21.10.1975 और 22.10.1975

537. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 12

538. –वही– पृष्ठ (viii)

539. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, 7.2.1975

540. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पृष्ठ 2–3

541. –वही– पैरा 13

542. नियम 89

543. नियम 90(1)

544. –वही– पहला परन्तुक

545. –वही– दूसरा परन्तुक

546. राज्य सभा वाद–विवाद, 30.8.1954, कालम 721–24

547. –वही– 22.9.1954, कालम 2989–91

548. –वही– 24.9.1954, कालम 3241–53

549. –वही– 11.12.1974, कालम 127

550. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, पैरा 14

551. –वही– पैरा 12

552. नियम 90(4)

553. नियम 90(5)

554. नियम 90(6)

555. नियम 90(7), **देखिए,** राज्य सभा वाद–विवाद, 29.8.1996 और 30.8.1996

556. –वही–

557. नियम 91(1)

558. सभापति का निर्देश, संसदीय समाचार (2), 25.1.1996

559. नियम 91(2)

560. राज्य सभा वाद–विवाद, 17.11.1969, कालम 168–69

561. –वही– 6.8.1982, कालम 181–86

562. नियम 92

563. सभापति का निर्देश, पूर्वोक्त में

564. लोक सभा की नियम समिति का दूसरा और चौथा प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा), जुलाई, 1989

565. संसदीय समाचार (1), 19.7.1989 और 4.8.1989

566. नियम समिति का 5वां प्रतिवेदन (19.8.1992 को प्रस्तुत किया गया)

567. सामान्य प्रयोजन समिति का कार्यवृत्त, 23.2.1993

568. नियम समिति का छठा प्रतिवेदन (24.3.1993 को प्रस्तुत किया गया)

569. वी. एस. रमा देवी द्वारा लिखित पुस्तक ''डिपार्टमेंट रिलेटिड पार्लियामेंटरी स्टेंडिंग कमेटीज़ (राज्य सभा) एन ओवर व्यू'' नई दिल्ली, राज्य सभा सचिवालय, 1995

570. प्रक्रिया विषयक नियमों की तीसरी अनुसूची

571. नियम 268, परन्तुक

572. नियम 269(1); संसदीय समाचार (2), 20.7.2004

573. फाइल सं. 52/1/94-एल

574. नियम 269(2)

575. नियम 269(3)

576. नियम 270(क)

577. नियम 272

578. नियम 270(ख)

579. नियम 273(क)

580. विवरण के लिए **देखिए**, अध्याय 21

581. **उदाहरणार्थ**, संसदीय समाचार (2), 9.6.1995 और 13.9.1995

582. नियम 273(ख)

583. संसदीय समाचार (2), 18.5.1995

584. -वही- 30.5.1995

584क. संसदीय समाचार (2), 10.6.1998

584ख. फाइल सं. 6(1)/98-सी॰एस॰ (एच॰ए॰), सभापति द्वारा 10.12.1998 को समयावधि बढ़ायी गई

584ग. संसदीय समाचार (2), 7.12.1998

584घ. फाइल सं. 6(6)/1998-सी॰एस॰ (एच॰ए॰), सभापति द्वारा 10.12.1998 को समयावधि बढ़ायी गई

584ङ: संसदीय समाचार (2), 10.12.1998

584च. फाइल सं. 6(7)/1998-सी॰एस॰ (एच॰ए॰), सभापति द्वारा 22.12.1998 को समयावधि बढ़ायी गई

585. नियम 270(ग)

586. संसदीय समाचार (2), 17.12.1993

587. नियम 270(घ)

588. फाइल सं॰ 12/1/93-एस॰ एण्ड टी॰

589. नियम 270, परन्तुक

590. नियम 276

591. विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति का कार्यवृत्त, 7.12.1995; 7.3.1996 और फाइल सं॰ 12/5/95-एस॰ एण्ड टी॰

592. नियम 274(1)

593. नियम 274(2)

594. नियम 274(3); उद्योग संबंधी समिति के एक प्रतिवेदन के साथ संलग्न न किये गये विसम्मति टिप्पण से संबंधित विवाद के बारे में राज्य सभा वाद-विवाद, 29.8.1996 और 30.8.1996 को भी **देखिए**

595. संसदीय समाचार (2), 25.1.1996

596. संसदीय समाचार (2), 30.1.1996 और फाइल सं॰ 2/4/94-टी॰ एण्ड टी॰

597. संसदीय समाचार (1), 28.2.1996

598. संसदीय समाचार (2), 27.3.1996; संसदीय समाचार (1), 29.8.1996

599. फाइल सं॰ 3(1)/1/95–सी॰एस॰ (एच॰ए॰); 3(2)/1/95–सी॰एस॰ (एच॰ए॰) और 3(3)/1/95–सी॰एस॰ (एच॰ए॰); संसदीय समाचार (1), 27.8.1996

600. नियम 277

601. परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी समिति का कार्यवृत्त, 14.7.1994

602. नियम 275

602क. संसदीय समाचार (2), 8.12.2000

603. लोक सभा नियम 309

604. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.3.1968, कालम 6492–97

605. **उदाहरणार्थ**, संसदीय समाचार (1), 15.3.1995

606. –वही– 28.3.1995

607. **उदाहरणार्थ**, संसदीय समाचार (2), 28.3.1995

608. –वही– 28.4.1995

609. लोक सभा नियम 308; समिति के विस्तृत कार्यकरण के लिए **देखिए**, ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 732–45

610. संसदीय समाचार (2), 11.8.1966

611. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1966, कालम 4361–504

612. संसदीय समाचार (1), 11.8.1966

613. –वही– 21.12.1954

614. –वही– 19.5.1966

615. लोक सभा नियम 312ख(1)

616. संसदीय समाचार (1), 15.3.1995

617. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.3.1968, पूर्वोक्त में

618. लोक सभा नियम 312क; समिति के विस्तृत कार्यकरण के लिए **देखिए,** ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 757–65

619. संसदीय समाचार (1), 24.9.1965

620. **उदाहरणार्थ**, **देखिए**, लोक सभा, संसदीय समाचार (1), 16.9.1991; राज्य सभा संसदीय समाचार (1), 17.9.1991 और फाइल सं॰ 5/1/91-एल

621. **उदाहरणार्थ**, समिति का बारहवां प्रतिवेदन (जो कि अन्तिम प्रतिवेदन था); 15.5.1996 को 10वीं लोक सभा के भंग होने से पूर्व 12.3.1996 को प्रस्तुत किया गया

622. संसदीय समाचार (1), 3.5.1995 और 9.5.1995

623. –वही– 8.5.1959

624. लोक सभा नियम 331ख(1)

625. –वही– 331क; समिति के विस्तृत कार्यकरण के लिए **देखिए,** ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 879–83

626. समिति के विस्तृत कार्यकरण के लिए **देखिए,** ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 877–79

627. ब्यौरे के लिए **देखिये**, ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 791-92 और लोक सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम का परिशिष्ट-II भी

627क. लोक सभा नियम 331

628. संसद् -सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954, धारा 9(1)

629. –वही– धारा 9(2क)

630. –वही– धारा 9(2), **उदाहरणार्थ**, **देखिए**, संसदीय समाचार (2), 26.2.1996

631. –वही–

632. –वही– धारा 9(3)

633. –वही– धारा 9(4)

634. संसदीय समाचार (1), 24.7.1975

635. राजभाषा अधिनियम, 1963, धारा 4

636. संसदीय समाचार (2), 29.1.1976

637. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, धारा 7; संसदीय समाचार (2), 26.3.1969

638. **उदाहरणार्थ**, संसदीय समाचार (2), 9.2.1996, उत्तर प्रदेश के संबंध में

639. राज्य सभा वाद-विवाद, 2.9.1976, कालम 8–38

640. -वही- 2.8.1995 और 9.8.1995; संसदीय समाचार (2), 6.8.1996 और फाइल सं॰ 44/3/96-एल

641. लोक सभा वाद-विवाद, 11.5.1956, कालम 7986–93 और राज्य सभा वाद-विवाद, 14.5.1956, कालम 2023–28

642. संसदीय समाचार (1), 3.9.1957 और 11.9.1957

643. लोक सभा वाद-विवाद, 22.6.1971, कालम 176–82 और राज्य सभा वाद-विवाद, 25.6.1971, कालम 262-63

644. लोक सभा वाद-विवाद, 19.12.1980, कालम 359–61 और राज्य सभा वाद-विवाद, 24.12.1980, कालम 279-80

645. -वही- 6.8.1987, कालम 484–569 और राज्य सभा वाद-विवाद, 12.8.1987, कालम 287–401

646. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.5.1988, कालम 372

647. लोक सभा संसदीय समाचार (1), 6.8.1992 और राज्य सभा संसदीय समाचार (1), 7.8.1992

648. संसदीय समाचार (2), 27.4.1956

649. लोक सभा संसदीय समाचार (2), 7.5.1956

650. संसदीय समाचार (2), क्रमशः 7.9.1960; 20.9.1966 और 18.12.1973

651. ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 658, पाद-टिप्पण 34

652. संसदीय समाचार (2), 7.9.1973

653. संसदीय समाचार (1), 8.12.1983

654. संसदीय समाचार (2), 17.12.1993

655. -वही- 22.2.1993

656. -वही- 8.6.1993

657. संसदीय समाचार (1), 23.12.1993

658. ''कौल और शकधर'', पृष्ठ 655, पाद-टिप्पण 9

659. संसदीय समाचार (1), 18.3.1966

660. -वही- 20.11.1991

661. -वही- 17.8.1973; 21.7.1986 और 20.10.1997

662. संसदीय समाचार (2), 7.10.1996

663. विस्तृत कार्यकरण और दिशा-निर्देशों के लिए **देखिए**, संसदीय कार्य मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन, 1994-95, अध्याय-VI

664. ''समितियों और अन्य निकाय जिनमें राज्य सभा का प्रतिनिधित्व है''–नामक पुस्तिका में ऐसी समितियों की सूची दी गई है और यह पुस्तिका समय-समय पर राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाती है।

665. -वही-

666. संसदीय समाचार (2), 6.8.1991

667. -वही- 7.8.1991

668. **उदाहरणार्थ,** फाइल सं॰ 4/7/1994-समिति II और फाइल सं॰ 4/10/95- समिति II